खण्ड-232, अंक-9
गुरूवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1884
(9 अगस्त, 1962 ई0)

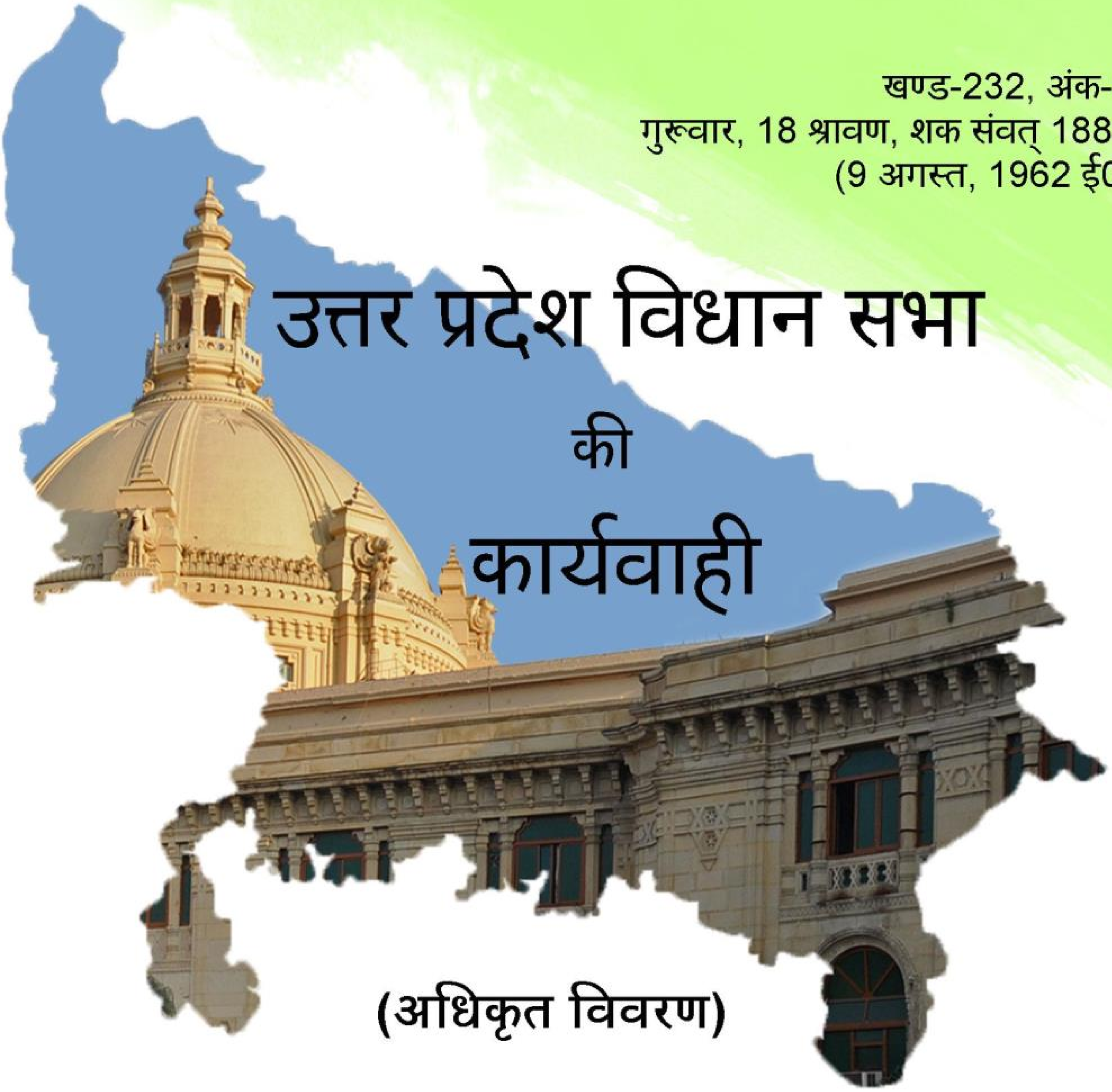

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 232 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ९ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३९६

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णा, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मोहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुरहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल कखरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री

नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम दास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातोराम अहखार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बशोलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री, (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामभजन, श्री
रामभूति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामाधीन राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
द्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय, श्री 'प्रणव'
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री

बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखधनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रनाथ बाजपेयी, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरिशकुमार गंगवार, श्री
हरसिंह, श्री
हलीमुद्दीन श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

अवध प्रदेश सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ९ अगस्त, १९६२

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मुरादाबाद के महन्त नागा बाबा की मृत्यु

**१—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या गृह मंत्री को मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के बंगले के करीब जो मन्दिर है उसके महन्त नागा की बिजली के लगने के कारण मृत्यु हो गई और फिर उनकी लाश पुलिस के पहरे के बावजूद गायब हो गई ? पूछने पर पुलिस कहती है कि वे फूल की तरह हवा में उड़ गई, तो क्या गृह मंत्री बतलायेंगे कि जाँच से क्या पता चला कि लाश कौन ले गया ?

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—जी हाँ। महन्त नागा बाबा रामेश्वर गिरि की मृत्यु बिजली लगने से हो गई, किन्तु यह सही नहीं है कि उनकी लाश पुलिस के पहरे के बावजूद गायब हो गई या पुलिस ने यह कहा कि वह फूल की तरह हवा में उड़ गई। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराने के उपरान्त उसे मृतक के अनुयायियों को सौंप दिया था।

**२—श्री हलीमुद्दीन तथा श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि मन्दिर पर सख्त पहरा लगा रक्खा है और किसी को मन्दिर जाने आने की इजाजत नहीं है, मन्दिर जो बन्द है और मूर्तियों को स्नान व भोग पूजा तक नहीं हो रही है ?

श्री नवलकिशोर—यह सही नहीं है कि मन्दिर पर सख्त पहरा लगा हुआ है तथा वहाँ किसी के जाने की इजाजत नहीं है। पुजारी मन्दिर में बराबर पूजा कर रहे हैं। सुरक्षा के लिये मन्दिर के पास पुलिस के कुछ कर्मचारी तैनात किये गये थे।

**३—श्री हलीमुद्दीन तथा श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि पुलिस को इस हरकत के खिलाफ नागा महन्तों में सख्त बेचैनी है और हजारों की संख्या में महन्त लोग जमा हो रहे हैं और वह जल्द ही कोई बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं ? इस सिलसिले में सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

श्री नवलकिशोर—यह सही नहीं है कि नागा महन्तों में बेचैनी है। इस बात की भी कोई सूचना नहीं है कि वे किसी प्रकार का प्रदर्शन करने के लिये हजारों की संख्या में जमा हो रहे हैं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री हलीमुद्दीन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मृत्यु किस तारीख को हुई और पुलिस का पहरा कब लगा ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, उनकी मृत्यु २४-७-६२ को हुई। पुलिस का पहरा उनकी मृत्यु के बाद लगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री बतायेंगे कि मृत्यु के कितने दिन बात उनके अनुयायियों को लाश दी गयी और पहरा कब लगाया गया ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जब उनकी बाडी मिली, उसे पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया और मन्दिर पर पुलिस तैनात कर दी गयी।

श्री हलीमुद्दीन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहरा लगाने की क्यों जरूरत पड़ी ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, यह जो मन्दिर है यह असल में सरकारी जमीन पर बना है और बाबा जी पर ट्रेसपास का मुकदमा चलाया गया था। यह अन्देशा था कि उनकी मृत्यु के बाद शायद कुछ लोग शान्ति भंग करने की चेष्टा करें, इसी लिए प्रिकाशनरी मेजर के तौर पर पुलिस तैनात कर दी गयी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि पुलिस का जब पहरा बैठाया गया, उसी वक्त नागा की लाश हटा दी गयी ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, अभी मैंने यह निवेदन किया कि उन्होंने बाडी को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद उनके अनुयायियों को लाश दे दी गयी। यह भी सूचना है कि उन्होंने उसको गंगा में बहा दिया।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह मन्दिर कितने वर्ष से है ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि फूल की तरह हवा में उड़ जाने की जो बात कही गयी है, कि पुलिस ने ऐसी बात कही, यह पुलिस का कार्य न होकर, बल्कि उनके कुछ शिष्यों ने यह कहा, और इस बात का प्रचार किया कि उनके गुरु जी की लाश उड़ गयी है ताकि अन्य भक्त लोग आकर्षित हों ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहाँपुर)--क्या यह बात सही है कि नागा लोग महन्त जी की लाश को जमीन में दफन करना चाहते थे इसलिए पुलिस को वहाँ से हटा दिया ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, यह बात सही नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ट्रेसपास का मुकदमा जो महन्त जी पर चल रहा था वह कब स्टार्ट हुआ था ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, मेरे पास केवल इतनी सूचना है कि उनके ऊपर ट्रेसपास का मुकदमा चलाया गया है।

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)--क्या महन्त लोगों ने इन तमाम बातों की रिपोर्ट थाने में की थी ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष--कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई ?

श्री नवलकिशोर--जी नहीं। ऐसी सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। जब नागा लोगों का कोई महन्त या पुजारी मरता है तो वह उसको जमीन में दफनाते हैं, यह हमारी निजी जानकारी है कि उस नागा को दफनाने के लिए जमीन खोदी गई थी और वह उसको दफनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उस लाश को स्वयं रामगंगा में फेंक दिया और यह नागा लोगों पर झूठा आरोप लगा दिया, तो क्या माननीय गृह मंत्री जी इसकी जानकारी फिर से करेंगे कि नागा लोग महन्त की लाश दफनाना चाहते थे और पुलिस ने जबरदस्ती छीन कर उसे रामगंगा में बहा दिया ?

श्री नवलकिशोर--जो सूचना मेरे पास थी वह मैंने साथियों को दे दी। अगर कोई नया प्रश्न मेरे सामने आयेगा तो सरकार दोबारा उसकी जाँच करा लेगी।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पुलिस लाइन की सीमा के अन्दर तीन चार वर्ष के अन्दर ही यह मन्दिर जबर्दस्ती वहाँ बना दिया गया था ?

श्री नवलकिशोर—यह बात सही है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जिन अधिकारियों के जमाने में यह मन्दिर बगैर किसी इजाजत के बनाया गया उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या नहीं ? अगर नहीं की गई . .

श्री अध्यक्ष—वह तो कह रहे हैं कि ट्रेसपास का मुकदमा चल रहा है।

श्री गेंदासिंह—ट्रेसपास का मुकदमा तो महन्त के खिलाफ चल रहा है। मेरा कहना यह है कि जिस सरकारी अधिकारी के जमाने में वह मन्दिर वहाँ जबर्दस्ती बना, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर—अगर माननीय गेंदासिंह इस प्रकार का प्रश्न दें तो उसका पता हम लगवा लेंगे। इस समय तो ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह—मेरे सूचना देने का क्या प्रश्न है ? सरकार अगर जरूरत समझती है तो वह खुद पता लगावे।

श्री झारखण्डेराय—अभी जगदीश प्रसाद जी के सवाल के जवाब में बताया गया कि चार साल से पुलिस लाइन की जमीन के अन्दर मन्दिर जबर्दस्ती बनाया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस लाइन सिम्बल आफ फोर्स होता है सरकार का, वहाँ पर जबर्दस्ती कैसे मन्दिर बनाया गया, क्या इसको साफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि आप सूचना देंगे तो वह बतायेंगे।

श्री हलीमुद्दीन—अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है कि कोई एफ० आई० आर० नहीं लिखाई गई। मैं यह कहूंगा कि २५ तारीख को ही रिपोर्ट लिखाई गई और इस सूचना के साथ लिखाई गई कि पुलिस यह कहती है कि लाश फूल की तरह हवा में उड़ गई और २६ को पूरा डेलीगेशन मय हेड महन्त के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिला, क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष—आप सवाल पूछ रहे हैं या इत्तिला दे रहे हैं।

श्री हलीमुद्दीन—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि २५ तारीख को एफ० आई० आर० कोतवाली में लिखाई गई थी और २६ तारीख को जिलाधीश से उनका डेपुटेशन मिला था ?

श्री नवलकिशोर—इस तरह की सूचना मेरे पास नहीं है। जो सूचना मेरे पास है उसमें इस तरह की बात नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के अध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन

*१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या विकास मंत्री को सरकारी तौर से यह सूचना मिली है कि अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव ने गत ९ मई, १९६२ को अपना १९६१-६२ का संशोधित बजट अस्वीकृत कर दिया ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—जी हाँ।

*२—श्री देवदत्त मिश्र—क्या विकास मंत्री को विदित है कि अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव का बजट स्वीकृत न हो सकने के कारण परिषद् के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—अन्तरिम जिला परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार संशोधित बजट २७–६–६२ को स्वीकृत हो गया है तथा सभी अध्यापकों और कर्मचारियों को २–७–६२ को वेतन दे दिया गया है ।

*३—श्री देवदत्त मिश्र—क्या मन्त्री जी जिलाधीश उन्नाव को अविलम्ब यह आदेश देने के प्रश्न पर विचार करेंगे कि बजट अस्वीकृत हो जाने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये तत्काल उचित कार्यवाही करें ताकि अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन अविलम्ब दिया जा सके ?

श्री बंशीधर पांडेय—इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जिला परिषद् ऐक्ट पूरी तरह स लागू न होने के कारण अन्तरिम जिला परिषद् की कार्यवाही जिला बोर्ड मैनुअल के मातहत होती है ?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न इससे पैदा नहीं होता ।

श्री देवदत्त मिश्र—मेरे प्रश्न में इस प्रकार की बात कही गई है कि जिला परिषद् ने अपना बजट अस्वीकृत कर दिया। जिला बोर्ड मैनुअल में यह कहा गया है कि बजट कब पास हो और कब नहीं। तो यह इससे सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, तो पूछिये ।

श्री देवदत्त मिश्र—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्तरिम जिला परिषद् का कार्य जिला बोर्ड मैनुअल के मातहत होता है और जिला बोर्ड मैनुअल में यह उल्लेख है कि यदि वर्ष में १४ मार्च तक अन्तरिम जिला परिषद् का बजट पास न हो तो उस बजट को गवर्नमेन्ट बनायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—यह अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट के अन्तर्गत जिला बोर्ड ऐक्ट के अनुसार अपना बजट बनाती है। उसके अनुसार कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उसके बाद जिलाधीश उस बजट को वापस करते हैं और परिषद् उस पर विचार करती है।

श्री देवदत्त मिश्र—जब १४ मार्च तक अन्तरिम जिला परिषद् का बजट स्वीकृत नहीं हुआ या नहीं बना, तो क्या वजह है कि सरकारी जिलाधिकारियों की तरफ से कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—परिषद् का बजट तो ९ मई, १९६२ को संशोधित रूप में पास हुआ और उसको अस्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद परिषद् ने इसको २७–६–६२ को अंतिम रूप से स्वीकार किया।

श्री देवदत्त मिश्र—मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि १४ मार्च तक जब बजट स्वीकृत नहीं हो सका अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा जब अन्तरिम जिला परिषद् का अधिकार चला जाता है बजट बनाने का और वह अधिकार गवर्नमेन्ट के पास आ जाता है। तो गवर्नमेन्ट ने उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—सरकार को बहुत से अधिकार हैं लेकिन सारे अधिकारों का उपयोग सब समय नहीं किया जाता । उन्नाव की अन्तरिम जिला परिषद् में जो झगड़े हो रहे हैं वह मैं जानती हूं । थोड़ी बहुत ढिलाई जानकर की गई है क्योंकि एक प्रजातांत्रिक संस्था के काम में जल्दी से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । डी० एम० साहब को सब बातों से वाकफियत है और अब टीचरों को तनख्वाहें दे दी गई हैं ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब ९-२-६२ को अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा बजट अस्वीकृत कर दिया गया तब भी जिला अधिकारियों ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और फिर भी बजट को अन्तरिम जिला परिषद् को वापस भेजने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—वह यह कह रहे हैं कि ढिलाई से काम करते हैं ।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी करेंगे कि इस सदन में कई बार यह आश्वासन दिया जा चुका है कि जिला परिषद् के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन समय पर दिया जायगा और यह आश्वासन अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है और मुझे जहां तक जानकारी है कई जिलों में चार, पांच महीने का वेतन उनका बाकी है । निजी तौर पर मेरी जानकारी देवरिया के बारे में है । तो क्या सरकार उस आश्वासन को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी कि महीने में कम से कम उनको वेतन जरूर मिल जाया करे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जरूर इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि नये प्रजातांत्रिक अधिकार लोगों को मिले हैं और इस ढांचे में आदी होने में थोड़ा समय लगता है और आपस में अक्सर झगड़े होते रहते हैं । जहां मामूली तौर से काम नहीं चलता वहां हम ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेते हैं । अगर कोई इस तरह की जगह आपको मालूम हो तो आप बतलाइये, हम वहां पर पेमेंट करवा देंगे ।

श्रीमती केनेडी के आगमन पर व्यय

*४—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर) कुंवर रूद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीमती केनेडी की इस वर्ष की भारत यात्रा के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस-किस मद में कितना पैसा खर्च किया ?

विद्युत् उप-मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—श्रीमती कैनेडी के आगमन के सिलसिले में राज्य सरकार ने निम्नलिखित व्यय किये :—

	रु०
१—उपहार	१,५१६
२—वेतन	५,०२९.७५
३—यात्रा भत्ता	४,४५६.६९
४—आकस्मिक व्यय	१,८८५.२०

*५—श्री शिवेन्द्रप्रताप, कुंवर रुद्रप्रतापसिंह, तथा श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीमती केनेडी की यात्रा के प्रबन्ध एवं देखभाल के सिलसिले में पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों के भत्ते और वेतन पर अलग-अलग कितना खर्च हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सूचना निम्नलिखित है :—

पुलिस कर्मचारियों पर—

१—वेतन	५,०२९.७५
२—यात्रा भत्ता	४,३६८.५७
सरकारी कर्मचारियों पर—	
यात्रा भत्ता	८८.१२

*६—श्री शिवेन्द्रप्रतापसिंह कुंवर रुद्रप्रतापसिंह तथा श्री राजेन्द्रसिंह—क्या यह सही है कि भारत सरकार ने इस अधिक व्यय पर कोई आपत्ति की है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या उत्तर दिया है ? क्या सरकार उस उत्तर की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा— जी नहीं ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो टोटल रकम १८,३७४ रुपये ८ नये पैसे की है इसमें करीब आधा वेतन पड़ता है और आधा भत्ता, तो ऐसा क्यों है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—भत्ते का जो बिल बना वह दे दिया गया और तनख्वाह जितनी है वह तो उतनी ही दी जायगी, ज्यादा नहीं दी जा सकती ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रदेश में आते हैं और उन के दौरे में जो खर्च होता है उसका कोई भाग सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट भी देती है या पूरा खर्च प्रदेश को ही वहन करना पड़ता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अधिकतर भाग केन्द्रीय सरकार ही देती है ? हमारे यहां से थोड़ा खर्च सेक्योरिटी का दिया जाता है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो प्रेजेन्टेशन एक हजार कुछ रुपये का है इसमें कौन सी चीज दी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—एक ताजमहल दिया गया था और दो स्कार्फ, छोटे-छोटे साफ दिये गये थे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—१८,००० रुपया जो व्यय हुआ वह केवल उनकी सुरक्षा पर ही व्यय हुआ या स्वागत पर और कितने दिनों में वह व्यय किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—दो जगह, बनारस और आगरा, वह लोग गये थे और रेडियो अफसर और सेक्योरिटी के आदमियों पर यह रुपया खर्च हुआ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, उपहार में केवल १,५१६ रुपये दिये गये हैं । तो क्या यह शिकायत नहीं हुई कि खाने पीने की दिक्कत हुई । और सब मामलों में तो ठीक रहा, लेकिन खाने पीने के मामले में जो राज्य सरकार की तरफ से बंदोबस्त था वह ठीक नहीं हुआ । क्या यह शिकायत सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—खाने का खर्च इसमें नहीं है । बाद में जो प्रेजेन्टेशन दिये गये थे एक ताजमहल की मूर्ति और दो साफे, उन्हीं के दाम यह दिये गये हैं ।

श्री गेंदासिंह—तो क्या यह सही है कि खाना खिलाया ही नहीं गया ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—वह खर्च तो, जैसा अभी उप मंत्री जी ने बतलाया दिल्ली सरकार देती है । हम तो सिर्फ सेक्योरिटी पर खर्च करते हैं और तमाम उत्तर प्रदेश की पुरानी अदा को मानते हुये थोड़ी सी भेंट की उसमें हमने यह खर्च किया ।

इलाहाबाद में निरंजन सिनेमा के निकट गोली चलाने की घटना

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—तारांकित प्रश्न संख्या ३ दिनांक बृहस्पतिवार, २४ मई, १९६२ के संदर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शेर अली नाम के आदमी, जिसको निरंजन सिनेमा के सामने गोली लगी थी, का बयान मोती लाल नेहरू अस्पताल में २८ अप्रैल, १९६२ को सिटी मैजिस्ट्रेट ने कलमबन्द किया था ? यदि हां, तो शेर अली ने कितने आदमियों को बतलाया था तथा कितने आदमी उसमें अब तक पकड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर---जी हां, शेरअली ने ५ व्यक्तियों के नाम बतलाये थे । इनमें से अभी तक २ व्यक्ति पकड़े गये हैं शेष ३ व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिये पूरी कोशिश की जा रही है । वे फरार हैं और धारा ८७-८८ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शेरअली को पिस्तौल के कितने घाव लगे थे ?

श्री नवलकिशोर--उसके कितनी चोट लगी और घाव लगे, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय शेरअली को गोली मारी गई, उस समय वहां पर पुलिस मौजूद थी जिस सिनेमा के सामने गोली मारी गई थी ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, यह बात सही है कि निरंजन सिनेमा के थोड़ी दूर के फासले पर ही गोली मारी गई थी, मगर पुलिस मौजूद थी इसकी सूचना नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करें कि जो २८ अप्रैल, १९६२ को सिटी मैजिस्ट्रेट ने कलमबन्द बयान लिये थे शेर अली के, तो उन्होंने क्या मुख्य-मुख्य बातें कही थी ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, उन्होंने यह कहा था कि सुबह उनका झगड़ा हुआ था ३ व्यक्तियों से । उसी शाम को मुन्ने कन्टक नाम के व्यक्ति उनको लिवा ले गये थे और चौराहे पर छोड़ दिया । जब वे वापस घर आ रहे थे तो ४ व्यक्तियों ने उनको घेर कर उनके ऊपर फायर कर दिया । उन्होंने ५ व्यक्तयों के नाम लिये थे जिनकी साजिश थी ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि शरीर के किस भाग पर गोली लगी थी और चोट किस-किस हिस्से पर आई थी ?

श्री नवलकिशोर---मैंने आप से निवेदन किया कि उनका प्रश्न तो यह था कि उन्होंने कितने आदमियों के नाम लिये । इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---घटना के कितने दिन बाद ८७-८८ की कार्यवाही जारी की गई थी और अब तक क्या रिऐक्शन हुआ ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

जे० के० रेयन मिल की कथित बन्दी

*८-- **श्री शारदाभक्तसिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जे० के० रेयन मिल के कोयले के अभाव से निकट भविष्य में बन्द हो जाने की सम्भावना है, जिससे कि लगभग १,५०० श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे ? यदि हां, तो सरकार श्रमिकों के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

चीनी वेतन मण्डल की गोरखपुर से सम्बन्धित रिपोर्ट

*९---**श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चीनी वेतन मन्डल (शुगर वेज बोर्ड) ने अपनी रिपोर्ट में गोरखपुर शहर को सबसे महंगा स्थान माना है और कतिपय मजदूर संघों ने सरकार का ध्यान इस महंगे शहर की ओर अभी हाल में आकृष्ट किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि महंगाई का भत्ता उक्त महंगाई के आधार पर देने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय---चीनी वेतन मंडल ने गोरखपुर को लखनऊ तथा मेरठ शहरों से महंगा बताया है । महंगाई का भत्ता चीनी वेतन मन्डल ने अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचनांकों से सम्बद्ध कर दिया है, अतः किसी क्षेत्र विशेष की महंगाई के आधार पर देने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस सम्बन्ध में मजदूर संघों का कोई भी प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से भी महंगा कोई दूसरा शहर है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जिस वक्त वेज बोर्ड ने जांच की थी उस वक्त गोरखपुर ही सबसे ज्यादा महंगा शहर था ।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे शहरों में और गोरखपुर शहर के महंगाई इन्डेक्स में क्या अन्तर है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कोई अन्तर नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेतन मंडल ने गोरखपुर शहर को ज्यादा महंगा मानते हुये उस क्षेत्र के मजदूरों के वेतन बढ़ाने की मांग की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वेज बोर्ड ने ऐसी कोई रिकमेन्डेशन नहीं की है । महंगाई शहर के हिसाब से नहीं मिलती है बल्कि एक एक इलाके के हिसाब से मिलती है । उन्होंने हिन्दुस्तान को ४ रीजन्स में बांट दिया है । उस हिसाब से उत्तरी रीजन में सब को एक हिसाब से महंगाई मिलती है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---इस बात को देखते हुये कि गोरखपुर में सबसे अधिक महंगाई है, क्या माननीय मंत्री जी वहां के सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विभाग तो यह है नहीं, शुगर वेज बोर्ड के बारे में सवाल पूछा गया था ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी वेतन मंडल के सामने यूनाइटेड यू० पी० बिहार फेडरेशन की तरफ से कोई रिप्रेजेन्टेशन रखा गया था और उनका बयान भी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि पूर्वी क्षेत्रों में खास कर गोरखपुर में जो चीनी मिलें हैं वहां पर मजदूरों को सबसे ज्यादा भत्ता मिलना चाहिये क्योंकि वहां पर महंगाई सबसे ज्यादा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कोई रिप्रेजेन्टेशन उनके सामने रखा गया, इसकी सूचना तो मुझे है नहीं । मेरे सामने तो उनकी रिपोर्ट है । उन्होंने यह चीज मालूम की थी कि कहां पर कास्ट आफ लिविंग क्या है ताकि वे वेज फिक्स कर सकें । उत्तर रीजन्स के लिये वेज फिक्स कर दिया गया ।

अपर इंडिया शुगर फैक्ट्री, खतौली के मजदूरों की मांगें

*१०.---**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अपर इंडिया शुगर फैक्टरी, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के मजदूरों ने कोई डिमांड सरकार और मिल मालिकों को दी थी ? यदि हां, तो क्या और सरकार ने उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की ?

श्री बंशीधर पांडेय---जी हां । मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इन मांगों के सम्बन्ध में मिल मालिक तथा मजदूरों के बीच समझौता हो गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९८५-९८६ पर)

*११—श्री कल्पनार्थसिंह—[हटा दिया गया ।]

[९ अगस्त, १९६२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कानपुर की मिलों पर बिजली का बकाया तथा बिजली कम्पनी का मुनाफा

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर की कितनी तथा कौन-कौन ऐसी मिलें हैं जिनके ऊपर बिजली का देय बकाया है और वह कितने रुपये का है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—संलग्न सूची में उल्लिखित कानपुर की २३ ऐसी मिलें हैं जिनके ऊपर बिजली का देय बकाया है । १७ जुलाई, १९६२ तक यह बकाया धनराशि ७,४९,१०५ ० २१ नये पैसे है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९८७)

*२—श्री ऊदल तथा श्री छत्रपति अम्बेश—क्या सरकार बतायगी कि बिजली कम्पनी, कानपुर में प्रति वर्ष कितने रुपये का मुनाफा, जब से सरकार के हाथ में कम्पनी आई है, हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—राष्ट्रीयकरण की तिथि १६ सितम्बर, १९४७ से १९६०-६१ तक प्रति वर्ष कंसा को होने वाला मुनाफा इस प्रकार है :

	लाख रु०
१६-९-४७ से ३१-३-४८	२.१४
१९४८-४९	३.२६
१९४९-५०	९.७९
१९५०-५१	९.४५
१९५१-५२	११.८८
१९५२-५३	१४.९५
१९५३-५४	६.१०
१९५४-५५	२३.८६
१९५५-५६	२०.२१
१९५६-५७	२८.४४
१९५७-५८	३२.२८
१९५८-५९	२३.४१
१९५९-६०	४०.९४
१९६०-६१	४५.४९

श्री ऊदल—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ७,४९,१०५.२१ रुपया की बकाया रकम है इसको वसूल करने के लिये सरकार ने अबतक कौन-कौन-सी कार्यवाहियां उन लोगों के खिलाफ की हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कुछ लोगों के बिजली कनेक्शन्स काट दिये गये हैं और कुछ लोगों से हर महीने वसूली का समझौता हो गया है ।

श्री छत्रपति अम्बेश—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसी की कुर्की अबतक की गयी है? अगर नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह जो रुपया बकाया हो गया है इसमें अधिकांशतः रुपया हाई कोर्ट में रिट इत्यादि हो जाने के कारण हुआ है। और जहां तक कुर्की करने का विषय है उसमें महज सरकार का रुपया वसूल करने की बात नहीं है, बल्कि कुर्की द्वारा मिल बन्द किये जाने पर मजदूरों की रोजी बन्द हो जाती है, मिल मालिक का कुछ नहीं जाता। तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी सरकार को देखना पड़ता है। व्यवहार में यह लेखा-जोखा तो चलता ही रहता है, वह चाहे सरकार का व्यवसाय हो या बाहर का हो, उसमें चलाना पड़ता है।

श्री छत्रपति अम्बेश—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह इस प्रकार का कौन सा उपाय कर रही है जिससे बिना कुर्की के भी यह रुपया वसूल हो जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी उप मन्त्री जी ने बताया कि कई फैक्टरियों से समझौता हो गया है और किसी से ३० हजार, किसी से १० हजार रुपया महीना वसूल करने का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उन लोगों से फैसला कर लिया है और उसके अनुसार वह रुपया वसूल होता जाता है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि इन्हीं महानुभावों के यहां साढ़े ५० लाख रुपया बिक्री कर का बाकी है, तो क्या इस बकाया रकम को वसूल करने की कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिन जिन के पास रुपया बकाया है, सरकार उसको वसूल करने का पूरा इन्तजाम करती है, किसी के पास एक रुपया छोड़ने वाली नहीं है। मैंने अभी निवेदन कर दिया कि कहीं कोई रिट ले आता है तो रुपया बकाया हो जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति को नजर के सामने रखना पड़ता है। मिल बन्द होने पर मिल मालिक का नुक्सान नहीं होता, मजदूरों का होता है, इसलिये व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। व्यवसाय में ऐसा होता ही है और यह उत्तर प्रदेश की सरकार का ही प्रश्न नहीं है, हर प्रदेश में जो इंसीडेंस आफ कनेक्शन होता है, कलेक्शन का परसेंटेज होता है उसका कुछ न कुछ बाकी रह जाता है और आने वाले वर्षों में वसूल किया जाता है। तो कोई नयी चीज इस विषय की सदन के सामने उपस्थित नहीं है।

श्री झाखंडेराय—क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुर्की वाले मामले में उन्होंने जो व्याख्या दी है और उसका व्यवहारिक कारण बताया है वह हमने सुन लिया, तो क्या बतायेंगे कि इन २२–२३ आदमियों पर जो लाखों रुपया सरकार का कई आर्थिक वर्षों से बाकी है तो उसकी वसूली के लिये एक भी आदमी एक बार भी गिरफ्तार किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गिरफ्तार करने का प्रश्न उठता नहीं। एक सिविल लायबिलिटी के अन्तर्गत फैक्ट्री को, उसके डायरेक्टर्स या इन्तजाम करने वालों को रुपया अदा करना होता है। उनसे समझौता कर लिया गया और माहवारी किश्तें बांध ली गईं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है क्योंकि मजदूरों को रोजगार में रखना है न कि अनइम्प्लायमेन्ट को बढ़ाना है। हां, यदि प्रदेश में कोई अड़चनें डालता है तब कन्ट्रोलर को नियुक्त करने का प्रश्न आता है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या मिलें घाटे पर चलती हैं जिसके कारण बिल नहीं चुका पाती हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वास्तव में फैक्टरियों ने रिट कर दिया इसलिये बकाया जो था वह बहुत बढ़ गया और जब वह बहुत बढ़ गया जिसे वे एक साथ अदा नहीं कर सकतीं तो फिर समझौता करके इन्सटालमेन्ट्स में वसूली करने की चेष्टा की जाती है। कभी-कभी दरों के ऊपर विवादग्रस्त प्रश्न उठ जाता है कि इतना चार्ज नहीं होना चाहिये और यदि उसे चार्ज करने की कोशिश की जाती है और फैक्टरियां हाई कोर्ट में चली गयी और रिट ले आयीं तो फिर वसूली रुक जाती है। रिट के फैसले में कई-कई महीने और साल तक लग जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जान-बूझ कर वसूली न की गई हो, बल्कि इस प्रकार की दिक्कतें बीच में आ जाती हैं चूंकि हमारे बीच में रिट की पद्धति चालू है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इन बकायेदारों की एक लिस्ट तैयार करेगी और उनको कम से कम यह सजा देने का उपाय करेगी कि उनको किसी सरकारी दावत में न बुलाया जाय और न कोई मन्त्री उनके घर दावत न्योते में जायं ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—आपने सजा बतला दी, मन्त्री जी ध्यान में रखेंगे।

श्री गेंदासिंह—मैं यह जाना चाहता हूं कि सरकार उनकी कुर्की न करे और उनकी हर बात का ध्यान रखे, लेकिन सरकारी रकम सरकार को मिल जाय उसके लिये कोई उपाय बतायेगी जो मन्त्री जी भी करें और हम भी करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सोच-समझ कर उसका उपाय यही निकाला गया कि इन्स्टालमेन्ट्स में रुपया वसूल किया जाय।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मन्त्री कृपाकर स्पष्ट उत्तर देंगे कि जिस व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिचय सरकार या मुख्य मन्त्री जी इन २२,२३ महामान्यों के प्रति दे रही है वैसा ही उन लाखों और करोड़ों किसानों के प्रति भी देगी जिनके बकाया के लिये गिरफ्तारी, कुर्की, जेल में बन्द करना, डंडे मारना, यह सब व्यवहार उनके साथ होता है ? गरीब और अमीर में यह भेदभाव क्यों है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फैक्ट्री से रुपया वसूल करने का प्रश्न मजदूरों की एम्प्लायमेंट से भी सम्बन्ध रखता है। यदि कोई कारखाना बन्द होता है तो उससे मजदूरों के बेकार होने के अलावा ला ऐंड आर्डर की समस्या भी पैदा होती है। फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में एक दूसरा दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि ये मिलमालिक मुख्य मन्त्री जी को चुनाव में काफी पैसा देते हैं, इसलिये वह उनको छोड़े हुए हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन किसानों के ट्यूबवेल्स के कनेक्शन्स न काटें जो बाकीदार हैं, क्योंकि उनकी खेती से सम्बन्धित ८ लाख लैंडलेस मजदूर बेकार हो जावेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनके सम्बन्ध में जब जिलाधीश इत्यादि सिफारिश करते हैं तो सरकार उनके लिये किस्तों की पद्धति भी स्वीकार करती है और उन्हें आदायगी के लिये समय भी देती है। आज प्रदेश में बहुत से किसान हैं जो कभी बहिया और कभी फ्रास्ट के कारण रुपया नहीं दे पाते हैं और उनको सरकार ने समय दिया है।

श्री ऊदल—५० लाख बिक्री-कर का और ६० लाख से ऊपर बिजली का बकाया होते हुए भी इन मिलमालिकान को सरकार ने ५ करोड़ रुपया २॥ परसेंट के हिसाब से दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह रुपया १९५५-५६ में कुछ व्यवसाइयों को दिया गया था। सबके नाम तो मेरे पास नहीं हैं, उपमन्त्री जी पढ़कर सुना देंगे। उन्होंने उससे उद्योग धंधे लगाये हैं। जिस समय कर्जा दिया गया उस समय बकाया की रकम सरकार के सामने नहीं थी। सरकारी इंडस्ट्रियल पालिसी के अन्तर्गत हम कार्य करते हैं। जबतक प्राइवेट सेक्टर को उत्तर प्रदेश में या सारे प्रदेश में चलने का अधिकार है तब तक यह सरकार भी वही नीति बरतेगी जो कि अन्य प्रदेशों की सरकारें ऋण इत्यादि देने के बारे में बरतती हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—लोन रूल्स में यह साफ लिखा होने के बावजूद भी कि जिस पर बकाया होगा उसे कर्जा नहीं दिया जायगा, उन्हें ऋण क्यों दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी कहा कि यह १९५५ का है और अदायगी के बिल्स इधर के हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—अध्यक्ष महोदय, इधर का भी ध्यान रखा जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—जो अभी स्टेटमेंट दिया गया है उससे प्रकट होता है कि कानपुर की बिजली कम्पनी को लेने के बाद ३ लाख से बढ़कर मुनाफा ४५ लाख हो गया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को योजनाओं के लिये रुपये की बहुत आवश्यकता है सरकार प्रदेश की अन्य प्राइवेट बिजली कम्पनियों को क्यों नहीं अपने हाथ में ले लेती है, जिससे उनसे भी ऐसा अधिक मुनाफा होकर रुपया मिले और योजना में काम आवे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्राइवेट बिजली घरों के ऐग्रीमेंट्स के अन्तर्गत हम कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उन्हें लेने की बराबर चेष्टा कर रहा है। इसी नीति के मातहत उसने कई बिजलीघर लिये भी हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह बकाया तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वसूल हो जाने की सम्भावना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कुल ७ लाख रुपया बाकी है जो ३ तरह का है। एक तो ऐसा है जब हमारे बिजली का कारखाने पानी न मिलने से बन्द हो गये थे, अभी तक वह डिस्प्यूट में है और हमारे बोर्ड को तय करना है कि वह रुपया लिया जाय या नहीं। ३ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें कुछ रुपया देना है। बिजली बोर्ड ने उसके लिये किस्तें तय कर दी हैं और वह सब इस साल में वसूल हो जायगा। जब कोई रुपया नहीं देता है तो उसका हम कनेक्शन काट देते हैं और ३, ४ कम्पनीज के हमने काटे भी हैं।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—जिनके कनेक्शन्स काटे गये हैं क्या उनमें से भी किसी को कर्जा दिया गया है और अगर हां, तो सरकार उसे मय सूद के वसूल करने का विचार रखती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कर्जा देने का सवाल दूसरा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में अनियमित खरीद पर जांच कमेटी की रिपोर्ट

*३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालाजी विभाग के सामानों की खरीद के विषय में की गई अनियमितताओं की जांच के लिये उनके द्वारा २१ फरवरी, १९६१ को दिये गये सदन में आश्वासन के अनुसार रिपोर्ट सरकार के पास कब आ गई और उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

चिकित्सा उप मन्त्री (श्री धर्मसिंह)—जांच कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास फरवरी, ७, १९६२ में आ गई थी। रिपोर्ट गोपनीय है और सरकार के विचाराधीन है। रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण सरकार के अन्तिम निर्णय लेने में अभी कुछ और समय लगेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगी और कितने व्यक्तियों के बयान लिये गये थे ?

श्री धर्मसिंह—समय बताना कठिन है। केवल एक व्यक्ति ने जांच की थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह प्रश्न विधान सभा में १९ अगस्त सन् ६० से है। २ वर्ष के बाद भी अब तक सरकार निर्णय करने में क्यों असमर्थ रही है ?

श्री धर्मसिंह—रिपोर्ट बड़ी है और वह ७-२-६२ को प्राप्त हुई थी। उसे एग्जामिन किया जा रहा है, उसके बाद निर्णय किया जायगा।

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१३वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ग्राम गौरा, थाना अतरौलिया की लड़की के साथ कथित कुकृत्य की शिकायत

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गौरा थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ के कुछ व्यक्तियों का तार एवं प्रार्थना-पत्र क्रमशः २४ जनवरी १९६१, २५ जनवरी, १९६१, २७ जनवरी, १९६१ तथा २८ जनवरी, १९६१ के भेजे हुए उन्हें आई० जी० पुलिस, डी० आई० जी०, वाराणसी पुलिस कप्तान तथा जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुए हैं जिनमें निरपराध बालिग लड़की को हवालात में बन्द कर के तरह-तरह के कुकृत्यों को करने और उसके परिवार तथा गांव वालों को हवालात में बन्द करने एवं मारने की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री नवलकिशोर—उत्तर तार एवं प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए थे। इनमें उल्लिखित पुलिस के विरुद्ध आरोपों की जांच कराई गई। जांच के फलस्वरूप आरोप सही नहीं पाये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि दुलारी को जिसकी अवस्था १८ साल की है थानेदार ने ३ दिन तक अपने निजी कमरे में बन्द कर रखा था ?

श्री नवलकिशोर—मुझे सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इन आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या शिकायत करने वालों के बयान लिये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इन आरोपों की जांच एस० पी० ने स्वयं की और जिन लोगों ने तार दिये थे उन लोगों में से कुछ के बयानात लिये गये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि शिकायत करने वालों का कोई सम्बन्ध किसी राजनीतिक पार्टी से है ?

श्री नवलकिशोर—मैं यह तो नहीं बताना चाहता कि किस राजनीतिक पार्टी से है, लेकिन यह सही है कि वे जिन लोगों के यहां काम करते हैं, उनका सम्बन्ध किसी राजनीतिक पार्टी से है।

अभी रामसुन्दर जी ने जो प्रश्न किया उसमें उनका मतलब था कि दुलारी देवी का बयान लिया गया या नहीं लिया गया। तो उनको मैं आपकी इजाजत से बताना चाहता हूं कि जब उसके बयान लेने के लिये पुलिस गयी तो मालूम हुआ कि वह सुसराल गयी है, लेकिन जब सुसराल में पता लगाया गया तो वहां मालूम हुआ कि वह वहां नहीं पहुंची है। ऐसा मालूम होता है कि उसको कुछ लोगों ने छिपा दिया और उसका बयान नहीं लेने दिया गया।

श्री कल्पनार्थसिंह—अगर दुलारी देवी का बयान नहीं लिया गया तो दरख्वास्त देने वालों में से किस-किस का बयान लिया गया?

श्री नवलकिशोर—दुलारी देवी के बाबा और एक स्त्री इतरजिया के चाचा का बयान लिया गया। दोनों ने यह कहा कि उनको पीटा गया, लेकिन और जो आक्षेप लगाये गये हैं उनके बारे में उन लोगों ने कोई बात नहीं कही।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिन-जिन व्यक्तियों ने सरकार के पास प्रार्थना-पत्र दिये थे उन सभी व्यक्तियों पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया, लेकिन अदालत से वे सब छोड़ दिये गये हैं?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यह बात सही है कि उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलाया गया। असल किस्सा यह है कि एक ठाकुर साहब की मृत्यु हो गयी। उनकी लाश कुयें में पाई गई। जब उसके सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो मालूम हुआ कि दुलारी देवी और इतरजिया के सम्बन्धी उसमें कुछ हाथ रखते हैं, इसीलिये उन दोनों स्त्रियों को पूछतांछ के लिये थाने में बुलाया गया था।

फर्रुखाबाद में अस्त्र शस्त्रों की जब्ती और नीलामी

*६—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि फर्रुखाबाद में कितने अस्त्र-शस्त्र पुलिस मुकदमे के सम्बन्ध में अब तक सन् १९६० से लेकर मार्च, सन् १९६२ तक किन-किन लोगों के जब्त किये गये और क्या उनमें से कुछ रिवाल्वर, राइफल को नीलाम किया गया? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने कितनी कीमतों में खरीदा? उनके नाम पद तथा स्थान क्या हैं? क्या खरीदने वालों में कुछ अधिकारी भी हैं?

श्री नवलकिशोर—उक्त अवधि में फर्रुखाबाद जिले में पुलिस मुकदमों के सम्बन्ध में कुछ ९ शस्त्र जप्त किये गये जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। इनमें से कोई रायफल अथवा रिवाल्वर नीलाम नहीं किया गया। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९८८ पर)

श्री ऊदल—क्या सरकार के पास इस तरह की कोई सूचना है कि सन् १९६१ में एक मुकदमा चला था—सरकार—बनाम—हरनामसिंह, जिसमें उसका एक रिवाल्वर पुलिस द्वारा जप्त कर लिया गया था जब कि अदालत ने उस जप्ती को गैरकानूनी बताया और पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये?

श्री नवलकिशोर—जिस व्यक्ति का नाम माननीय सदस्य ने बताया है उसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

मन्त्रियों द्वारा इलाहाबाद के दौरे पर व्यय

*७—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने मन्त्रियों ने १५, १६ तथा १७ अप्रैल, १९६२ को इलाहाबाद में सरकारी कार्य हेतु दौरा किया और वह दौरा किस उद्देश्य का था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस अवधि में चार मन्त्रियों ने सरकारी कार्य के हेतु इलाहाबाद का दौरा किया और इस सम्बन्ध में ३४६ रुपये ९७ नये पैसे व्यय हुए । इसका ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९८९ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि दो दिन में चार मन्त्रियों का इलाहाबाद में दौरा करने का क्या उद्देश्य था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जन हित ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से मन्त्री थे जिन्होंने जनहित में भाग लिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—श्री अलगूराय शास्त्री, श्री मुजफ्फर हसन, श्री दाऊदयाल खन्ना और श्री गोविन्द सहाय जी ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन चार मन्त्रियों ने वहां जाकर किस-किस प्रकार का कौन-कौन जनहित का कार्य किया और उसमें भाग लिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक श्री अलगूराय शास्त्री का सम्बन्ध है, यह तो सभी जानते हैं कि आज कल वनों के बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है, तो वे वनों के कार्य के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने में समय-समय पर जाते रहते हैं और उसी कार्य के लिये वे वहां भी गये । दूसरे गोविन्द सहाय जी वहां सेंट्रल जेल का निरीक्षण आदि करने के सिलसिले में गये । तीसरे श्री दाऊ दयाल खन्ना भी वहाँ उस कार्य के लिये गये जिस कार्य के लिये उन्हें भेजा गया । और वह कार्य यह था कि माननीय स्वर्गीय टंडन जी उस समय बीमार थे, मैं स्वतः वहां जा नहीं सकता था, क्योंकि कार्य में व्यस्त था, इसलिये मैंने उनकी देखरेख के लिये और उनसे हालचाल पूछने के लिये उनको वहां भेजा और चौथे मन्त्री श्री मुजफ्फर हसन भी उन्हीं कार्य के सिलसिले में गये थे जिनका सम्बन्ध उन कार्यों से है जो कि जनहित के रोजमर्रा मन्त्रियों के द्वारा होते हैं ।

श्री गेंदासिंह—यह सब काम तो जनहित में था ही, लेकिन एक काम जनता के अहित में भी हुआ है । क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि उस समय वहां कारपोरेशन का चुनाव हो रहा था और चूंकि कांग्रेस दल के भी एक उम्मीदवार खड़े थे, उनकी मदद करने के सिलसिले में वे लोग वहां गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और यदि कोई मन्त्री वहां गया हो और यह भी कि कोई कार्य किसी विषय में कर आया हो तो कोई मन्त्री वर्जित तो है नहीं कि वह उस कार्य से वंचित कर दिया जाय ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी सूचना है कि जब मेयर के चुनाव के सिलसिले में वोट पड़ रहा था तो उस समय माननीय मुजफ्फर हसन साहब बूथ के अन्दर चले गये थे जिस पर वहां के अधिकारियों ने एतराज किया तब वे वहां से बाहर चले आये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

इलाहाबाद महापालिका भवन में प्रवेश पर रोक

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद महापालिका के नगर प्रमुख के चुनाव जो १७ अप्रैल, १९६२ को महापालिका की इमारत में हो रहा था उसकी इमारत को पुलिस द्वारा प्रवेश निषेध किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर—पुलिस द्वारा ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था, किन्तु शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से जिलाधीश द्वारा नरगपालिका के भवन में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषेध कर दिया था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—इसमें लिखा हुआ था कि अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषेद्ध है तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर किन-किन लोगों के जाने की इजाजत नहीं थी ?

श्री नवलकिशोर—उसकी सूची तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो अन अथाराइज्ड लोग थे उनके बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट ने थ्रू प्रेस अपील की थी कि वे उसके अन्दर जाने की चेष्टा न करें इस तरह का सरकारी आर्डर था। जहाँ तक हमारी पुलिस के लगाने की बात है वहां के जिला मैजिस्टेट ने आर्डर दिया तो वहां पुलिस की ड्यूटी लगा दी गयी।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश के आदेश के विपरीत उस स्थान पर जाने के कारण श्री मुजपफरहसन अनधिकृत व्यक्ति घोषित किये गये थे और हटाये गये थे ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

कुटीन्ह पुलिस स्टेशन, जालौन के पास बस दुर्घटना की जांच

*९—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार को पता है कि इटावा के प्रसिद्ध पत्रकार श्री हाकिमसिंह यादव १ जुलाई, सन् १९६१ को इटावा से उरई को यात्रा करते समय कुटीन्ह पुलिस स्टेशन (जालौन) के पास एक बस दुर्घटना-ग्रस्त हो गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*१०—श्री चन्द्रजीत यादव—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस दुर्घटना के सम्बन्ध में अपराधियों को दन्डित करने के लिये जालौन के पुलिस अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दुर्घटना की जांच की गई तथा बस के ड्राइवर का धारा २७९/३३८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चालान किया गया।

ग्राम पकड़ी, जिला बलिया में पुलिस चौकी की स्थापना के लिये प्रार्थना-पत्र

*११—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार को बलिया जिला के अन्तर्गत थाना सिकन्दरपुर ग्राम पकड़ी में एक पुलिस चौकी खोलने के लिये क्षेत्रीय विधायक, जगन्नाथ चौधरी से वित्तीय वर्ष १९६०–६१ ई० में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*१२—श्री जगन्नाथ चौधरी—यदि हां तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक कौनसी कार्यवाही की गई है ?

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलाधीश तथा पुलिस महानिरीक्षक की इस विषय में संस्तुतियां मांगी गई थीं। पुलिस महानिरीक्षक ने सूचित किया है कि वे इस प्रस्ताव को पुलिस आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर अन्य पुलिस थाने तथा चौकियां खोलने के प्रस्तावों के साथ में विचार करेंगे।

एलाउ ब्लाक, मैनपुरी के लिये इमारत

*१३—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के एलाऊ ब्लाक में दफ्तर तथा कर्मचारियों के निवास के लिये कोई इमारत नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इमारतें अभी बन नहीं पाई हैं।

भूमि का प्रबन्ध एलाऊ में हो गया है।

*१४—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या उपरोक्त ब्लाक को तारापुर हतपऊ पहुंचाने के लिये जिलाधीश मैनपुरी ने सरकार के पास कोई रिपोर्ट भेजी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, भेजी थी। उस में तारापुर हतपऊ में स्थित ग्राम समाज की अमुक भूमि को विकास खंड के भवनों के निर्माण के लिये ले लेने की बात थी, किन्तु इसी बीच में, सम्बन्धित क्षेत्र विकास समिति ने यह निर्णय किया कि खंड का मुख्यालय एलाउ में ही रहे। उक्त समिति के इस निर्णय के समक्ष तारापुर हतपऊ का प्रस्ताव स्वयं रद्द हो गया।

दामोदर वैली कारपोरेशन के लिये रिहन्द की बिजली

*१५—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द की बिजली का कुछ भाग दामोदर वैली कारपोरेशन को देने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है और इस विषय में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से कोई पत्र-व्यवहार भी हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*१६—श्री झारखण्डेराय—यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय होने जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार से इस बात का आग्रह किया कि बिहार और बंगाल में कोयले की खानों पर कोयले की उपज को बढ़ाने के लिये कुछ समय के लिये रिहन्द की बिजली अवश्य दी जाय। कहीं भी बहुत बड़ी मात्रा में बिजली का पूरा प्रयोग होते होते दो तीन साल का समय लगता ही है। इसी प्रकार रिहन्द पर भी पूरा लोड आते आते दो तीन साल लग ही जायेंगे। इस बात को देखते हुये और देश में कोयले की स्थिति को देखते हुये प्रदेशीय सरकार ने अगले दो सालों में कुछ बिजली रिहन्द से दामोदर वैली कारपोरेशन को देना स्वीकार कर लिया है।

श्री अंजनीवीर प्रसाद की मृत्यु

*१७—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अंजनीवीर प्रसाद श्रीवास्तव नाम के एक पुलिस अधिकारी की हाल में ही मृत्यु हुई है ? यदि हां तो क्या यह सही है कि उनके नाम से बैंक बैलेन्स लगभग ६ लाख का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, मृत्यु १२-३-६१ को हुई थी।

प्रश्न के दूसरे भाग में मांगी गई सूचना शासन के पास उपलब्ध नहीं है।

हुसैनगंज, लखनऊ में लड़कियों के कथित भगाने की रिपोर्ट

१८—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के हुसैनगंज एरिया में दो लड़कियों को भगाने की सूचना ३ मई, १९६२ को पुलिस थाने पर की गई है ? यदि हां, तो वह घटना क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। ऐसी कोई सूचना उक्त तिथि को लखनऊ के किसी भी थाने पर नहीं प्राप्त हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

गोरखपुर की श्रम संस्था

*१९—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोरखपुर श्रम संस्था में गत तीन वर्षों से जो मांग बाहर से श्रमिक भर्ती की आती थी उस में कमी हुई है ? यदि हां तो सालाना औसत भर्ती और कमी का औसत अनुपात भर्ती से क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गोरखपुर श्रम संस्था भारत सरकार के अधीन है। इसलिये इस प्रश्न का सम्बन्ध राज्य सरकार नहीं है।

पंचायतों द्वारा लगान की वसूली तथा मन्त्रियों का वेतन और भत्ता

*२०—श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के पंचायत मन्त्रियों का वेतन तथा भत्ता (पंचायत) कितने दिनों से नहीं मिला है और क्यों ?

*२१—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में किन-किन पंचायतों को सरकार ने लगान वसूल करने के लिये निर्धारित किया है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला अस्पताल, झांसी की सुधार-योजना

*२२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल झांसी के सुधार व इमारतें बढ़ाने की योजना सरकार ने कब स्वीकार की थी और कितने रुपये की तथा क्या-क्या सुधार होना था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९९० पर)

*२३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अनुसार अभी तक क्या-क्या कार्य हो सका है और कितना रुपया बगैर खर्च किये पड़ा है और खर्च न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

सेवरहीं चीनी मिल, देवरिया द्वारा गन्ने की खरीद

*२४—श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के किस-किस चीनी मिल को केन यूनियन के कमीशन दिये बिना गन्ना खरीदने की छूट है और उन्होंने गत पांच वर्षों में कितना-कितना गन्ना इस प्रकार खरीदा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रदेश की किसी भी चीनी मिल को केन यूनियन का कमीशन दिये बिना गन्ना खरीदने की छूट नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

*२५---**श्री गेंदासिंह**---क्या यह सही है कि देवरिया की सेवरही चीनी मिल प्रतिवर्ष पांच लाख मन गन्ना बिना कमीशन दिये खरीद करती चली आ रही है? यदि हां, तो कब से और कितना गन्ना इस प्रकार अब तक उस मिल ने खरीदा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, देवरिया के सेवरही चीनी मिल ने बिना कमीशन दिये अपने निजी फार्म से सीजन १९५०-५१ से लेकर सीजन १९६१-६२ तक जितने गन्ने की खरीद की है उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष			परमाण गन्ना खरीद
			मन
१९५०-५१	..	..	३,०१,४५५.३५
१९५१-५२	..	..	२,२२,३५१.०५
१९५२-५३	..	..	२,५४,३७५.१०
१९५३-५४	..	..	२,६०,७९२.२५
१९५४-५५	..	..	३,१३,४६७.२५
१९५५-५६	..	..	२,५०,११६.१०
१९५६-५७	..	..	२,५१,४५०.०५
१९५७-५८	..	..	२,४१,२५०.२०
१९५८-५९	..	..	३,७७,००६.१२
१९५९-६०	..	..	३,२३,८६२.१५
१९६०-६१	..	..	५,६१,२२३.२०
१९६१-६२	..	..	४,०२,४२२.००
			या १, ५२, ४१७.२८ क्विंटल

*२६---**श्री गेंदासिंह**---क्या यह भी सही है कि इस मिल को अपना गन्ना मिल में ले जाने के लिये स्पेशल जेक का प्रबन्ध है जिससे दूसरे गन्ना उत्पादकों को जाने का अधिकार नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां। मिल ने अपने निजी फार्म के गन्ने की गाड़ियों को मिल ने लेने के लिए अलग से वाकिंग ग्राउन्ड तथा गेट की निजी व्यवस्था आरम्भ से ही करा रखी है। ऐसा न करने से सभी गाड़ियों के खड़े होने की व्यवस्था में कठिनाई हो जाती। इस प्रबन्ध से दूसरी गाड़ियों के खडे होने में आसानी होती है।

सरायभीता, जिला कानपुर के हरिजनों की अध्याप्त भूमि

*२७---**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले की कानपुर तहसील ग्राम सरायभीता के हरिजन किसानों की जो भूमि अब से कई वर्ष पूर्व मेसर्स लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स कं० कानपुर के लिये सरकार द्वारा (एक्वायर) की गई थी, वह कितनी भूमि है तथा उसका मुआविजा अब तक क्यों भुगतान नहीं किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उल्लिखित ग्राम में हरिजन किसानों की २३·४३ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में मेसर्स लक्ष्मी रतन इन्जीनियरिंग वर्क्स कं० (प्रा०) के लिये सरकार द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही चालू की गई थी, परन्तु इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस भूमि की अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही को निरस्त कर दिया। चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन था, अतः मुआवजे का निर्धारण तथा भुगतान नहीं किया जा सका।

*२८—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त किसानों की भूमि लेने के बाद उनकी जीविका के लिये उस कारखाने में उन्हें काम दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण न हो सकने के कारण किसी को नौकरी मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

देहाती क्षेत्रों के अस्पतालों में आयुर्वेद ग्रेजुएट्स की नियुक्ति न करने की शिकायत

*२९—**श्री रामलखन वकील** (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के ए० एम० एस० या ए० बी० एम० एस० ग्रेजुएट जिन्हें आयुर्वेद एवं एलोपैथी चिकित्सा में डिग्री प्राप्त होती है क्या एलोपैथिक डिस्पेन्सरी में कम्पाउन्डर्स से कम योग्यता रखते हैं ? यदि नहीं, तो डाक्टरों के अभाव में उन चिकित्सालयों में उपर्युक्त ग्रेजुएट्स को क्यों नहीं नियुक्त किया जाता ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्योंकि डाक्टरों और कम्पाउन्डरों के कार्यक्षेत्र विभिन्न हैं, इस प्रकार की तुलना न तो सम्भव ही है और न उपयुक्त होगी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि एलोपैथिक डाक्टर (M.B.B.S.) modern medicine में आयुर्वेद ग्रेजुएट्स से अधिक निपुण होते हैं। सरकार का यह ध्येय है कि modern medicine के लाभ देहात में रहने वालों को भी उसी प्रकार उपलब्ध हों जैसे शहरों में रहने वालों को हैं, इसी कारण सरकार बजाय इसके कि आयुर्वेद ग्रेजुएट्स को देहाती क्षेत्रों की डिस्पेंसरीज में भेजें यह कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक सख्या में एलोपैथिक डाक्टर इन डिस्पेंसरीज के लिये उपलब्ध हो जायें।

*३०—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—[हटा दिया गया।]

आगरा नगर में चोरियां

*३१—**श्री बालोजी अग्रवाल** (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९६२ से ३० अप्रैल, १९६२ तक आगरा नगर में कितनी चोरियां हुई हैं ? क्या थानेवार उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२३१ चोरियां हुईं। थानेवार सूची सलंग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ट ९९१ पर)

मोटर दुर्घटनाओं से मृत्युएं

*३२—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक प्रदेश में जिलेवार कितनी मोटर (बस, ट्रक, कार) दुर्घटनाएं हुई और उनमें जिलेवार कितने व्यक्तियों की मौतें हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी गई है, किन्तु उसमें जिला वाराणसी, मिर्जापुर, हरदोई, बरेली, बिजनौर, टेहरी गढ़वाल, आगरा, गोंडा, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ की सूचना सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वह अभी प्राप्त नहीं हो सकी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९९२–९९३ पर)

आगरा इमर्जेन्सी अस्पताल में लापरवाही की शिकायत

*३३—**श्री हिम्मत सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी से लेकर ५ मई, १९६२ तक आगरा में इमर्जेन्सी विभाग अस्पताल में कितनी मृत्युएं हुई उन मृत्युओं का क्या कारण था ? क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायतें आई हैं कि इमर्जेन्सी विभाग में लापरवाही के कारण श्री सुखलाल स्वरूप की पुत्री व श्री आर० पी० शर्मा की पत्नी की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न से प्रतीत होता है कि यह सरोजिनी नायडू चिकित्सालय आगरा के इमर्जेन्सी विभाग के बारे में है । उक्त चिकित्सालय के इमर्जेन्सी विभाग में १ जनवरी, १९६२ से ५ मई, १९६२ तक कुल ९९ मृत्युएं हुईं जिनका कारण संलग्न सूची में दिये गये भिन्न-भिन्न रोग थे ।

एक शिकायत श्री सुखस्वरूप श्रीवास्तव ने अपनी पुत्री की मृत्यु होने के विषय में भेजी थी जिसकी जांच से पता चला कि उनकी पुत्री को एक भयंकर रोग होनांस परप्यूरा था जो कि विशेषज्ञों की राय में एक असाधारण बीमारी है जिसमें रोगी के अच्छे होने की आशा बहुत कम पाई जाती है । शिकायत भर्ती में विलम्ब होने की थी । भर्ती करने के पूर्व डाक्टर ने विशेषज्ञ परामर्श के लिये समय लिया । हालांकि विशेषज्ञ की राय में इससे रोगी और उसकी चिकित्सा पर कोई अन्तर नहीं पड़ता फिर भी उसके लिये डाक्टर को सचेत कर दिया गया है । भर्ती के बाद रोगी को शीघ्र ही औपरेशन रूम से संलग्न सर्जिकल वार्ड में भेज दिया गया था । इस रोगी के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई । विशेषज्ञों की राय से पूरी चिकित्सा देने पर भी इस रोगी को नहीं बचाया जा सका और उसकी मृत्यु भर्ती के तीसरे दिन अस्पताल में हुई ।

श्री आर० पी० शर्मा की पत्नी की मृत्यु इस चिकित्सालय के इमर्जेन्सी विभाग में नहीं हुई और न मृत्यु के विषय में कोई शिकायत ही आई । वह अपनी पत्नी को ८–४–१९६२ को इमर्जेन्सी विभाग में दिखाने लाये थे । उन्होंने केवल ड्यूटी के डाक्टर के व्यवहार की शिकायत भेजी थी उसकी जांच पर डाक्टर से भी उनके व्यवहार के प्रति शिकायत पाई गई । फिर भी डाक्टरों को स्वयं सहनशीलता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को बनाए रखने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९९४ पर)

बाराबंकी बिजली कम्पनी के लाइसेंस का समाप्तीकरण

*३४—**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री मुकुटबिहारीलाल** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी की प्राइवेट बिजली कम्पनी का कार्य काल मार्च, १९६३ में समाप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वयं वहां बिजली की सप्लाई करेगी ? यदि नहीं, तो उसमें उसे क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कम्पनी का लाइसेंस ६ अक्तूबर, १९६४ को समाप्त हो रहा है । इसके बाद बाराबंकी में विद्युत् वितरण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा होगा या कम्पनी के लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी जायगी इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

ग्राम कन्ड्रों, जिला प्रतापगढ़ में राजकीय यूनानी चिकित्सालय खोलने की मांग

*३५—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ तहसील फुण्डा ग्राम कन्ड्रों में एक राजकीय यूनानी चिकित्सालय खोलने की मांग वहां के लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं ? यदि हां, तो उस मांग की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । शासन के विचाराधीन है ।

टी० बी० के डाक्टरों को क्वार्टर भत्ते की सुविधा

*३६—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)—क्या मुख्य मंत्री, टी० बी० की बीमारी की गंभीरता को देखते हुये सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कृपा करेंगे तथा उसकी जगह पर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये कुछ विशेष भत्ते की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, प्रश्न विचाराधीन है कि टी० बी० के डाक्टरों का एक अलग काडर बना दिया जावे तथा उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करके उन्हें भत्ता दिया जावे ।

*३७—**श्री रामसुन्दर शास्त्री**—टी० बी० के डाक्टरों की महान् जिम्मेदारियों को देखते हुये क्या मुख्य मंत्री जी उनके लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करेंगे तथा जहां पर सरकार ने कर पावे वहां पर उनके क्वार्टर भत्ता बढ़ाने का कष्ट करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—टी० बी० के डाक्टरों के लिये क्वार्टर देने की यथा संभव व्यवस्था की जाती है और जहां पर यह सुविधा नहीं है वहां उनको क्वार्टर भत्ता नियमानुसार दिया जाता है ।

*३८—**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

तेजधार वाले तथा नुकीले हथियारों पर रोक लगाने की मांग

*३९—**श्री झारखंडेराय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेज धार वाले तथा नुकीले हथियारों, बल्लम, कांता, फरसा, तलवार, बरछी आदि पर (इनके जरिये होने वाले अपराधों और हत्याओं की बढ़ती को ध्यान में रखकर) रोक लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार का फिलहाल ऐसा विचार नहीं है ।

फर्रुखाबाद जिले में डकैतियां

*४०—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में इसी मई महीने में कितनी और किस-किस जगह डकैती पड़ी हैं और उन डकैतियों में कितने व्यक्ति मरे या घायल हुए और कितना माल लूट कर डकैत ले गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फर्रुखाबाद जिले में मई, १९६२ में ११ डकैतियां पड़ने की रिपोर्ट प्राप्त हुई । इन डकैतियों के बारे में मांगी हुई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पष्ठ ९९५ पर)

उत्तराखंड के विकासार्थ सलाहकार समितियों का कार्य

*४१—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला चमोली)—क्या यह सही है कि उत्तराखंड के जिलों में विकास कार्य के निर्णय सलाहकार समितियों की राय से ही किये जाते हैं ? क्या सरकार तत्सम्बन्धित अपने आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला सलाहकार समितियों का कार्य जनता द्वारा अनुभव की गई आवश्यकताओं तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार परामर्श देना है । सत् संबंधी-आदेशों की एक प्रति † संलग्न है ।

ग्राम ईसापुर, फर्रुखाबाद में कथित डकैती

*४२—**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर) तथा **श्री छांगुर** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद थाना कमालगंज के अन्तर्गत ग्राम ईसापुर में तारीख ८ मई, १९६२ ई० को किसी ग्रामीण पर डाकुओं ने डाका डाल कर २५,००० रुपया लूटे और ग्रामीण तथा डाकुओं में मुठभेड़ हुई ? इस मुठभेड़ में कितने घायल हुये और कितनों की जानें गईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ८-५-६२ को संबंधित ग्राम में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई ।

बभनान केन यूनियन के नवीन बाईलाज

*४३—**श्री अवधनारायणप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बभनान के यूनियन जिला बस्ती ने यू० पी० केन कोआपरेटिव फेडरेशन के पास कोई नये बाईलाज स्वीकृति के लिये भेजे हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

रुदौली में थाना निर्माण, न्योरा बाजार में झगड़ा तथा मवई थाने में लाइसेंसदार

*४४—**श्री मुकुटबिहारीलाल**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कस्बा रुदौली जिला बाराबंकी में पुलिस थाना बनने जा रहा है ? अगर हां, तो किस स्थान पर और कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । अभी स्थान के विषय में अन्तिम निर्णय नही लिया गया है । इस समय यह बताना कठिन है कि कार्य कब आरम्भ हो सकेगा ।

*४५—**श्री मुकुटबिहारीलाल**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फरवरी, सन् १९६२ में बाजार ग्राम नेतारा, थाना मवई जिला बाराबंकी में कुछ स्थानीय म सलमानों ने हिन्दू दूकानदारों को लाठी और बल्लम से बुरी तरह जख्मी किया और लूट-मार भी की, अगर हां, तो कितने लोग जख्मी हुये और कितना माल लूटा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, घटना इस प्रकार है कि ग्राम न्योरा तथा मस्तापुर के २ व्यक्तियों में, जो भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के थे, आपस में निजी मामले पर रंजिश थी । ग्राम चुनाव में उन लोगों ने एक दूसरे के विरुद्ध पार्टियों का प्रचार किया । चुनाव के बाद २२ फरवरी, १९६२ को न्योरा बाजार में कुछ कहा सुनी के बाद दोनों व्यक्तियों में झगड़ा हो गया । दोनों पक्षों के कुल ५ व्यक्तियों को चोटें आईं । कोई लूट पाट की घटना नहीं हुई ।

---

†प्रति छापी नहीं गई ।

*४६—श्री मुकुटबिहारीलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना मवई, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत कितने बन्दूक के लाइसेंस किन-किन ग्रामों में किन-किन लोगों के पास हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९९६–९९७ पर)

बहदुरी बाजार गोरखपुर का आयुर्वेदिक अस्पताल

*४७—श्री नरसिंहनारायण—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ७ चारपाइयों का अस्पताल (आयुर्वेदिक) गोरखपुर जिले के बहदुरी बाजार में खुलने वाला था वह कब तक खुल जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—औषधालय तथा इसके कर्मचारियों के लिये भवन न मिल सकने के कारण, औषधालय खोलने का प्रश्न समाप्त कर दिया गया ।

पहासू, बुलन्दशहर में श्री व श्रीमती करनसिंह की हत्या की जांच

*४८—श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६२ में कस्बा पहासू, जिला बुलन्दशहर में श्री करनसिंह रिटायर्ड मुंसरिम तथा उनकी पत्नी की उनके ही घर में जो हत्या कर दी गई थी उसमें पुलिस क्या कर रही है ? अब तक उसमें कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १३–३–६२ को कस्बा पहासू में श्री करनसिंह रिटायर्ड कुर्क अमीन व उसकी पत्नी के जले हुए शव उनके घर से बरामद हुए थे । इस संबंध में धारा ४६० भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया और अभी जांच जारी है । अब तक की जांच से इसमें किसी अपराध का होना नहीं पाया गया । इसी कारण अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई ।

*४९—श्री महावीरसिंह—उपरोक्त हत्याकांड के विषय में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तीन-चार रोज पश्चात् जब लाशें मकान से निकाली गईं थीं तो किस-किस लाश का कितना-कितना हिस्सा जल कर भस्म हो गया था और क्या मकान के अन्दर के सब बक्स एवं ट्रंक खाली मिले थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—घटना के तीन दिन बाद जब मकान से लाश निकाली गई तो श्री करनसिंह की लाश के निम्नलिखित हिस्से बुरी तरह जले हुए पाए गए ।

शरीर की हड्डियां, हृदय, फेफड़े, सांस की नाली, सर, गर्दन खोपड़ी की हड्डी, भेजा, नाक, कान, जबान व छोटी आंतों का कुछ हिस्सा ।

उनकी पत्नी का समस्त शरीर जला हुआ पाया गया । मकान के अंदर सामान मौजूद था और सन्दूकों में ताले लगे हुए थे ।

*५०—श्री महावीरसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान थाना इन्चार्ज पहासू के कार्यकाल में कितनी हत्यायें कौन-कौन तारीख में इसी कस्बा पहासू में हुई हैं और उनमें पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा उनकी कार्यवाहियों का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त थाना इन्चार्ज के कार्यालय में कस्बा पहासू में हत्या की कोई घटना नहीं हुई ।

फिसर्स फारेस्ट, इटावा में डाकुओं का आतंक

*५१—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ अप्रैल, १९६२ को इटावा के फिसर्स फारेस्ट में फिरंगी डाकू ने अपने १६ साथियों के साथ आधुनिक शस्त्रों से लैस होकर श्री शिवशंकर लाल भारद्वाज वकील और श्री सैयद मुहम्मद जकरिया को ५ बजे शाम से रात को ९ बजे तक रोके रखा और उनकी बन्दूकें छीन लीं ? यदि हां, तो पुलिस ने उन डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। इस घटना में डाकुओं ने संबंधित दोनों व्यक्तियों को शाम को लगभग ५ बजे पकड़ कर उनकी बन्दूकें छीन लीं। उसके बाद श्री जकरिया को ५०० रुपये लाने के लिये कहकर तुरन्त छोड़ दिया किन्तु श्री भारद्वाज को रात ९ बजे तक रोक रखा। श्री भारद्वाज ने रात ९-४५ पर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने गार्ड लेकर जंगल में डाकुओं की तलाश की। दूसरे दिन २-४-६२ को रात ११ बजे करीब फिरंगी के गिरोह से पुलिस का मुकाबला हो गया जिसमें गोलियां चलीं। पुलिस दो डाकुओं को पकड़ने में सफल हुई। यह घेरा ५-४-६२ तक चलता रहा, किन्तु गिरोह अवसर पाकर भिन्ड क्षेत्र में निकल गया।

*५२—श्री सहदेवसिंह—क्या सरकार ने उक्त दोनों व्यक्तियों की रक्षार्थ उन्हें अपने लाइसेंस पर पुनः बन्दूकें खरीदने की अनुमति दी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री भारद्वाज को पुनः बन्दूक खरीदने के लिये आज्ञा प्रदान कर दी गई है, परन्तु श्री जकरिया को ऐसी अनुमति नहीं दी गई। क्योंकि उन्होंने शाम को ही डाकुओं द्वारा छोड़ दिये जाने पर भी पुलिस को तुरन्त रिपोर्ट नहीं दी।

*५३—श्री सहदेवसिंह—चूंकि उक्त दोनों व्यक्तियों ने डाकुओं की इच्छा के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट की, अतः सरकार उनकी रक्षा के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है उपरोक्त दोनों व्यक्ति इटावा शहर में रहते हैं और वहाँ उनको डाकुओं से खतरा नहीं है।

मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद्, इटावा का प्रस्ताव

*५४—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार प्रश्न संख्या ५८ में दिनाँक १० मई, १९६२ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त परीक्षण कार्य किस प्रकार किया जा रहा है और कब तक खत्म हो जायगा तथा स्वायत्त शासन के कर्मचारियों और खासतौर पर अन्तरिम जिला परिषद् के पुराने जिला बोर्ड के कर्मचारियों को शासन के कर्मचारियों के बराबर महंगाई का भत्ता देने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अन्तरिम जिला परिषद्, इटावा के प्रस्ताव संख्या ६, दिनाँक २६ मई, १९६२ का परीक्षण करने के उपरान्त शासन के निर्णय से परिषद् को अवगत करा दिया गया है।

परिषदों के कर्मचारियों तथा शासकीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है उसमें कम अन्तर है। शासन अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुये उक्त अन्तर को दूर करने में असमर्थ है।

डेवलपमेंट कमिश्नर के कार्यालय में मुअत्तिल कर्मचारियों के कथित मामले

*५५—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या यह सही है कि डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तर में मुअत्तिल बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० तथा ग्राम सेवकों के कई मामले ६ माह से अधिक के पड़े हुए हैं, किन्तु उन पर विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

दुकानों की अधिकतम कार्यविधि

*५६—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या सरकार शाप ऐंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट, १९४७ की धारा ६ में आवश्यक परिवर्तन करके दूकानों की अधिकतम कार्य अवधि १५ घंटे से घटाकर दस घंटे कर देने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो किन कारणों से?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) दूकानों की अधिकतम कार्यअवधि १५ घंटे से घटा कर कुछ कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम सभा परसोना, जिला गोंडा के प्रधान का अवैधानिक निर्वाचन तथा इटई रामपुर ग्राम के प्रधान तथा सरपंच का पाकिस्तान गमन

*५७—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि परसोना ग्राम सभा विकास क्षेत्र एवं तहसील उतरौला जिला गोंडा के प्रधान पद का निर्वाचन न्यायालय ने अवैधानिक मानकर रिक्त घोषित किया है? यदि हाँ, तो उसकी पूर्ति सरकार ने अभी तक क्यों नहीं की और कब तक करने का निश्चय है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ग्राम सभा परसोना, विकास क्षेत्र गौडास बुजुर्ग, तहसील उतरौला जिला गोंडा के प्रधान का निर्वाचन अवैधानिक घोषित करते हुये न्यायालय ने उक्त प्रधान के पद को रिक्त घोषित किया है। उक्त पद की पूर्ति के लिये तारीख ३१-५-६२ नियत थी, किन्तु एक उम्मीदवार के प्रार्थना-पत्र पर निर्वाचन स्थगित कर दिया गया तथा उक्त उम्मीदवार के प्रार्थना पत्र पर विचार हो रहा है। उसका निर्णय होते ही निर्वाचन की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*५८—श्री सूरजलाल तथा श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सच है कि थटई रामपुर ग्राम सभा ब्लाक गोंडा, बुजुर्ग तहसील उतरौला जिला गोंडा के प्रधान श्री मलिक मुहम्मद उमर पाकिस्तान चले गये हैं? यदि हाँ, तो उनकी जगह रिक्त मान कर कब तक उस स्थान की पूर्ति होगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ। प्रधान के स्थान पर उप-प्रधान कार्य कर रहे हैं। पंचायत राज अधिनियम की धारा ९५ की उपधारा (१) के खंड (जी) के अनुसार प्रधान को पद से पृथक् करने के उपरान्त ही रिक्ति की पूर्ति की जा सकती है।

*५९—श्री सूरजलाल तथा श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सच है कि पंचायत अदालत इटई रामपुर विकास क्षेत्र गोंडा, बुजुर्ग परगना, तहसील उतरौला, जिला गोंडा के सरपंच पाकिस्तान चले गये? यदि हाँ, तो उनकी जगह रिक्त मान कर दूसरे सरपंच की पूर्ति अभी तक क्यों नहीं हुई और कब तक सरकार पूर्ति करने जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ। सहायक सरपंच को अपने पद का चार्ज देते समय सरपंच ने यह सूचित किया था कि वे पाकिस्तान जा रहे हैं और वे वापस आकर चार्ज लेंगे। चूंकि सरपंच ने अपने वापस लौटने का संकेत किया है, अतः पद को अभी रिक्त मानने का प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास में चोरियां

*६०—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में विधायकों की सन् १९५७ से सन् १९६१ तक कितनी चोरियाँ हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या किसी चोरी का पता लगा भी या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में ३४ चोरियाँ हुईं। सभी मामलों की जाँच की गई। २ मामलों का पता लगा जिन में से १ में अभियुक्त सजायाब हुये तथा दूसरे में रिहा हुये। शेष मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

*६१—**श्री बृजेश्वर सहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में २४ मार्च, सन् १९६२ से अब तक कितनी चोरियाँ हुईं और उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या किसी चोरी का पता लगा या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२४ मार्च, सन् १९६२ से १५ जून, १९६२ तक विधायक निवास में कुल ४ चोरियाँ हुईं। जाँच के पश्चात् २ मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई और शेष २ में अभी जाँच जारी है।

सहकारी गन्ना विकास समिति, तुलसीपुर का संचालक मण्डल व नलकूप की व्यवस्था

*६२—**श्री बब्बनसिंह** (जिला गोंडा)—क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तुलसीपुर सहकारी गन्ना विकास समिति, तुलसीपुर के संचालक मण्डल के किसी सदस्य का स्थान रिक्त है? यदि हाँ, तो वह कबसे रिक्त है? रिक्त रखने का क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी नहीं।

*६३—**श्री बब्बनसिंह**—क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद् तुलसीपुर के सहयोग से अब तक कितने नलकूप बन चुके हैं और उनमें से कितने बनने के बाद पानी नहीं देते?

श्री दाऊदयाल खन्ना—गन्ना विकास परिषद् तुलसीपुर के सहयोग से अब तक ५५ नलकूप बन चुके हैं। ऐसा कोई भी नलकूप नहीं है जो बनने के बाद पानी न देता हो।

बेकार नलकूपों के लिये अनुदान प्राप्ति की शिकायत

*६४—**श्री बब्बनसिंह**—क्या यह सच है कि पानी न देने वाले नलकूपों पर भी राजकीय अनुदान प्राप्त कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उसकी जाँच किस अधिकारी ने की थी तथा किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह सत्य नहीं है।

ग्राम लगड़ी, जिला देवरिया में श्री बहादुर मिश्र की हत्या

*६५—**श्री चन्द्रदेव** (जिला देवरिया)—क्या सरकार को पता है कि तारीख १-५-६२ ई० को देवरिया जनपद थाना हाटा के अन्तर्गत लगड़ी ग्राम में श्री बहादुर मिश्र की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई है? यदि हाँ, तो सरकार इस निर्ममतापूर्ण हत्या करने वालों के प्रति क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनाँक १-५-६२ को नहीं, बल्कि १-४-६२ को उक्त हत्या की घटना हुई थी।

दिनाँक २८-६-६२ को अभियुक्तों का चालान कर दिया गया।

*६६—**श्री चन्द्रदेव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत कितने पुलिस स्टेशन नये खोले जा रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय देवरिया जिले में कोई भी नया थाना खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंचायत मन्त्रियों को सरकारी कर्मचारी बनाने की घोषणा

*६७--श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार के सामने ऐसी कोई योजना विचाराधीन है जिस से पंचायत सेक्रेटरियों को ग्राम पंचायत की नौकरियों से हटाकर सरकारी नौकरी में ले लिया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--पंचायत मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*६८--श्री शिवदानसिंह--इस योजना के लागू होने पर कितना व्यय सरकारी खजाने पर पड़ेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--अभी इस विषय में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

गोविन्द वल्लभ पन्त सागर, मिर्जापुर के डूब से उद्वासितों का पुनर्वासन तथा प्रतिकर

*६९--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार निम्नांकित का उत्तर देने की कृपा करेगी--

(क) "गोविन्द बल्लभ पन्त सागर" मिर्जापुर के डूब में आने वाले ९,००० परिवारों में से कितने को पुनः बसाया जा सका ?

(ख) उन्हें अपनी डूब से नष्ट हुई सम्पति का कितना प्रतिकर दिया गया तथा किस-किस रूप में ?

(ग) जिन को भूमि के बदले भूमि दी गई वह किस हिसाब से दी गई, जितनी उनकी थी उतनी ही या कम ज्यादा ?

(घ) सरकारी अनुमान से इस डूब में कुल कितने दामों की सम्पति नष्ट हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--(क) डूब में आने वाले कुल ८,००० परिवार हैं, जिनमें से अब तक ६,५६८ परिवारों को बसाया जा चुका है।

(ख) ७०.६० लाख रुपया प्रतिकर नकद धनराशि के रूप में दिया जा चुका है। अब केवल राजा सिंगरौली की सम्पति का प्रतिकर देना बाकी है।

(ग) डूब क्षेत्र की भूमि के उचित प्रतिकर के अतिरिक्त, प्रत्येक विस्थापित परिवार को जिसकी डूब क्षेत्र में भूमि थी पुनर्वासन क्षेत्र में ६ १/४ एकड़ भूमि या उसकी डूब क्षेत्र की भूमि का २/३ जो अभी कम है खेती करने के लिये दिया गया है।

(घ) डूबी हुई सम्पति का मूल्य लगभग ८१ लाख रुपया है।

*७०--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि ऊपर के प्रश्न में कहे गये स्थान के उद्वासित परिवारों में से ३,००० के लगभग का पता नहीं कि कहां चले गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सत्य नहीं है। असल में बहुत से विस्थापित परिवार अपनी इच्छा से मध्य प्रदेश तथा मिर्जापुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपने सम्बन्धियों के पास चले गये हैं और वहीं उन्होंने अपने पुनर्वास की व्यवस्था कर ली है।

*७१--श्री रक्षपाल सिंह (जिला इलाहाबाद)--[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ग्राम परसोला, हरदोई के श्री घूरेसिंह चौहान की फसल व लकड़ी काटे जाने की रिपोर्ट

*७२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम परसोला, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई के निवासी श्री भूरेसिंह चौहान की सम्पूर्ण रबी की फसल तथा उनके बबूलों के बाग की लकड़ी एवं सम्पूर्ण गन्ने की फसल वहां के निवासी बलरामसिंह वगैरह ने जबरन काट ली तथा श्री भूरेसिंह चौहान ने पुलिस में रिपोर्ट की एवं डी० आई० जी०, जिलाधीश, गृह मन्त्री आदि को प्रार्थना-पत्र भेजे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस आशय की कुछ noncognisable रिपोर्टें थाना बिलग्राम पर लिखाई गई थीं। चना, मटर की फसल १-४-१९६२ को काट लिये जाने के बारे में एक रिपोर्ट श्री भूरेसिंह के पुत्र श्री नत्थासिंह ने दिनांक २-४-१९६२ को थाने पर दर्ज कराई थी। इस पर एक मुकदमा भा० द० वि० की धारा १४७/४४७/३७९ के अन्तर्गत कायम हुआ और अनुसन्धान के पश्चात् २४ अभियुक्तों के विरुद्ध मामला न्यायालय को भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध में श्री भूरेसिंह ने अधिकारियों को तथा गृह मन्त्री को प्रार्थना-पत्र भेजे थे।

*७३—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मामला जनवरी में प्रारम्भ हुआ था तो फसल, लकड़ी आदि को अधिकारियों ने रिपोर्ट हो जाने पर जब्त करके किसी जमानतगीर को दिया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि पहले की रिपोर्ट non cognisable थी अतः उसपर कोई कार्यवाही न की जा सकी। दिनांक २-४-१९६२ की रिपोर्ट पर जब थाने पर उक्त मुकदमा कायम हुआ तब उसी दिन पुलिस ने लगभग २५ मन बबूल की लकड़ी जो केस से सम्बन्धित थी अपने कब्जे में लेकर गांव के एक व्यक्ति की सुपुर्दगी में दे दी।

*७४—श्री राजेन्द्रसिंह—उक्त केस के गवाहों को बलरामसिंह वगैरह की ओर से जान-माल का खतरा है जिसकी उन्होंने रिपोर्ट भी की है ? क्या सरकार ने उनकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस आशय की कोई रिपोर्ट उक्त मुकदमों के कायम होने के उपरान्त नहीं प्राप्त हुई। अभियुक्तों के विरुद्ध जाप्ता फौजदारी की धारा १०७/११७ की कार्यवाही २-४-१९६२ को ही पिछली रिपोर्टों एवं अधिकारियों को भेजे गये प्रार्थना-पत्रों के आधार पर कर दी थी जिससे वे शांति बनाये रखने के लिये पाबन्द हैं।

बुलन्दशहर शुगर मिल पर गन्ने की बकाया कीमत की रिकवरी

*७५—श्री जगवीरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५ मई, सन् १९६२ तक कितने गन्ने की कीमत मिल मालिकों पर बकाया है और उसकी वसूली के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये गये है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य के रूप में ५ मई, सन् १९६२ तक ८३४.२६ लाख रुपये बकाया था और गन्ना आयुक्त ने लगभग ऐसी ४१ चीनी मिलों के विरुद्ध रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर दिये हैं।

*७६—श्री जगवीरसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर की शुगर मिल पर आज तक गन्ने की कीमत के सूद का क्या बाकी है ? यदि हां, तो उसकी वसूली के सम्बन्ध में क्या कदम उठाया गया है और कितना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---इस मिल पर गन्ने की कीमत पर सूद का लगभग पच्चीस हजार रुपया ३०-६-१९६२ तक बकाया था। गन्ना आयुक्त ने गन्नेकी बकाया कीमत उक्त ब्याज की रकम सहित मालगुजारी के रूप में वसूल करने के लिये मिल के विरुद्ध रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर दिये हैं।

आगरा में बिजली सप्लाई में अव्यवस्था

*७७—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ७ मई, १९६२ को सायंकाल ६.५ बजे से रात्रि के ८.४५ बजे तक आगरा इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड द्वारा शहर को बिजली सप्लाई बन्द कर दी गई थी ? यदि हाँ, तो उसके कारण क्या थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। कारण यह था कि ठेकेदार द्वारा रखे गये कोयला ढोने वाले कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया था।

*७८—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के कोयला ढोने वाले कर्मचारियों द्वारा ७ मई, १९६२ को सायंकाल ६.५ बजे से रात्रि के ८.४५ बजे तक काम बन्द कर देने के क्या कारण थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—काम बन्द होने के निम्नलिखित कारण थे :—

(१) ठेकेदार ने कर्मचारियों का प्रावीडेन्ट फन्ड काटना बन्द कर दिया था।

(२) ठेकेदार ने अपने आश्वासन के अनुसार, १५ कोयला ढोने वाले कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया।

(३) ७ मई की निश्चित तारीख को उनका वेतन नहीं दिया।

*७९—**कुंवर श्रीपालसिंह**—[हटा दिया गया।]

मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में नर्सों के लिये आवास-गृह

*८०—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में जो मकान नर्सों के रहने के लिये हैं उनमें कितने कमरे हैं तथा उसमें कितनी नर्सें एक साथ प्रति कमरों में रहती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मकान में नर्सों के रहने के लिये २ डारमिटरी, ४ बड़े कमरे और ३ छोटे कमरे हैं। हर डारमिटरी में १० से १२ नर्सें और हर बड़े कमरे में ८ से १० नर्सों के हिसाब से इस समय ५६ स्टुडेन्ट नर्सें और ६ स्टाफ नर्सें उस नर्सेज होम में रहती हैं। ३ छोटे कमरों में से दो में सिस्टर तथा १ में एक हाउस कीपर रहती है।

*८१—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मकान जो नर्सों के रहने के लिये हैं उसमें पंखे तथा गुसलखाना और पाखाने का कोई इन्तजाम है ? यदि नहीं, तो सरकार क्या उसकी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त मकान में पंखे, गुसलखाना तथा पाखाने का इन्तजाम है।

हवाई जहाज के अड्डे

*८२—**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार के सुरक्षा विभाग ने हमारे राज्य के अन्तर्गत कुछ "हवाई जहाज" के अड्डे (Aerodromes) खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया है ? यदि हाँ, तो कितने हवाई जहाज के अड्डे खोलने के सम्बन्ध में और किन-किन स्थानों पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सूचना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना देना जन-हित में उचित नहीं होगा।

रेड़ बांध की बिजली का वितरण

*८३—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रेड़ बांध से उत्पादित होने वाली बिजली के वितरण का क्या दर सरकार द्वारा निर्धारित हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माँगी हुई सूचना नत्थी किये व्योरे में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९९८–९९९ पर)

*८४—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रेड़ बाँध से उत्पादित बिजली जो मध्य प्रदेश सरकार को दी जाने वाली थी वह कब से दी जायगी और उसकी क्या दर होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मामले में दोनों सरकारों के बीच अभी कोई समझौता नहीं हो पाया है ।

गोरखपुर में इञ्जीनियरिंग कालेज की स्थापना

*८५—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित गोरखपुर में इजीनियरिंग कालेज की स्थापना के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित है । इसके प्रिंसिपल ने कार्य-भार ग्रहण कर लिया है । कालेज के लिये अस्थायी रूप से भवन, छात्रावास तथा सज्जा की व्यवस्था भी की जा चुकी है । शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है । छात्रों का चुनाव किया जा चुका है।

विद्युत् मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में टिन शेडों का निर्माण

*८६—श्री मैनेजर (जिला बलिया)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (विद्युत्) ने अभी हाल में अपने कार्यालय (कोठी नं० ४ पुराने मन्त्रियों का आवास) में कुछ टीन शेड कर्मचारियों के बैठने के लिये बनवाये हैं ? यदि हाँ, तो क्या इनकी स्वीकृति शासन से ले ली गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ । शेडों के बनवाने की स्वीकृति उचित अधिकारी से प्राप्त कर ली गई थी ।

*८७—श्री मैनेजर—उपरोक्त टिन शेड की लागत क्या है और क्या इनके निर्माण का ठेका टेण्डर आमन्त्रित करने के बाद दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पाँच टिन शेड बनाये गये हैं जिनकी लागत ५५,२५० रुपये है । शेडों के निर्माण के लिये मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) द्वारा स्वयं टेन्डर नहीं आमन्त्रित किये गये थे, बल्कि इनकी सप्लाई तथा निर्माण के विषय में उद्योग निर्देशक, कानपुर को लिखा गया था । टेन्डर कोटेशन आमन्त्रित कर के निर्देशक ने जिस सप्लायर के नाम स्वीकृति दी उसी को आर्डर दिया गया ।

*८८—श्री मैनेजर—क्या इन शेडों का तापक्रम बहुत अधिक है और कर्मचारियों को गर्मी के कारण अत्यन्त असुविधा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

बांदा में हेड कांस्टेबिल द्वारा एक लड़की का शीलभंग

*८९—श्री मतोलासिंह (जिला बाँदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हेड कानिस्टेबिल जिसने ग्राम चिल्ला में एक ग्रामीण लड़की के साथ बलात्कार किया था, जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है और वह बाँदा अमरजेंसी भेजा गया। बाँदा आकर उसने बरखंडी नाका के पास पुलिस लैन से आकर रात्रि में १४ वर्षीय लड़की जो तनहा अपने घर में थी घुसकर बलात्कार किया यह केस भी गौर तफसीस है यह वारदात इसी सप्ताह की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम चिल्ला, जिला बाँदा, में हेड कांस्टेबिल द्वारा किसी लड़की के साथ बलात्कार करने की न कोई शिकायत प्राप्त हुई है और न इस सम्बन्ध में उस पर कोर्ट में कोई केस चल रहा है।

उसके बाँदा स्थानान्तरण के पश्चात् दिनाँक २६, २७ अप्रैल, १९६२ की रात को इस कर्मचारी द्वारा बाँदा शहर के मुहल्ला कटरा में एक लड़की का शीलभंग करने का आरोप अवश्य है। जाँच के पश्चात् धारा ३५४/३२३ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा उसके विरुद्ध चलाया गया है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है।

*९०—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार एक ऐसे दुराचारी को जिसने पुलिस की बदनामी व जनता के सामने पुलिस निकम्मी साबित हो मुअत्तल न करने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह दिनाँक २८ अप्रैल, १९६२ से मुअत्तल है।

सहारनपुर में सिटी मैजिस्ट्रेट की कोठी तथा प्लानिंग आफिस के बाहर खड़े ट्रक

*९१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर कोठी City Magistrate तथा Planning Office के बाहर जो एक-एक ट्रक जिन पर नम्बर के स्थान पर applied for लिखा है कब से वहाँ खड़े हैं और क्यों उन को प्रयोग में नहीं लाया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह दोनों ट्रक १९५६ के अन्त से इंगित स्थानों पर खड़े हैं। इनके लिये कोई बजट प्राविधान न होने के कारण, इन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सका।

*९२—श्री ब्रह्मदत मायर—क्या मन्त्री जी यह भी बतलायेंगे कि इन दोनों ट्रकों पर सरकार का कितना धन लगा और जिस अफसर की वजह से यह धन व्यर्थ गया उसके विरुद्ध सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रत्येक ट्रक का दाम लगभग ५६ हजार रुपये है जिसका तीन चौथाई केन्द्रीय सरकार ने तथा एक चौथाई प्रान्तीय सरकार ने वहन किया है। इस मामले में किसी अफसर का कोई दोष नहीं है।

गोंडा जिले के गांवों तथा मसकनवा में बिजली

*९३—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला के किन-किन गाँवों में बिजली पहुंच गई है और किन-किन में इस वर्ष या अगले वर्ष पहुंचाने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गोंडा जिले के निम्नलिखित नगरों का विद्युतीकरण हो चुका है:—

(१) मितौरा,
(२) वजीरगंज,
(३) धानेपुर,
(४) खरगूपुर,

(५) करनलगंज,
(६) उतरौला,
(७) मनकापुर
(८) तुलसीपुर,
(९) नवाबगंज।

१९६२–६३ और १९६३–६४ में विद्युतीकरण हेतु नगरों को छांटने के लिये जाँच हो रही है और उसके पूरा होने के बाद ही उचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

*९४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मसकनवा (जिला गोंडा) में बिजली कब तक पहुंचेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर के विद्युतीकरण की जाँच अन्य नगरों के साथ, जिनका विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत करना है, की जायेगी ।

*९५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—[हटा दिया गया ।]

बांदा पावर हाउस से बिजली की मांग

*९६—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाँदा नगर का पावर हाउस कब तक बाँदा, नरे, अतर्रा, कर्वी और बबेरू आदि को बिजली दे सकेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बाँदा नगर में एक तेल विद्युत् गृह है, परन्तु इस विद्युत् गृह से बाँदा के अलावा उक्त नगरों को विद्युत् देना सम्भव नहीं है । बाँदा नगर को इस विद्युत् गृह से बिजली पहिले से ही दी जा रही है ।

विकास खंड हसनगंज का केयरटेकर

*९७—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो व्यक्ति विकास खंड, हसनगंज, जिला उन्नाव में केयरटेकर के पद पर नियुक्त है वह हिन्दू-मुस्लिम बल्वे का सजायाफ्ता है ? यदि हाँ तो क्या उस व्यक्ति को सरकारी पद पर नियुक्त करना न्यायसंगत है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त केयरटेकर भारतीय दण्ड विधान की धारा १४०/३२५ के अन्तर्गत १० रुपये मात्र के अर्थ दण्ड का मुक्त भोगी है । किन्तु इन धाराओं का सम्बन्धित व्यक्ति के नैतिक अधःपतन से जिसके कारण उसे सरकारी नौकरी के सर्वथा अयोग्य समझ लिया जाय, कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गुरुदीन को लखनऊ पुलिस द्वारा पीटा जाना

*९८—श्री भीखालाल—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री काशीराम, पुत्र रामअधीन, निवासी बेड़ारू, थाना बछरावाँ, जिला रायबरेली का प्रार्थना-पत्र दिनांक २३ अप्रैल, १९६२ उनको इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उसके भांजे गुरुदीन को पुलिस थाना हजरतगंज, कोतवाली लखनऊ ने अकारण पकड़ कर पीटा व बिजली लगाई व जेल भेज दिया ? यदि हाँ, तो इस मामले का सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । घटना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १००० पर)

बस्ती जिले का गन्ना

*९९—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में १९५९, १९६० और १९६१ में कितने एकड़ भूमि में गन्ना बोया गया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—बस्ती जिले में जितने एकड़ में गन्ना बोया गया वह इस प्रकार है :—

वर्ष	एकड़ भूमि जिसमें गन्ना बोया गया था
१९५८–५९	७३,१३०
१९५९–६०	७६,८१७
१९६०–६१	७३,३२१

*१००—श्री सोहनलाल धुसिया—क्या इन वर्षों में जितना गन्ना पैदा हुआ वह सब मिलों में ले लिय गया था या नहीं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जितना गन्ना किसी जिले में पैदा होता है वह सब का सब मिल में पेरने के लिये नहीं जाता। केवल चीनी मिलों के सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पादित गन्ना इकरारनामा (बाइन्डिंग) के अनुसार लिया जाता है। इसलिये सब गन्ने को मिल द्वारा लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१०१–१०२—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—[७ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न २६१–२६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१०३—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—[हटा दिया गया।]

*१०४–१०५—श्री दीपनारायणसिंह—[९वें बुधवार के लिये प्रश्न ३४–३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मऊरानीपुर के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

*१०६—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानी-पुर जिला झांसी के पुलिस कोतवाली के इन्चार्ज के विरुद्ध मऊरानीपुर के किसी व्यक्ति द्वारा २०० रुपये का रिश्वत लेने व उसे डराने धमकाने इत्यादि के मामले में कोई शिकायती-पत्र अप्रैल, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। श्री बैजनाथ गुप्त, निवासी मऊरानीपुर का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २१–४–६२ को प्राप्त हुआ था जिसमें एस० ओ० थाना मऊरानीपुर के विरुद्ध उक्त आरोप लगाये गये थे। उनके विषय में जांच कराई गई जिसके फलस्वरूप आरोप सही नहीं पाये गये।

*१०७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि थाने के इन्चार्ज के विरुद्ध १ मार्च, १९६२ से १ मई, १९६२ तक कितने शिकायती-पत्र उन्हें और प्राप्त हुए ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में थाना इंचार्ज मऊरानीपुर के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र और प्राप्त हुआ था।

*१०८—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर के थाने के इन्चार्ज के विरुद्ध अप्रैल सन् १९६२ में कांग्रेस पार्टी के किसी एम० एल० ए० द्वारा इस आशय की शिकायत सरकार से की गई है कि थाने के एस० ओ० द्वारा उन्हें जान से मरवाने और उनके विरुद्ध चुनाव में खुलकर प्रचार करने इत्यादि का कार्य किया गया ? यदि यह सत्य है, तो अब तक एस० ओ० को मुअत्तल न किये जाने और मऊ के थाने पर रखने का क्या कारण है व इतनी संगीन शिकायतों के बावजूद भी सरकार ने क्या कार्यवाही की, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एस० ओ० थाना मऊरानीपुर के विरुद्ध श्री काशीप्रसाद द्विवेदी, एम०एल०ए० का एक शिकायती-पत्र, दिनांक ४-४-६२, प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त आरोप अंकित थे । इन आरोपों के विषय में जांच की गई, किन्तु आरोप सही नहीं पाये गये, इसलिये एस० ओ० के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१०९—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—[हटा दिया गया ।]

*११०—१११—श्री विजयसिंह—[८वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १३१-१३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर में मकान

*११२—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कितने मकान कानपुर में पिछले १० वर्षों में बनाये गये ? उन मकानों का किराया आरम्भ में कितना था और अब बढ़ा कर कितना कर दिया गया है ? उक्त मकानों में से कितने मकान खाली पड़े हैं और ऐसे मकानों की संख्या कितनी है जिनको औद्योगिक कर्मचारियों के अलावा दूसरे नागरिकों को अलाट किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—३० जून, १९६२ तक कानपुर में कुल १६,०८६ मकान बने हैं ।

एक कमरे वाले मकान का साहायित किराया १०.०० से १३.५० नये पैसे तथा दो कमरे वाले का किराया १४.०० से १९.०० नये पैसे हैं । साहायित किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

३० जून, १९६२ को जूही कलां में ९२८ मकान खाली थे ।

१,४९५ मकान दूसरे नागरिकों को एलाट किये गये हैं ।

*११३—श्री सन्तसिंह यूसुफ तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बने मकान सन् १९५३-५४ और १९५५ में औद्योगिक सरकारी कर्मचारियों को १० रुपये मासिक किराये पर दिये गये थे और स्थायी तौर पर एलाटमेंट भी कर दिया गया था ? यदि हां, तो अब उन्हीं कर्मचारियों से एकोनामिक किराया १७।। रुपये क्यों वसूल किया जा रहा है और न अदा कर सकने में मकान खाली करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां ।

औद्योगिक आवास योजना के अनुसार यह क्वार्टर केवल निजी कारखानों के औद्योगिक श्रमिकों के लिये ही बने थे । भारत सरकार के आदेशानुसार निजी कारखानों के श्रमिकों के अलावा अन्य सभी किरायादारों को इकानामिक रेन्ट अदा करने के लिये अथवा मकान खाली करने के लिये नोटिस दिये गये थे ।

*११४—श्री सन्तसिंह यूसुफ तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि औद्योगिक मकानों के खाली पड़े रहने के कारण सरकार को कितने रुपयों का नुकसान हुआ, क्या सरकार औद्योगिक मकानों का किराया घटाने के बारे में विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जैसे-जैसे मकानों का निर्माण होता है वैसे ही एलाटमेंट का क्रम भी जारी रहता है। समय समय पर मकान खाली भी होते रहते हैं और एलाट होते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता।

जूही कलां में दो कमरे वाले मकानों का प्रति माह किराया १६.०० से घटा कर १४.०० किया गया है। अन्य किसी बस्ती में किराया घटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हैदरगढ़ में महिला औषधालय

*११५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हैदरगढ़ जिला बाराबंकी की महिलाओं के चिकित्सा के लिये औषधालय खोला गया था, किन्तु अल्पकाल में समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर पुनः महिलाओं के इलाज की व्यवस्था हेतु औषधालय खोलने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, ऐसा कोई अस्पताल नहीं खोला गया। वहां महिला चिकित्सालय खोलने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*११६—११८—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

माल्सी क्षेत्र में श्री जगन्नाथ मिश्र की श्री चिरकुटराम की प्रचार गाड़ी से मृत्यु

*११९—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो फैजाबाद जिले के माल्सी क्षेत्र में सोहवन रोड पर श्री जगन्नाथ मिश्र पुलिस थाना रौनहीं की मृत्यु श्री चिरकुटराम जी के प्रचार गाड़ी से हुई तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है, यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस घटना के सम्बन्ध में जीप ड्राइवर के विरुद्ध एक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा २७९/३३७/३०४ के अन्तर्गत थाना रोनहाही पर दर्ज हुआ और जांच की जा रही है।

*१२०—श्री धूमप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस जीप द्वारा पुलिस कान्स्टेबिल की मृत्यु हुई थी उसका पता लग पाया या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जीप का पता लग गया है।

सिकन्दरपुर–लिलतर सड़क

*१२१—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार को विदित है कि बलिया जिला अन्तर्गत ब्लाक नवानगर की गांव सभा लिलकर द्वारा एक सड़क सिकन्दरपुर कस्बे से लिलकर ग्राम तक श्रमदान द्वारा बहुत ही सुन्दर तथा ऊंची और चौड़ी बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पक्का करा देने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास खंड नवानगर, जिला बलिया के अन्तर्गत सिकन्दरपुर टाउन एरिया से गांव सभा लिलकर तक, उसी गांव सभा के प्रयास से, श्रमदान द्वारा, लगभग दो मील लम्बी एक कच्ची सड़क का निर्माण हुआ है जो जनहित के दृष्टि से

उपयोगी है ।

यातायात सम्बन्धी राजकीय अनुदान का धन जो ब्लाक स्तर पर प्राप्त होता है, उसे ग्राम सभाओं को जन संख्या के आधार पर बांट दिया जाता है, और ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देकर, उन्हें कार्यान्वित करें ।

ग्राम सेवकों की पदोन्नति

*१२२—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—क्या सरकार बतायेगी कि अभी तक ग्राम सेवकों की पदोन्नति नियोजन विभाग में डाइरेक्ट होती थी, परन्तु अब उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है ? ऐसी अवस्था में ग्राम सेवकों की पदोन्नति के समय के बारे में क्या नीति होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अब ग्राम सेवकों की पदोन्नति विभिन्न विकास विभागों में सीधी होती है। पदोन्नति हेतु ३ वर्ष का न्यूनतम सेवा काल आवश्यक है।

तहसील करहर का अस्पताल

*१२३—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में तहसील करहल, जहां ५,००० की आबादी है वहां के अस्पताल में क्या किसी लेडी डाक्टर की नियुक्ति का प्रबन्ध करेगी, जैसा कि दूसरी जगहों पर है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—करहल में कोई राजकीय पुरुष अथवा महिला चिकित्सालय नहीं है। वहां पर अन्तरिम जिला परिषद् का एक पुरुष अस्पताल है जिसमें किसी महिला चिकित्सक की नियुक्ति का प्रश्न अन्तरिम जिला परिषद् के विचार-क्षेत्र में आता है।

बांदा जिले में खनिज पदार्थ व कारखाने

*१२४—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में कांच बनाने का कच्चा माल व रंगीन मिट्टी, लोहा आदि खनिज पदार्थ पाये जाते हैं और बांस व दियासलाई बनाने की लकड़ी विशेष तौर से पाई जाती है उसमें इसी से सम्बन्धित कोई कारखाना खोलने का वह विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बांदा जिले में कांच बनाने की सिलिका सैन्ड व लाल व पीला गेरू (Ochre) पाये जाते हैं। जंगलों में बांस पाया जाता है, परन्तु दियासलाई बनाने के योग्य लकड़ी व लोहा नहीं पाये जाते। इनसे सम्बन्धित कोई कारखाना खोलने का विचार नहीं है। सिलिका सैन्ड नैनी, फिरोजाबाद, सासनी एवं कलकत्ते में कांच बनाने के कारखानों में प्रयोग हो रही है गेरू तथा बांस लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग में उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे उद्योग सरकार स्वयं नहीं स्थापित करती।

हमीरपुर जिले में चिकित्सालय

*१२५—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर की राठ तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा सम्बन्धी क्या-क्या कार्य होने थे और उनमें से उस योजना काल में कौन पूरे हुए, कौन-कौन अधूरे हुये और कौन-कौन बिल्कुल नही हुए ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राठ के केवल महिला चिकित्सालय के भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसका निर्माण कार्य उचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी तक आरम्भ नहीं हो सका है।

*१२६—श्री डूंगरसिंह—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राठ जिला हमीरपुर के महिला चिकित्सालय के लिए कितना रुपया स्वीकृत हुआ है और अब तक उसकी इमारत न बनने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके लिये सरकार ने ८५,००० रुपये की स्वीकृति दी है परन्तु उचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हो सका है।

*१२७—**श्री डूंगरसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में ऐसे कौन-कौन चिकित्सालय हैं, जहां चिकित्सक नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमीरपुर जिले के निम्नलिखित चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं :—

(१) सुमेरपुर,
(२) इमिलिया,
(३) कोहिनिया,
(४) मझगैन,
(५) छननी,
(६) बेरी,
(७) कुलपहाड़,
(८) श्रीनगर।

आत्म हत्याएं

*१२८—**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५९ के जनवरी माह से अब तक प्रत्येक वर्ष में पृथक्-पृथक् इस प्रदेश में कितनी आत्म हत्याएं हुई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रदेश में जनवरी, सन् १९५९ से दिसम्बर, सन् १९६१ तक हुई आत्महत्याओं के वार्षिक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(१) १९५९ में २,२९१,
(२) १९६० में २,३५२ और
(३) १९६१ में २,५३७।

अमरोहा केन सोसाइटी पर बकाया एवं उसके द्वारा खाद वितरण

*१२९—**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)—क्या गन्ना मंत्री यह बतायेंगे कि गत तीन वर्षों का किसानों की खोई हुई परचियों का कुल कितना पया अमरोहा केन सोसाइटी पर किसानों का बाकी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—प्राप्त सूचनानुसार अमरोहा केन सोसाइटी जिला मुरादाबाद पर गत तीन वर्षों का किसानों की खोई पर्चियों का कुल पया १,७७५.३० नये पैसे बाकी है।

*१३०—**श्री शराफत हुसैन रिजवी**—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जब किसान अपनी न खोई हुई परचियों का पैसा लेने केन सोसाइटी के दफ्तर में दरख्वास्त देते हैं तो उनको यह कह कर टाल दिया जाता है कि लेजर में उनका नाम नहीं है ? यदि हां, तो इन खोई हुई परचियों का बकाया दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह सही नहीं है कि खोई हुई पर्चियों के पैसे के लिये किसानों की दरख्वास्त पर उनको यह कह कर टाल दिया जता है कि लेजर में उनका नाम नहीं है, बल्कि खोई हुई पर्चियों का भुगतान खोई हुई पर्ची के सर्टीफिकेट पर, जो सोसाइटी से जारी किया जाता है, किया जा रहा है।

*१३१—श्री शराफ हुसैन रिजवी—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गत वर्ष अमरोहा केन सोसाइटी द्वारा किसानों को जबर्दस्ती सनई का गला हुआ खाद दिया गया, जो फसल के लिये बहुत हानिकारक है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ने इस खाद को जबर्दस्ती बांटने के लिये केन सोसाइटी के पास कोई आदेश भेजा था, क्या इस वर्ष भी सनई का गला हुआ खाद किसानों को दिया जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सनई का गला हुआ खाद का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। यदि इसका अभिप्राय सनई के बीज से है तो न तो गत वर्ष और न इस वर्ष ही गला हुआ सनई का बीज वितरित किया गया और इस प्रकार का कोई आदेश भी नहीं भेजा गया था।

*१३२—श्री सोहनलाल धुसिया—[हटा दिया गया।]

*१३३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—[हटा दिया गया।]

*१३४-१३५—श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३६—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३७—श्री अवधेशकुमारसिनहा (जिला सीतापुर)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३८—श्री रामसुन्दर शास्त्री—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

घानी तेल उत्पादक सहकारी समिति, बरीपाल

*१३९—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम घानी तेल उत्पादक सहकारी समिति, बरीपाल, ब्लाक घाटमपुर, जिला कानपुर, को जनवरी सन् १९६० से दिसम्बर सन् १९६१ तक कितना रुपया कर्ज दिया गया और उस कर्ज के कितने पयों की वसूली अब तक हुई ?

लघु उद्योग मन्त्री (श्री फूलसिंह)—इस अवधि में कुल ८,३७५ पया ऋण दिया गया तथा २,५०० रुपया अब तक वसूल हुआ।

*१४०—श्री शिवनाथसिंह—क्या यह सही है कि ग्राम घानी तेल उत्पादक सहकारी समिति के प्रेसीडेंट व उनके परिवार के लोग ही उक्त समिति से फायदा उठाते हैं ?

श्री फूलसिंह—प्रेसीडेंट द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में एक सदस्य द्वारा आर्बिट्रेशन केस दाखिल किया गया था जिसके फैसले में भी यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त समिति में प्रेसीडेंट के अतिरिक्त ७ व्यक्ति उनके सगे संबंधियों हैं इस फैसले पर प्रेसीडेंट ने सहायक निबंधक सहकारी समिति, कानपुर के यहां अपील कर दी है। जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। फैसला होते ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

*१४१—श्री शिवनाथसिंह—क्या सरकार ने उक्त सहकारी समिति के हिसाब की जांच किसी सरकारी आडीटर से करवाई है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की रिपोर्ट सदन के मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—हिसाब के जांच करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं। यथा संभव आडिट पार्टी हिसाब की जांच करेगी।

कानपुर व साहूपुरी (वाराणसी) में सरकारी लेबर कालोनी

*१४२--श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शहर कानपुर, साहूपुरी (वाराणसी) के सरकारी लेबर कालोनी के क्वार्टरों का किराया कितना-कितना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कानपुर में १ कमरे वाले क्वार्टर का साप्ताहिक किराया १० रुपये से १३.४० नये पैसे तक तथा २ कमरे वाले क्वार्टर का साप्ताहिक किराया १४ रुपये से १९ रुपये तक है।

साहूपुरी (वाराणसी) के क्वार्टर का साप्ताहिक किराया १३.५० नये पैसे है ।

छिबरामऊ क्षेत्र के गांव में बिजली

*१४३--श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में किन-किन गांवों में अगले वर्ष और तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली पहुंचाने का निश्चय किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु नगरों को छांटने के लिये जांच हो रही है और उसके पूरा होने के बाद ही उचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

ईसानगर व धौरहरा स्कूलों के लिये गन्ना काश्तकारों से कटौती

*१४४--श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी) ---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्राइवेट पब्लिक स्कूल ईसानगर जिला खीरी के लिये गन्ना के काश्तकारों से कटौती के रूप में कितना धन जमा हो चुका है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---प्राइवेट पब्लिक स्कूल, ईसा नगर, जिला खीरी के लिये गन्ने के काश्तकारों से कटौती के रूप में इस समय रुपये ४४०६.०४ नये पैसे गन्ना सोसाइटी ऐरा के पास जमा है ।

*१४५--श्री तेजनारायण त्रिवेदी ---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया धौरहरा जिला खीरी में हाई स्कूल के संचालन के लिये कितना धन गन्ना के काश्तकारों से कटौती के रूप में जमा हो चुका है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---टाउन एरिया, धौरहरा, जिला खीरी में हाई स्कूल संचालन के लिये गन्ने के कास्तकारों से कटौती का इस समय रुपये ४२६२.४६ नये पैसे गन्ना सोसाइटी ऐरा के पास जमा है ।

शहजादपुर खागा में श्री चन्द्रकिशोर तिवारी को अनुदान

*१४६--श्री रक्षपालसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया खागा में या शहजादपुर खागा में या बहादुरपुर खागा में गांधी स्मारक तथा पुस्तकालय के लिये कोई अनुदान ३,००० रुपये जिला नियोजन विभाग द्वारा सन् १९५८ या उसके बाद स्वीकृत हुये थे तथा उसके संबंध में ४८० रुपये की किश्त भी दी गयी, यदि हां, तो यह धन किसको दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ग्राम शहजादपुर खागा, जिला फतेहपुर में, श्री गांधी स्मारक बाल मनोविनोद गृह बाल उद्यान एवं क्रीड़ास्थल पार्क के निर्माण हेतु, सन् १९५८ में, २,८९० रुपये का अनुदान जिला नियोजन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था । इस अनुदान की पहली किश्त, जो ४८० पये की थी, श्री चन्द्रकिशोर तिवारी को, जिनके लिये उक्त अनुदान स्वीकृत हुआ था दी जा चुकी है ।

*१४७—श्री रक्षपालसिंह—स्मारक या पुस्तकालय के निर्माण के संबंध में कोई कार्यवाही हुई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो रुपया की वापसी के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त स्मारक के निर्माण के लिये अनुदान-गृहीता द्वारा १,२०० पये की ईंटें खरीदी गई थीं, (जिसके आधार पर ४८० पये की कथित किश्त दे दी गई थी । किन्तु चूंकि उसके बाद से, निर्माण-कार्य की प्रगति अथवा तत्सम्बन्धी हिसाब किताब का कोई ब्योरा अनुदान-गृहीता ने अभी तक नहीं दिया इसलिये उन्हें कार्य पूर्ण कराने के लिये, एक मास की नोटिस दे दी गई है । इस अवधि के उपरान्त यदि तब तक कार्य न पूरा हुआ तो, दी गई किश्त की वापसी के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

चकिया का अस्पताल

*१४८—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चकिया जिला देवरिया के राजकीय एलोपैथिक अस्पताल के भवन निर्माण की मद में जिला देवरिया में गत वर्ष १६ हजार पया प्रादेशिक सरकार द्वारा प्रदान किया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*१४९—श्री कैलाश—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५०—श्री होरीलाल यादव—[हटा दिया गया ।]

*१५१—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ में इम्प्लायमेंट एक्सचेंज आफिस

*१५२—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ में इम्पलाइमेंट एक्सचेंज आफिस में जनवरी, सन् १९६१ से अप्रैल सन् १९६२ तक कुल रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या क्या है और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१०,३३२ जनवरी, १९६१ से मार्च, १९६२ तक १०३८ परिगणित जाति के व्यक्तियों ने अपना नाम पंजीकृत कराया ।

*१५३-१५४—श्री गंगाधर मैठाणी—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

क्षेत्रीय जनगणना कार्यालय कानपुर के प्रमाण-पत्र

*१५५—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री ऊदल तथा श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्रीय जनगणना कार्यालय कानपुर द्वारा जिन कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है और उनको जो इस कार्यालय द्वारा कार्य करने के प्रमाण-पत्र प्राप्त हुये हैं उसको कानपुर का रोजगार दफ्तर मान्यता नहीं दे रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या प्रदेश के सभी रोजगार दफ्तरों ने जनगणना कार्यालय के प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान कर दी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिन्हें क्षेत्रीय जनगणना कार्यालय, कानपुर द्वारा कार्य करने के प्रमाण-पत्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्म पर दिये गये हैं और जिन्होंने ६ माह या उससे अधिक सेवा प्रदान की है उनको क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय कानपुर नियोजन के समक्ष प्रस्तुत करने में मान्यता तथा प्राथमिकता प्रदान करता है । राज्य के अन्य सेवायोजन कार्यालय भी कथित प्रमाण-पत्र को मान्यता तथा प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं ।

मथुरा बाजार, शिवपुरा, हरैया, पचपड़वा एवं पिपरा में डाक्टर

*१५६—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सही है कि मथुरा बाजार, शिवपुरा, हरैया, पचपड़वा एवं पिपरा जिला गोंडा में डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? कब तक वहां डाक्टर भेजे जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । इन चिकित्सालयों में निम्नलिखित तिथियों से डाक्टर नहीं हैं :—

१—मथुरा बाजार	१६-११-१९५९
२—शिवपुरा	२१-७-१९५९
३—पंचपड़वा	५-१०-१९६१
४—पिपरा	२३-२-१९५९
५—हरैया	११-३-१९५७ यह चिकित्सालय हरैया के निकट गुगौली ग्राम में है ।

इस समय प्रदेश में डाक्टरों की बहुत कमी है जिसको दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं अतएव जैसे ही वांछित संख्या में डाक्टर उपलब्ध हो जायंगे इन चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति कर दी जायेगी ।

चमोली में जिला परिषद्

*१५७—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भविष्य में चमोली जिले (उत्तराखण्ड) में जिला परिषद् बनेगी ? यदि हां, तो इसका चुनाव कब तक होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ को उत्तराखंड में लागू नहीं किया गया है अतएव चमोली जिले में जिला परिषद् बनने तथा चुनाव होने का प्रश्न नहीं उठता ।

तपोवन में विद्युत् योजना

*१५८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तपोवन (जिला चमोली) में विद्युत् योजना सरकार द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

नन्दाकिनी विद्युत् परियोजना

*१५९—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नन्दाकिनी विद्युत् परियोजना का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी नन्दाकिनी विद्युत् परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने का कोई विचार नहीं है ।

विकास अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

*१६०—श्री शिवेन्द्रप्रताप—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायक विकास अधिकारी से क्षेत्रीय विकास अधिकारी की पदोन्नति के मूल सिद्धान्त क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—दीर्घ कालीन रिक्त स्थानों के लिये सहायक विकास अधिकारी से क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये चुनाव लोक सेवाआयोग द्वारा किया जाता है। इस चुनाव में पहले एक प्रतियोगिता परीक्षा होती है और उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का फिर साक्षात्कार किया जाता है। इस चुनाव में वही सहायक विकास अधिकारी भाग ले सकते हैं जिन्होंने किसी विकास विभाग में तीन वर्ष कार्य किया हो।

*१६१—**श्री शिवेन्द्रप्रताप**—क्या सरकार बतायेगी कि gradation list of department जो निकलती है उसके बन्द करने के क्या कारण हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सहायक विकास अधिकारियों की कोई ग्रेडेशन लिस्ट नहीं निकाली गई। अतः बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

सुगानगर में चोरी, कत्ल व डाकाजनी

*१६२—**श्री अवधनारायणप्रतापसिंह** तथा **श्री सुखदेवप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा सुगानगर, थाना बलिया, जिला गोंडा के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६२ से अब तक कितनी चोरी, कत्ल व डाकाजनी की घटनाएं हुईं और उनमें से प्रत्येक में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम सुगानगर, थाना ललिया, जिला गोंडा में उक्त अवधि में केवल एक चोरी की घटना हुई जिसकी जांच की गई किन्तु कोई पता न चलने पर अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। कत्ल व डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

*१६३—**श्री छांगुर**—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

भिनगा के अस्पताल तथा जच्चा-बच्चा केन्द्र

*१६४—**श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी बहराइच जिले में भिनगा के जनाने अस्पताल को खुले कितने दिन हुये तथा लेडी डाक्टर वहां कितने दिन रही?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भिनगा में महिला चिकित्सालय को खुले हुये ३ वर्ष १ मास हुए। वहां पर महिला चिकित्साधिकारी चिकित्सालय खुलने की तिथि, ६ जुलाई, १९५९ से २७-९-१९५९ तक अर्थात् २ मास २२ दिन रही।

*१६५—**श्री मुन्नूसिंह**—क्या सरकार उसी जगह के जनाने और मरदाने अस्पतालों से दवा लेने वाले मरीजों की अलग-अलग सालाना संख्या बताने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिछले दो वर्षों में भिनगा के जनाने व मरदाने चिकित्सालयों से दवा पाने वाले मरीजों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी हुई है—

	१९६०		१९६१	
	अन्तरवासी	वाह्यवासी	अन्तरवासी	वाह्यवासी
मर्दाना चिकित्सालय .	१०१	२०,६४६	१०६	२१,३०५
जनाना चिकित्सालय ..	७	२,४१४	२१	३,०४४

*१६६—**श्री मुन्नूसिंह**—क्या सरकार भिनगा से यातायात की असुविधाओं को देखते हुये भिनगा ही में एक जच्चा-बच्चा केन्द्र इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोलने के सुझाव पर गौर करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार निकट भविष्य में भिनगा में एक महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति किये जाने के प्रति प्रयास कर रही है, किन्तु डाक्टरों के अभाव के कारण यदि ऐसा होना सम्भव न हो सका तो सरकार वहां पर जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने के सुझाव पर अवश्य विचार करेगी।

आगरा जिले के दवाखानों को सहायता

*१६७—**श्री छत्रपति अम्बेश**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के किस-किस यूनानी, आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथिक के दवाखानों को १९६१ में सरकारी सहायता दी गई है तथा सहायता का आधार क्या था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १००१–१००२ पर)

आगरा की मिलों पर बिजली शुल्क का बकाया

*१६८—**श्री छत्रपति अम्बेश**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की किन-किन मिलों पर १९६१ तक बिजली की शुल्क बकाया है और उसकी वसूली के लिये क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आगरा में केवल सर्वश्री महालक्ष्मी आयल मिल्स, आगरा पर रुपये २,३०२.५० नये पैसे का विद्युत् कर बाकी है। कर जमा न करने के कारण सर्वश्री आगरा एलेक्ट्रिक सप्लाई क० लि० आगरा ने उक्त मिल की बिजली काट दी है और वह इस रुपये को वसूल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है। अगर यह रुपया उक्त सप्लाई कम्पनी द्वारा वसूल न हो सका तो जिलाधीश, आगरा, द्वारा एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू (arrears of land revenue) के रूप में वसूल करने के लिये कार्यवाही की जायगी।

*१६९—**श्री छत्रपति अम्बेश**—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७०–१७१—**कुंवर तेजभान सिंह** (जिला प्रतापगढ़)—[हटा दिये गये।]

नगला सुभानी में बालजीत का कत्ल

*१७२—**श्री बसन्तसिंह** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले के थाना कम्पिल के गांव नगला सुभानी में २४–२५ फरवरी, १९५४ के बालजीत के कत्ल में शहजादे और हरीराम पुत्र राम भजन कम्पिल निवासी के विरुद्ध ह० द० ३०२/३४ ता० हि० के अन्तर्गत रिपोर्ट हुई थी और उसके सम्बन्ध में शहजादे का चालान हुआ और आजीवन कारावास का दंड दिया गया तथा हरीराम फरार हो गया? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभियुक्त हरीराम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। हरीराम के विरुद्ध दंड विधि संग्रह की धारा ८७–८८ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। उसकी गिरफ्तारी का प्रयत्न जारी है।

मऊनाथ भंजन से श्री जीवतप्रसाद वर्मा की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*१७३—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ से पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि का कोई शिकायती-पत्र श्री जीवतप्रसाद वर्मा का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और बतायेगी कि उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि† संलग्न है। जांच से आरोप सही नहीं पाये गये।

*१७४–१७६—**श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया** (जिला मेरठ)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१७७—**श्री गंगाप्रसादसिंह**—क्या यह सही है कि अनुशासन कार्यविधि सम्बन्धी जांच समिति ने इस प्रदेशीय सरकार के सम्मुख १९५४ में यह सुझाव रखा था कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करें कि संविधान की धारा ३११ (२) में उचित परिवर्तन करें ताकि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सुगमता पूर्वक शीघ्र हो सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*१७८—**श्री मुकुटबिहारीलाल**—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में अस्पताल

*१७९—**श्री मुकुटबिहारीलाल**—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल किन स्थानों पर खोले गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बाराबंकी जिले में, सात आयुर्वेदिक तथा चार यूनानी अस्पताल निम्नांकित स्थानों पर खोले गये हैं—

१—उवौली	..	..	..	(आयुर्वेदिक)
२—खैरा बोरु	..	..	..	,,
३—हरख	..	..	..	,,
४—देहला	..	..	..	,,
५—टिकैत नगर	..	..	..	,,
६—हतमापुर	..	..	..	,,
७—तिलोकपुर	..	..	..	,,
८—पूरेशाह कामगर	..	..	..	यूनानी
९—सिद्धौर	..	..	..	,,
१०—उस्मानपुर	..	..	..	,,
११—सतरिख	..	..	..	,,

*१८०—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

पुलिस बैंड, फतेहपुर के लिये बन्दूक का लाइसेंस प्राप्त करने वालों से चन्दा

*१८१—**श्री रघुवीरसहाय कैथवार** (जिला फतेहपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पुलिस बैन्ड फतेहपुर के लिये पुलिस से संबंधित बन्दूक का लाइसेंस प्राप्त करने वाले लोगों से चन्दा लिया जाता है? यदि हां, तो सन् १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष में किन-किन व्यक्तियों से और कितना-कितना चन्दा लिया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। इस प्रकार का कोई चन्दा नहीं लिया जाता। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१८२—**श्री रघुवीरसहाय कैथवार**—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

*१८३—श्री बृजेश्वरसहाय—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यापकों को भत्ता

*१८४—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या विकास मंत्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि पिछले जनवरी सन् १९६१ में होने वाले पंचायत चुनाव में कार्य करने वाले अध्यापकों को कोई एलाउन्स दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हां। यात्रिक तथा दैनिक भत्ता दिया गया है।

*१८५—श्री उमाशंकर—यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यापकों को उक्त भत्ता मिला है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जनवरी सन् १९६१ ई० में होने वाले पंचायत निर्वाचन में कार्य करने वाले आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यापकों में से १२२ अध्यापकों को पंचायत निर्वाचन से संबंधित भत्ते का भुगतान किया जा चुका है।

राजकीय महिला चिकित्सालय, भदोही

*१८६—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी में राजकीय महिला चिकित्सालय, भदोही में कितने समय से कोई महिला डाक्टर नहीं है तथा इस संबंध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भदोही महिला चिकित्सालय में दिनांक ७ फरवरी, १९६२ से कोई महिला चिकित्सक नहीं है।

इस समय राज्य में डाक्टरों की बहुत कमी है इस कमी को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अतएव जैसे ही डाक्टर उपलब्ध होंगे, उक्त चिकित्सालय में एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति कर दी जायगी।

राजकीय अराजपत्रित कर्मचारी संघ

*१८७—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मंत्री को उत्तर प्रदेश राजकीय अराजपत्रित कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, ७/१८७, स्वरूपनगर कानपुर को कोई मांगपत्र अप्रैल, १९६२ के अंतिम सप्ताह में मिला है। यदि हां, तो क्या मंत्री उसे सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

उक्त पत्र की प्रति† सदन की मेज पर रख दी गई है।

*१८८—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार किया है। यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि वह संघ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिये नियमानुसार सरकार उसकी मांगों पर विचार करने में असमर्थ है।

*१८९—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—[हटा दिया गया।]

जिला एटा में लालाराम डाकू की मृत्यु

*१९०—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी कुछ दिन पूर्व जिला एटा में लालाराम डाकू किसी उसके साथी के द्वारा ही मार दिया गया था पुलिस द्वारा नहीं और पुलिस को तो काफी विलम्ब से उसकी मृत लाश मिली थी ?

---

†प्रति छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि उक्त डाकू उसके साथी द्वारा मारा गया । पुलिस ने अपने मुखबर की सहायता से उसे मारा था । यह सही है कि उक्त डाकू की लाश देर से मिली । इसका कारण यह है कि उसकी लाश को उसके साथी रात में उठाकर ले गये और बूढ़ी गंगा नदी में फेंक दिया था । दूसरे दिन सुबह तलाश करने पर उसकी लाश बरामद हुई ।

*१९१---**श्री मन्नालाल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लालाराम को मारा हुआ बताकर सरकार से इनाम लेने के लिये कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो किस अधिकारी के नाम से और अब यह कार्य किस स्टेज पर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस संबंध में पुलिस के कुछ कर्मचारी इनाम पाने के हकदार हैं । डी० आई० जी० आगरा रेंज स्वयं इस विषय में जांच करेंगे और जांच समाप्त होने के बाद यह निर्णय किया जायगा कि किसको कितना इनाम दिया जाय ।

*१९२---**श्री मन्नालाल**---क्या सरकार उक्त इनाम की कागजी कार्यवाही को रोक कर इस बात की सही जांच करायेगी कि वास्तव में लालाराम डाकू को किसने मारा उसके साथी ने या पुलिस ने ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसे कोई कागजात नहीं चले हैं, इसलिये उन्हें रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता । डी० आई० जी० आगरा रेंज स्वयं इसकी जांच करेंगे ।

डाक्टरों के त्याग-पत्र

*१९३---**श्री रामायणराय** (जिला देवरिया)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ से १९६२ तक कितने मेडिकल स्नातकों ने (पी० एम० एस० द्वितीय) ग्रेड में नौकरी करना प्रारम्भ किया और इनमें से कितनों ने कुछ दिन काम करने के बाद त्यागपत्र दे दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सन् १९५० से नवम्बर १९५६ तक के पत्रादि सन् १९६० की बाढ़ में नष्ट हो गये थे अतएव उस काल की सूचना उपलब्ध नहीं है । दिसम्बर १९५६ से अब तक ४०४ स्नातकों ने पी० एम० एस० (द्वितीय) में नौकरी करना प्रारम्भ किया और उनमें से ८२ चिकित्साधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिये ।

*१९४---**श्री रामायण राय**---क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनके नौकरी छोड़ने के प्रमुख कारण क्या थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कथित चिकित्साधिकारियों ने बिना किसी शर्त के त्यागपत्र दिये थे, अतएव कारण बताना संभव नहीं है ।

*१९५---**श्री रामायण राय**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने डाक्टरों ने दूसरे राज्यों में और रेलवे में नौकरी कर ली और कितनों ने स्वतंत्र व्यवसाय प्रारम्भ कर दिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसकी सूचना शासन के पास नहीं है, क्योंकि डाक्टरों के त्याग-पत्र दे देने के उपरान्त शासन का उनके आगामी जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता ।

*१९६-१९७---**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**---(जिला टेहरी-गढ़वाल)---[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बलरामपुर तथा तुलसीपुर के राजकीय अस्पतालों में बन्दूक से घायलों का इलाज

*१९८—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ मई, १९६२ से अब तक बलरामपुर तथा तुलसीपुर के राजकीय अस्पतालों में कितने ऐसे घायलों का इलाज किया गया जिनको बन्दूक की गोलियों से घाव लगे थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बलरामपुर के राजकीय अस्पताल में १–५–६२ से २७–७–६२ तक गोली का घायल कोई व्यक्ति नहीं आया ।

इस अवधि में तुलसीपुर के राजकीय अस्पताल में केवल एक ऐसी स्त्री का आउटडोर में उपचार हुआ जो बन्दूक की गोली से घायल हुई थी ।

डिप्टी सेक्रेटरी कोआपरेटिव विभाग का स्थानान्तरण

*१९९—**श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी सेक्रेटरी कोआपरेटिव को कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में कार्य करते ३ वर्ष नहीं हुए ? यदि हो गये हैं, तो उनका तबादला क्यों नहीं किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तीन वर्ष हो गये हैं । सचिवालय में अफसरों के ऊपर तीन वर्ष का नियम नहीं लागू होता ।

अन्तरिम जिला परिषद् के कर्मचारियों की वेतन-बढ़ोत्तरी

*२००—**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या विकास मंत्री तारीख १० मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न १३६ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि ५ रुपये मासिक बढ़ोत्तरी वेतन जिला अन्तरिम परिषद् के कर्मचारियों को क्यों नहीं दी गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अंतरिम जिला परिषद् के कर्मचारियों को ५ रुपये मासिक की बढ़ोत्तरी इसलिये नहीं दी गई, क्योंकि किसी भी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को यह बढ़ोत्तरी नहीं स्वीकृत की गई थी ।

*२०१–२०२—**श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०३–२०४—**श्री राजनारायण मिश्र** (जिला कानपुर)—[हटा दिये गये ।]

यू० पी० शाप्स ऐंड कार्मशियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट, १९४७

*२०५—**श्री सुखलाल** (जिला लखनऊ)—क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ के व्यापारियों की ओर से हजारों की संख्या में माननीय श्रम मंत्राणी महोदया को यू० पी० शाप्स ऐन्ड कार्मशियल इस्टेब्लिशमेन्ट ऐक्ट, १९४७ में अविलम्ब परिवर्तन करने और दूकान के घंटे कम करने के बारे में पत्र प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का पैथालोजी विभाग

*२०६—**श्री मंगलदेव** (जिला आजमगढ़), **श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ के पैथालाजी विभाग में सामानों की खरीद में गड़बड़ी की जांच करने के हेतु उनके द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय कमेटी श्री जोशी की जांच रिपोर्ट उनके पास कब आई, उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा वह सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जांच कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास फरवरी ७, १९६२ में आ गई थी। रिपोर्ट गोपनीय है और सरकार के विचाराधीन है। रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण सरकार के अन्तिम निर्णय लेने में अभी कुछ और समय लगेगा।

थाना इंचार्ज भीराखीरी द्वारा नाजायज असलहे जमा होना

*२०७—**श्री छेदालाल चौधरी** (जिला खीरी)—प्रश्न संख्या ४०, दिनांक २४ मई, १९६२ के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना इंचार्ज भीराखीरी ने हाल ही में श्री आई० जी० पुलिस के खीरी जिले के दौरे के पूर्व कुछ नाजायज असलहे श्री रमेशचन्द्र जी रस्तोगी, परगनाधीश, लखीमपुर के सामने जमा किये और अपना बयान दिया ? यदि हां, तो उन नाजायज असलहों की संख्या और थाना इंचार्ज का बयान क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना इंचार्ज भीरा ने १३ नाजायज असलहे परगनाधीश लखीमपुर के सामने ७-३-६२ को प्रस्तुत किये और बताया कि १४ और नाजायज असलह ग्राम चमनपुरा व आसपास के गांवों में पड़े पाये गये हैं जो ग्राम सभापति ने उठवाकर अपने पास सुरक्षित रखे हैं और वे असलहे भी परगनाधीश के सामने पेश किये जायेंगे।

*२०८—**श्री छेदालाल चौधरी**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो नाजायज असलहा श्री रमेशचन्द्र जी रस्तोगी, परगनाधीश, लखीमपुर के पास भीरा खीरी में जमा किये गये उनके जमा करने वालों की सूची तथा तिथियां क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे नाजायज असलहे ग्रामवासियों ने स्वयं आकर जमा नहीं किये न किसी के व्यक्तिगत कब्जे से निकले, बल्कि पुलिस से आँख बचाकर इधर उधर फेंक दिये। ये असलहे ग्राम सभापतियों तथा पुलिस की गश्त पार्टियों द्वारा पाये गये। एसी स्थिति में उन व्यक्तियों के नाम तथा असलहा जमा करने की तिथियाँ बताना सम्भव नहीं है।

*२०९—**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१०—**श्री शान्तिचन्द** (जिला गोंडा)—[८ वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२११—**श्री शान्तिचन्द**—[आठवें मंगलवार के लिये प्रश्न १०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२१२—**श्री सुखदेवप्रसाद** तथा **श्री हिम्मतसिंह**—[हटा दिया गया।]

*२१३—**श्री सुखलाल**—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

डी० आई० जी० बरेली द्वारा दानेदार की बरखास्तगी

*२१४—**श्री चन्द्रपाल** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान डी० आई० जी०, बरेली ने अपने इस पद पर आने के बाद कितने थानेदार बरखास्त किये और उनके नाम क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान डी० आई० जी० ने अपने इस पद पर आने के बाद केवल एक सब-इन्सपेक्टर श्री रोहताशसिंह को बरखास्त किया।

श्री स० स० त्यागी द्वारा सिविल सर्जन बरेली के विरुद्ध भूख हड़ताल की नोटिस

*२१५—श्री चन्द्रपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में प्रकाशित 'रुहेलखंड' पत्रिका साप्तहिक के सम्पादक श्री स० स० त्यागी द्वारा सिविल सर्जन बरेली के अत्याचारों के विरुद्ध भूख हड़ताल का नोटिस सरकार को मिला है ? यदि हाँ, तो उनकी पूरी शिकायतें क्या हैं और उनके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, श्री स० स० त्यागी की पूरी शिकायतें जो रुहेलखंड पत्रिका साप्ताहिक के दिनाँक ८,१६ मई, १९६२ के अंक में छपी थीं की एक प्रति संलग्न है। यह शिकायत सरकार के विचाराधीन थी, परन्तु इसी बीच में डाक्टर एच० के० रस्तोगी, सिविल सर्जन, बरेली ने बिला पूरी पेंशन हुए, स्वेच्छा से रिटायर होने का प्रार्थना-पत्र दे दिया और इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया, और डाक्टर रस्तोगी को कार्यभर से मुक्त कर दिया।

(देखिये नत्थी 'ढ़' आगे पृष्ठ १००३—१००४ पर)

*२१६-२१८—श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली में खंडसारी उत्पादकों पर बिजली प्रयोग प्रतिबन्ध

*२१९—श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में खंडसारी उत्पादकों के ऊपर पिछले एक वर्ष से अधिक से कई घंटे बिजली प्रयोग करने का प्रतिबन्ध लगा हुआ है जिससे वहाँ के इस महत्वपूर्ण गृह-उद्योग को भारी क्षति पहुंच रही है जिसके विरुद्ध स्थानीय खंडसारी मैन्यूफेक्चरर्स ऐसोसियेशन सरकार का ध्यान दिलाती रही, है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, यह प्रतिबन्ध केवल खंडसारी पर ही नहीं, बल्कि शक्ति से चलने वाले सभी उद्योगों पर लागू है । इस सिलसिले में स्थानीय खंडसारी मैन्यूफैक्चरर्स एसोशियेशन का सरकार के पास कोई पत्र नहीं आया है।

*२२०—श्री जगदीश शरण अग्रवाल—क्या उन क्षेत्रों में बिजली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की बदली हुई परिस्थितियों में सरकार इस प्रतिबन्ध को अविलम्ब हटाने का आदेश जारी कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*२२१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली जिलाधीश ने इस बदली हुई परिस्थिति में उक्त प्रतिबन्धों को हटाने के बजाय गत मास में अनेकों खंडसारी उत्पादकों एवं अन्य लघु-उद्योगों को कुछ मिनट प्रतिबन्ध काल में काम करने के अपराध में नोटिस दिये हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी दी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस विषय में उचित आदेश जारी करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंडित भी किया गया है। इस विषय में सरकार के आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिले में कत्ल व डकैतियां

*२२२—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६२ से मई, सन् १९६२ तक बलिया जिले में किन-किन स्थानों में कितने-कितने कत्ल और डकैती मामले दर्ज किये गये और कितने मुकदमें अदालत में अब तक भेजे जा चुके हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वाँछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ १००५ पर)

*२२३—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पांड़ेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन मुकदमों से संबंधित व्यक्तियों से किसी राजनैतिक पार्टी का संबंध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन अभियुक्तों का किसी विशेष राजनैतिक पार्टी से संबंध नहीं है।

*२२४–२२६—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

हरिद्वार में डिवीजनल प्लानिंग सेमिनार

*२२७—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि हरिद्वार में डिवीजनल प्लानिंग सेमीनार हुआ है ? यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

नियोजन मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जी हाँ।

मई २–४, १९६२ को हरिद्वार में हुई डिवीजनल प्लानिंग सेमीनार की मुख्य-मुख्य सिफारिशों की एक प्रति† माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

अपराधों में राजनीतिक लोगों का हाथ

*२२८—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार यह बतायेगी कि कोई इनक्वायरी मिस्टर मिश्रा ए० आई० जी० के हुक्म से तमाम प्रदेश में कराई गई थी जिसका मकसद यह मालूम करना था कि अपराधों में राजनीतिक लोगों का कितना हाथ रहता है ? यदि यह सही है, तो क्या सरकार उस इनक्वायरी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। इस प्रकार की कोई इन्क्वायरी नहीं कराई गई।

लखनऊ शहर के नखास पुलिस सर्किल में इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट

*२२९—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार यह बतायेगी कि लखनऊ शहर के नखास पुलिस सर्किल में इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट के लागू होते हुये भी खुले आम उसकी अवहेलना होती है ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। स्थिति ऐसी नहीं है कि संबंधित ऐक्ट की खुले आम अवहेलना हो रही है। यदा कदा ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

*२३०–२३१—श्री बसन्तलाल—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

केसा कानपुर के मजदूरों की मांगें

*२३२—श्री उग्रसेन—क्या श्रम मंत्री को केसा कानपुर, मजदूरों की माँगों का सूचित पत्र अप्रैल सन् १९६२ में मिला है ? यदि हाँ,तो उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ।

उनकी प्रमुख माँगों की सूची सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ १००६ पर)

---

† छापी नहीं गई।

जौनपुर इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में परिगणित जाति के लोगों का रजिस्ट्रेशन

*२३३–श्री माताप्रसाद––क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज आफिस में जब से वह खुला है (गत लगभग दो वर्षों से) कुल कितने परिगणित जाति के लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनमें कितने बी० ए० कितने इंटर, कितने हाई स्कूल और कितने कक्षा ८ उत्तीर्ण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––खुलने की तिथि से ३० जून, १९६२ तक २,५०२ व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत कराये, जिनमें से ३४ बी० ए०, १६८ इन्टरमीडियेट, ४८३ हाई स्कूल तथा ३१९ कक्षा ८ उत्तीर्ण थे ।

*२३४–श्री माताप्रसाद––क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बेकार हरिजनों को नौकरी देने के कौन-कौन से प्रयत्न इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज आफिस की ओर से किये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––समय-समय पर जब भी सम्भव हो सका रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु इन अभ्यर्थियों के ब्योरे अन्य अभ्यर्थियों के ब्योरे के साथ नियोजकों को प्रेषित किये गये ।

परगना गोपामऊ में अस्पताल

*२३५––श्री परमाई (जिला हरदोई)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई परगना गोपामऊ में कितने अस्पताल हैं और कितने अस्पताल और खोलने का उसका विचार है और कहाँ-कहाँ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––इस परगने में निम्न अस्पताल हैं––

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल

१––हरियाना
२––मैसरी

अन्तरिम जिला परिषद् आयुर्वेदिक अस्पताल

१–टंडियावाँ
२––अहिरौरी

इसके अलावा राधोपुर में एक ऐलोपैथिक मर्दाना अस्पताल खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*२३६––श्री परमाई––[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३७–२३८––श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)––[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला खीरी में ओल्ड एज पेंशनर्स

*२३९––श्री तेजनारायण त्रिवेदी––क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी में कितने व्यक्तियों को old age pension मिलता है और कितनी दरख्वास्तें ऐसी हैं जिन पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––जिला खीरी में ३० जून, १९६२ को ९६ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती रही है। ५ प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं।

अजीतमल ब्लाक में कर्मचारी का राजनीति में भाग लेना

*२४०--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अजीतमल ब्लाक (इटावा) में कोई कर्मचारी ६ वर्ष से निरन्तर कार्य कर रहा है? यदि हाँ, तो वह कौन है और किस पद पर है?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--इस समय विकास खंड अजीतमल में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है जो ६ वर्ष से निन्तर कार्य कर रहा हो।

*२४१- **श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**--क्या यह सच है कि वह ६ वर्ष के निरन्तर जनता के सम्पर्क के कारण स्थानीय राजनीति में भाग लेने लगे हैं और वहाँ की किसी स्थानीय सार्वजनिक शिक्षा संस्था में किसी पद पर भी चुने गये हैं? यदि हाँ, तो वहाँ कौन सी संस्था है और वह कब किस पद पर चुने गये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--प्रश्न नहीं उठता है।

*२४२-२४४-- **श्री राम प्यारे** (जिला मिर्जापुर)--[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर में भारी उद्योग

*२४५--**श्री रफी खां** (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर शहर सरकार द्वारा भारी उद्योग लगाये जाने वाले प्लान के नक्शे में था? अब तीसरी पंचसाला योजना के प्लान के नक्शे में है, या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों, अगर है, तो इस सिलसिले में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा भारी उद्योग लगाये जाने वाली योजना में शाहजहांपुर नहीं था और न है। भारी कारखानों की स्थिति का चुनाव किसी स्थान विशेष की औद्योगिक अनुकूलता के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भारी कारखाने लगाये जा चुके हैं या लगाये जा रहे हैं उनके लिये शाहजहांपुर उपयुक्त नहीं समझा गया।

*२४६--**श्री जे० पी० मिश्र**--[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*२४७-२४८--**श्री रफी खां**--[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला पंचायत कार्यालय, नैनीताल में निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेख

*२४९--**श्री खुशी राम** (जिला पिठौरागढ़)--क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत कार्यालय, नैनीताल में पंचायत सम्बन्धी अभिलेखों की प्रतिलिपियां चाहने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र कितने समय से जनता के पड़े हुये हैं और ऐसे प्रार्थना-पत्रों की आज तक सुनवाई न किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल में पंचायत निर्वाचन संबंधी अभिलेखों की प्रतिलिपियां चाहने हेतु माह जून, १९६१ के दो प्रार्थना-पत्रों पर इस लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि प्रार्थी ने निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क अभी तक जमा नहीं किया है।

*२५०--**श्री खुशीराम**--क्या यह सही है कि जिला पंचायत कार्यालय, नैनीताल से नियमानुसार अभिलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त न होने की शिकायतें निदेशक, पंचायत राज को प्राप्त हुई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां। शिकायतों पर उचित कार्यवाही की गई।

पंडित परमेश्वर नाथ पांडेय के यहां डकैती की रिपोर्ट

*२५१—श्री धूमप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंडित परमेश्वर नाथ पांडेय, सा० पूरे पाड़े, थाना इनायतनगर, जिला फैजाबाद के यहां २८, २९ अप्रैल, १९६२ की रात्रि को डकैती हुयी जिसकी रिपोर्ट इंचार्ज थाना ने नहीं लिखी ? यदि हां, तो सके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२८/२९ अप्रैल, १९६२ की रात्रि को श्री परमेश्वरनाथ पान्डेय के यहां कोई डकैती नहीं हुई, प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*२५२—श्री धूम प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डकैती और कत्ल की रिपोर्ट के लिखाने में कोई अमानत भी जमा करनी पड़ती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। कोई अमानत जमा नहीं करनी पड़ती।

*२५३—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—[हटा दिया गया।]

मेडिकल हेल्थ विभाग के नर्सिंग स्टाफ को सालाना इंक्रीमेंट

*२५४—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मेडिकल हेल्थ विभाग के नर्सिंग स्टाफ जिनकी नौकरी स्थायी है उनको ही सालाना इन्क्रीमेंट दिया जाता है और जो नर्सिंग स्टाफ कनफर्म्ड नहीं है उनको नहीं दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो नर्सिंग स्टाफ पूर्णतः अस्थायी है, उन्हें कनफर्म्ड नर्सिंग स्टाफ की भांति वेतन क्रम में सालाना इन्क्रीमेन्ट दिया जाता है। किन्तु जिन नर्सों को स्थायी करने के सिलसिले में दो वर्ष के प्रोबेशन पर रख दिया जाता है उन्हें उनका प्रोबेशन समाप्त हो जाने पर कनफर्म्ड करने के पश्चात् ही वेतन क्रम में सालाना इन्क्रीमेंट दिया जाता है।

फर्रुखाबाद जिला के न्यायाधीश द्वारा उर्दू सीखने का आदेश

*२५५—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि फर्रुखाबाद के इस समय मौजूदा जिला न्यायाधीश ने अपने समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिया है कि यदि उन्हें आगामी तीन मासों में उर्दू लिखने तथा पढ़ने का समुचित ज्ञान नहीं हो जाता तो उनकी पदोन्नति ही नहीं केगी वरन अस्थायी पदों पर कार्य करने वालों की सेवाएं तक समाप्त कर दी जावेंगी ? यदि हां, तो ऐसी आज्ञा का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

यह प्रतीत होता है कि जिला न्यायाधीश ने किसी ग़लतफ़हमी से एक पुराने रूल की बुनियाद पर यह आदेश निकाले थे। इसके बारे में सरकार इस समय हाई कोर्ट से परामर्श कर रही है।

पी० एम० एस० द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में प्रमोशन

*२५६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि P. M. S. II. से P M. S. I में ५० प्रतिशत प्रमोशन में लिये जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*२५७—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि उक्त निर्णय के पश्चात् प्रति वर्ष कितने P. M. S. II से P. M. S. I में प्रमोशन हुए ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१९५१ में ५ अस्थायी रूप से
१९५२ में ६ अस्थायी रूप से
१९५३ में १ अस्थायी रूप से
१९५४ में १ अस्थायी रूप से
१९५५ से ४ अस्थायी रूप से
१९५६ में २८ अस्थायी रूप से
१९५७ में १८ अस्थायी रूप से
१९५८ में २ अस्थायी रूप से
१९५९ में १५ अस्थायी रूप से
१९६० में ५ अस्थायी रूप से
१९६१ में २१ अस्थायी रूप से
१९६२ में १४ अस्थायी रूप से

१२०

---

*२५८---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि उक्त निर्णय के पश्चात् कितने P. M. S. I डाइरेक्ट लिये गये ? इन सभी का प्रमोशन सेवा आयोग से अप्रूव कराया था या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१९५१ से अब तक कुल ८५ डाक्टर पी० एम एस० (प्रथम) में डाइरेक्ट लिये गये जिसमें से ११ ने ज्वाइन नहीं किया या छोड़ गये। इस समय उनमें से ७४ कार्य कर रहे हैं। चूंकि यह डाइरेक्ट रिक्रूट थे और इन ७४ में से केवल ८ को छोड़कर बाकी सब लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रूव किये जाने के बाद ही पी० एम० एस० (प्रथम) में लिये गये थे, अतः उनके प्रमोशन अप्रूव कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरठ तथा बुलन्दशहर के जिलाधीशों द्वारा बिजली के कनेक्शनों की स्वीकृति

*२५९---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बिजली के कनेक्शन दिये जाने के अधिकार उसने जिलाधीशों को दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। लघु उद्योगों के लिये प्रत्येक केस में २५ हा० पा० तक बिजली स्वीकृत करने के अधिकार कुछ जिलाधीशों को ३ मार्च, १९६२ को और कुछ को २५ अप्रैल, १९६२ को दिये गये हैं।

*२६०---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जब से जिलाधीशों को बिजली के कनेक्शन दिये जाने के अधिकार दिये हैं तब से जिला मेरठ व बुलन्दशहर में कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधीशों के पास आये और कितनों को उन्होंने बिजली दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिला मेरठ में, ३० जून, १९६२ तक, ५२१ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, उनमें से ९९ प्रार्थियों को जिलाधीश ने बिजली स्वीकृत की तथा जिला बुलन्दशहर में १५२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से ४० को जिलाधीश ने बिजली स्वीकृत की।

कानपुर के चीफ इन्स्पेक्टर आफ फैक्ट्रीज के कार्यालय में नियुक्तियां

*२६१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के चीफ इंस्पेक्टर आफ फैक्ट्रीज के कार्यालय में १९५७ से पहले नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की सेवाएं नान ट्रांसफरेबिल थीं ? यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों का ट्रांसफर विभिन्न स्थानों को किन नियमों के आधार पर किया गया और उन्हें क्या सुविधाएं दी गयीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस प्रश्न के प्रथम भाग से जहां तक सम्बन्ध है यह मामला न्यायार्थ (Sub-judice) एक रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के विचाराधीन है।

१९५७ में फैक्ट्रीज इन्स्पेक्टरेट के विकेन्द्रीकरण होने पर मुख्य कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय को ७८ कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये अलग से कोई स्टाफ स्वीकृत नहीं हुआ था। १९५७ के बाद अब तक ७५ कर्मचारियों का या तो प्रशासकीय कारणों या पदोन्नति पर अथवा आपसी प्रार्थना पर ट्रांसफर किया गया है।

*२६२—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विभाग में लीव अरेन्जमेंट में की जाने वाली उच्च नियुक्तियों का आधार क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—साधारणतया लीव अरेन्जमेन्ट जब दो मास से कम अवधि का होता है तो उच्च पदों को उसी क्षेत्र या प्रधान कार्यालय, जहां भी स्थान रिक्त हो, के कर्मचारियों को ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति देकर भरा जाता है, परन्तु दो मास से अधिक समय के लिये रिक्त उच्च पदों पर नियुक्ति सभी क्षेत्रों तथा मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों की ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है।

*२६३-६४—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६५—श्री रघुवीर—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

टिकरी के श्री हरचन्दमल जैन द्वारा अस्पतालों की इमारत का निर्माण

*२६६—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अब से लगभग ४ वर्ष पूर्व टिकरी जिला मेरठ के हरचन्दमल जैन ने एक इमारत जनाने तथा मर्दाने अस्पताल का निर्माण करा कर सरकार से अनुरोध किया था कि उक्त इमारत को सरकार अपने हाथ में ले कर अस्पताल में उचित स्टाफ की व्यवस्था करे ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

मगर भवन के सरकार को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में काफी अर्से तक लिखा-पढ़ी होती रही और चूंकि अभी तक दानी ने इस भवन को इस सरकार के हवाले नहीं किया है, इसलिये इसमें अभी तक चिकित्सालय स्थापित नहीं किया जा सका। अब आवश्यक कागजात शासन को प्राप्त हुए हैं। इन पर कानूनी कार्यवाही होने के पश्चात् इस भवन में चिकित्सालय खोलने का प्रयत्न किया जायेगा।

राज्य समाज कल्याण द्वारा कैसरबाग कोतवाली में गबन की रिपोर्ट

*२६७—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य समाज कल्याण उत्तर प्रदेश की ओर से कैसरबाग कोतवाली में दिनांक ११ दिसम्बर, १९६१ को कोई रिपोर्ट गबन की लिखाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त मामले का पूर्ण विवरण क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य समाज कल्याण उत्तर प्रदेश की ओर से कोई रिपोर्ट गबन की ११-१२-१९६१ को नहीं लिखाई गई।

बढ़ापुर में बिजली की मांग

*२६८—श्री बसन्तसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बढ़ापुर जिला बिजनौर में बिजली की लाइन कब तक लगेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है और उसके पूरा होने के बाद ही उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

जिला फैजाबाद के ग्राम प्रधानों तथा ब्लाक प्रमुखों का रिहन्द बांध, नैनी, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री देखना

*२६९—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फैजाबाद से २५ फरवरी, १९६२ को ग्राम प्रधानों तथा ब्लाक प्रमुखों का कोई प्रतिनिधि मंडल, उत्तर प्रदेश के रिहन्द बांध, नैनी, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री आदि देखने को सरकार की तरफ से भेजा गया है? यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मंडल के लिये कितना धन सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ और कितना खर्च हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

*२७०—श्री सुखरामदास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित ब्लाक प्रमुखों ने कोई शिकायत सरकार के पास भेजी है कि उनकी उपर्युक्त यात्रा में पुलिस ने उन्हें परेशान किया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

विकास आयुक्त, कार्यालय में कर्मचारी

*२७१—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास आयुक्त कार्यालय में लोअर वर्ग और अपर वर्ग की अब तक कितनी जगहों का स्थायीकरण स्वीकृत हो चुका है व शासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या नियम बनाये गये हैं तथा कितने लोग स्थायी रूप से इस समय कार्य कर रहे हैं और शेष लोग कब तक स्थायी किये जायेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास आयुक्त कार्यालय में अब तक २९ प्रवर वर्ग तथा ४४ अवर वर्ग की जगहों का स्थायीकरण हो चुका है। जो पद तीन वर्ष से या तीन वर्ष से अधिक अस्थायी रूप से चले आते हैं उनमें से ६६ प्रतिशत स्थायी किये जाते हैं। उक्त पदों पर ३ प्रवर वर्ग तथा २ अवर वर्ग सहायक ही स्थायी किये जा सके हैं। शेष लोगों को स्थायी घोषित करने के प्रश्न पर निकट भविष्य में ही निर्णय लिया जायेगा।

अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*२७२—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नियम है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई सामान्य नियम जारी नहीं किये गये हैं।

जिलाधीश रायबरेली की यादगार

*२७३—श्री रतीपाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश महोदय, रायबरेली अपने नाम की यादगार रायबरेली में बनवाने जा रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*२७४—श्री रतीपाल—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जिलाधीश महोदय, रायबरेली अपनी यादगार बनवाने के लिये अपने अधीन कार्य करने वाले एक चपरासी की भूमि लेने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके पास उक्त भूमि के अतिरिक्त और कोई भूमि नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

जिला रायबरेली के खेतिहर मजदूरों की मजदूरी

*२७५—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के खेतिहर मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन दिलाने की क्या कोई योजना बनायी गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

*२७६—श्री भगवानदीन—यदि इसका सरकार द्वारा कोई नियम बनाया गया है तो वह किन-किन जगहों पर लागू किया गया है और क्षेत्र तहसील महराजगंज जिला रायबरेली में ३ दिन परिश्रम करने के बाद केवल एक रुपया परिश्रमीगण मजदूर को दिया जाना क्यों चालू है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ व उसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम प्रदेश के सभी प्रकार के कृषि निकायों पर लागू हैं। क्षेत्र तहसील महराजगंज जिला रायबरेली में ३ दिन परिश्रम करने के बाद १ रुपया मजदूरी परिश्रमीगण को दिये जाने की कोई सूचना अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कासगंज निवासियों को उद्योग विभाग से कर्ज

*२७७—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग कस्बा कासगंज तहसील कासगंज के किस-किस निवासी को कितना-कितना रुपया १९६०, १९६१, १९६२ में कर्ज के रूप में दिया गया और किस उद्योग के लिये ?

श्री फूलसिंह—ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत कस्बा कासगंज में वित्तीय वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया उनकी सूचना सदन को मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ १००७ पर)

आमवाली में डकैती

*२७८—श्री सरदारसिंह (जिला सहारनपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आमवाली थाना झिन्झाना, जिला मुजफ्फरनगर में ८/९ अप्रैल, १९६२ की रात्रि में डकैती पड़ी जिसमें मौके पर दो डकैतों को गोली लगी जो पिडोरा गांव में घायल पड़े हैं पर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम आमवाली, थाना झिन्झाना, जिला मुजफ्फरनगर, में ८ अप्रैल, १९६२ को करीब साढ़े आठ बजे रात्रि में डकैती पड़ी थी । पुलिस और डाकुओं के बीच गोली चली जिसके फलस्वरूप दो डाकू घायल हुये और गिरफ्तार किये गये ।

यह गलत है कि कोई घायल डाकू मौजा पिडौरा-गांव में रहा हो और पुलिस ने गिरफ्तार न किया हो ।

इनायतनगर थाने में श्री हरिशरन की रिपोर्ट

*२७९—श्री धूमप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद के थाना इनायतनगर में श्री हरिशरन ने होली के पहले खतरे की रिपोर्ट लिखाई थी ? यदि हां, तो होली के दूसरे दिन हरिशरन के कत्ल होने में इंचार्ज ने कोई रोकथाम की थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक २१-३-६२ को श्री हरिशरन ने थाने पर एक non cognisable रिपोर्ट अवश्य दर्ज कराई थी पर उसमें जान के खतरे का उल्लेख नहीं था। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बसरिया ग्राम के श्री रामदास की ट्रक से कुचल कर मृत्यु

*२८०—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले के थाना मऊरानीपुर के अन्तर्गत बसरिया ग्राम का रामदास नामक विद्यार्थी दो मास पूर्व ट्रक से कुचल कर मर गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। दिनांक ९-४-६२ को उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मऊरानीपुर में की गई।

*२८१—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—यदि हां, तो मऊरानीपुर पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस द्वारा जांच की गई किन्तु ट्रक व ड्राइवर का कोई पता नहीं चला। जिलाधीश द्वारा जांच जारी रखने के आदेश दे दिये गये हैं।

मऊरानीपुर में जुआ

*२८२—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—क्या सरकार झांसी जिले के मऊरानीपुर कस्बे में बढ़ते हुये जुआं को रोकने के लिये प्रयत्नशील है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। जुए की हर रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच कर अपराधियों का चालान किया। गत तीन वर्षों के (१९५९, १९६० व १९६१) १३ मामले पुलिस ने चालान किये तथा उनमें से १२ में अभियुक्तों को न्यायालय से सजा हुई।

*२८३-२८४—श्री इन्द्रासन (जिला आजमगढ़)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८५-२८६—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

कटरी क्षेत्र का जरायम का अड्डा बनना तथा वहां पुलिस चौकियों की स्थापना

*२८७—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले का कटरी क्षेत्र जरायम का अड्डा बना हुआ है यह क्षेत्र कानपुर, हरदोई और उन्नाव जिले के जरायम का मुख्य स्थान हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कटरी क्षेत्र की सीमायें कानपुर तथा हरदोई जिलों से मिली होने के कारण उक्त जिलों के अपराधी इस क्षेत्र में अक्सर जरायम करते ह तथा अपने जिलों में लौट जाते हैं। पुलिस अपराधियों के प्रति सतर्क व क्रियाशील है। हाल ही में राम भजन सिंह नामक अपराधी जिसका दल कुछ दिनों से अपराध कर रहा था पुलिस द्वारा मारा गया एवं उसके साथी डकैती के मामले में पकड़े जा चुके हैं। अब स्थिति सामान्य है।

*२८८—श्री गोपीनाथ दीक्षित—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील के कटरी क्षेत्र में थाने के अतिरिक्त कुछ पुलिस चौकियों की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं, जिससे उस क्षेत्र का जरायम कम हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— जी नहीं ।

बाराबंकी जिले में रक्षा समितियां व डकैतियां

*२८९—गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)— क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में अब तक क्या रक्षा समितियों का निर्माण हुआ है ? यदि हाँ, तो थानेवार उनकी संख्या क्या है और क्या उन रक्षा समितियों के पास बन्दूकों की व्यवस्था की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— बाराबंकी जिले में रक्षा समितियों का निर्माण हुआ है । ऐसी रक्षा समितियों की थानेवार संख्या संलग्न तालिका में दी हुई है। इन रक्षा समितियों के सदस्यों के पास बन्दूकें हैं। इसके लिए आवश्यक आदेश हैं।

*२९०—श्री गिरजाप्रसाद—१९६१-६२ में कितनी ग्राम रक्षा समितियों की ओर से बन्दूक के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं तथा कितनों को लायसेंस दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— १९६१-६२ में कुल १७६ प्रार्थना-पत्र बन्दूक के लाइसेंस के लिए ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों से प्राप्त हुए जिनमें से ४८ को लाइसेंस दिए गए हैं। शेष के प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं।

*२९१—श्री गिरजाप्रसाद— १९६१-६२ वर्ष में बाराबंकी जिले में थानेवार डकैतियों की संख्या क्या है ? क्या जिनके घर डकैतियां पड़ीं उन्होंने बन्दूक के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी या हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— १९६१-६२ में बाराबंकी जिले में पड़ी डकैतियों की थानेवार संख्या संलग्न तालिका में दी गयी है। जिन व्यक्तियों के घर डकैतियां पड़ीं उनमें से १३ लोगों ने बन्दूक के लिए प्रार्थना-पत्र दिए थे जिनमें से १२ को लाइसेंस दिए गए और शेष १ का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'द'. आगे पृष्ठ १००८ पर)

करहल तहसील के देहात में पुलिस चौकियां

*२९२—श्री रामसिंह— क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी की तहसील करहल में कितनी पुलिस चौकियाँ देहात में कायम की गयी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— करहल तहसील के देहात में कोई पुलिस चौकी नहीं है।

*२९३-२९५—डाक्टर सियाराम गंगवार (जिला फर्रुखाबाद)— [२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये]

बभनान गन्ना कोआपरेटिव यूनियन का भवन

*२९६—श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बभनान गन्ना कोआपरेटिव यूनियन के भवन बनवाने के लिये कितनी लागत निश्चित की गयी थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—बभनान कोआपरेटिव यूनियन के भवन बनाने के लिये १,०७,७५० रुपये की अनुमानित धनराशि निश्चित की गई थी।

*२९७—श्री रामलखन सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि यह इमारत बिलकुल कमजोर तैयार की गई थी और वह गिर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी नहीं। भवन के किसी भाग के गिरने की सूचना नहीं मिली है। भवन की दीवारों तथा छतों पर चटखने के चिन्ह तथा फर्श के सीमेंट प्लास्टर के टूटने की सूचना गन्ना आयुक्त को मिली है।

*२९८—श्री रामलखन सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस भवन निर्माण में काफी रकम का गोलमाल है और इसी कारण अब तक इंजीनियर द्वारा केन यूनियन द्वारा निर्मित भवन का निरीक्षण व जांच नहीं की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*२९९-३००—श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)—[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

नवाबाद थाने में कत्ल, डकैतियां व चोरियां

*३०१—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी थाना नवाबाद की हद में १ जनवरी, १९५९ से अप्रैल, सन् १९६२ तक कितने कत्ल, डकैतियां तथा चोरियां हुईं, जिनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है ?

*३०२—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५९ से अप्रैल, १९६२ तक कत्ल, डकैतियों तथा चोरियों में कितने अभियुक्त पकड़े गये व उनमें से कितने मुकदमों में अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया व कितने अभियुक्त अदालतों द्वारा छोड़ दिये गये ?

*३०३—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५९ से अप्रैल, ६२ तक की अवधि में कत्ल व डकैती तथा चोरियों के ऐसे कितने मामले हुये जिनमें नवाबाद पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी न की जा सकी व कितने अपराधों का पता नहीं चल सका ? मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि थाना नवाबाद के एस० ओ० श्री चन्द्रपाल सिंह कितने वर्षों से थाना नवाबाद पर एस० ओ० के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अपराधों के बारे में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

एस० ओ० श्री चन्द्रपाल सिंह थाना नवाबाद में १४-११-५८ से ७-३-६२ तक और फिर १-५-६२ से १५-६-६२ तक थानाध्यक्ष के पद पर रहे।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ १००९ पर)

सिलिका सेन्ड, माइन्स ऐंड मिनिरल्स (रेगुलेशन ऐंड डेवलपमेंट) ऐक्ट तथा मिनिरल कनसेशन्स रूल्स

*३०४—श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि खनिज पदार्थ सिलिका सेन्ड की माइनिंग लीज तथा प्रास्पैक्टिव लाइसेंस की मंजूरी के लिये माइन्स ऐन्ड मिनरल्स (रेगुलेशन ऐंड डेवलपमेंट) ऐक्ट तथा मिनरल कन्सेशन्स रूल्स के अन्तर्गत जो आवेदन-पत्र सरकार को पिछले तीन वर्ष १९५९, १९६० तथा १९६१ में जिला इलाहाबाद तथा बांदा से प्राप्त हुये हैं उनका निर्णय नियमानुसार नौ महीने के अन्दर करने में सरकार क्यों असमर्थ रही ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो प्रार्थना-पत्र आये उनमें से दो का निस्तारण किया जा चुका है। शेष प्रार्थना-पत्रों में माइनिंग लीज या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स देना उचित नहीं समझा गया।

*३०५--श्री नौनिहालसिंह चौधरी--क्या यह सच है कि इन आवेदन-पत्रों का प्रदेशीय सरकार द्वारा नियमानुसार नौ महीने के अन्दर निर्णय न होने के कारण विवश होकर प्रार्थियों को केन्द्रीय सरकार में रिव्यू प्रार्थना-पत्र देना पड़ी, जिस पर केन्द्रीय सरकार ने निर्णय करने का समय बढ़ा दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--केवल ९ प्रार्थियों ने केन्द्रीय सरकार में रिवीजन किया। शेष ५ प्रार्थियों ने कोई रिवीजन नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार ने प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के लिये समय बढ़ा दिया है।

फिरोजाबाद के कारखानों व कांच उद्योग को कोयला

*३०६--श्री शिवचरण (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले ६ माह में फिरोजाबाद में किन नये कारखानों को कोयले का नया कोटा दिया गया और किन पुराने कारखानों का इसी अवधि में बढ़ाया गया, नया कोटा दिये जाने के क्या आधार थे ?

श्री फूलसिंह--पिछले ६ महीनों में १२ कांच के नये कारखानों को जिनके नाम नत्थी 'क' में दिये गये हैं थोड़ा (Token) कोयला दिया गया। पिछले ६ महीने में किसी भी पुराने कारखाने को पहले से अधिक कोयले का कोटा नहीं दिया गया। नये कोटा दिये जाने का कारण यह था कि जिन उद्योगपतियों ने रुपया लगाकर कारखाना बना लिया है उनको कुछ न कुछ कोयले के रूप में सहायता देना जरूरी समझा गया।

*३०७--श्री शिवचरण--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फिरोजाबाद के कांच उद्योग को दिये जाने वाले कोयले की वितरण-व्यवस्था की क्या पद्धति है और क्या इस पद्धति पर वितरण करने वाले अधिकारियों ने ठीक ढंग से अमल किया है ?

श्री फूलसिंह--कोयला के वितरण पद्धति के अनुसार फीरोजाबाद के कांच के कारखाने चार हिस्सों में विभाजित किये जा सकते हैं। पहले वे जो डेवलपमेंट ऐण्ड रेगुलेशन ऐक्ट (Development and Regulation Act) में रजिस्टर्ड थे। दूसरे चूड़ी के कारखाने, तीसरे छोटे-छोटे और कारखाने व चौथे नये कारखाने। पहले वर्ग के कारखानों को कोयला उनके पिछले खर्च उत्पादन व उपलब्धि (availability) के मुताबिक दिया जाता है। दूसरे वर्ग में कांच चूड़ी के कारखानों को एक दूसरे से मिलकर कम्बिनेशन (combination) बनाने का अधिकार है। कम्बिनेशन को १० व पृथक कार्य करने वाले कारखाने को ७ के अनुपात से कोयला दिया जाता है। किसी अवधि में कम्बिनेशन को तथा पृथक चलाने वाले को कितना कोयला दिया जाता है इस बात पर निर्भर है कि कोयला कितना है। तीसरे वर्ग को कोयला उनके पिछले व उत्पादन तथा उपलब्धि (availability) के अनुसार दिया जाता है। चौथे वर्ग को केवल थोड़ा-सा (token allotment) कोयला दिया जाता है।

सरकार का ख्याल है कि अधिकारियों ने उन नियमों के अनुसार ही कोयला बांटा है जो इस विषय में निश्चित किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ १०१० पर)

अतारांकित प्रश्न

औरैया में डाक्टर केदारनाथ अग्रवाल का अस्पताल

१--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि औरैया जिला इटावा में डाक्टर जैन के संरक्षण में एक नेत्र चिकित्सालय चल रहा है और वह नेत्र रोग के रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा करता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--औरैया जिला इटावा में डाक्टर केदारनाथ अग्रवाल के संरक्षण में एक नेत्र चिकित्सालय चल रहा है और वहां निःशुल्क चिकित्सा होती है। डाक्टर जैन संभवतः उन्हीं का उपनाम है।

२--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--यदि हां, तो क्या उन्होंने हाल में किसी वित्तीय सहायता की याचना की है ? यदि हां, तो क्या कोई सहायता दी गई है अथवा सहायता देने के संबंध में विचार किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उन्होंने सितम्बर, १९६१ में तथा मार्च, १९६२ में वित्तीय सहायता की याचना की थी। किन्तु शासन ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी और इसकी सूचना भी उनको दे दी थी।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को उत्पादन बोनस

३--श्री ऊदल--क्या सरकार चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को उत्पादन बोनस देने पर भी विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

४-७--श्री भगवानदास यादवेन्दु--[२३ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मैनेजर (जिला बलिया)--श्रीमन्, आपने मुझे आज्ञा दी थी, प्रश्नों के बाद कहने के लिये। वही मैं कहना चाहता हूं। मुझे खेद है, आप माफ करेंगे, प्रश्नों के सिलसिले में जो पूरक प्रश्नों की इजाजत आप देते हैं, उसमें बहुत से महत्व के प्रश्न ऐसे आते हैं जिन पर पूरक प्रश्न का पूरा मौका नहीं मिलता है। जैसे आज ही प्रश्न संख्या ३ मेडिकल कालेज में जांच के सिलसिले में था उस पर बिलकुल ही पूरक प्रश्न करने का हमको मौका नहीं मिला। इसमें जिस डाक्टर के खिलाफ शिकायत थी उसकी पदोन्नति कर दी गई है, वह रीडर के बजाय हैड आफ दी डिपार्टमेंट बना दिया गया है। पिछली कार्यवाही में मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी जांच करा कर रिपोर्ट देंगे। तो साल भर जांच हुई और ६ महीने से जांच की रिपोर्ट पड़ी हुई है। इस सिलसिले में माननीय गौरीशंकर राय जी ने पत्र लिखा था मुख्य मंत्री जी को तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्यवाही करेंगे। उन डाक्टर एस० पी० गुप्ता साहब की तरक्की कर दी गई।

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--माननीय उग्रसेन जी का एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया है, इस को मैंने अभी देखा नहीं। इसको देख कर अपना फैसला दूंगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--श्रीमन्, किसके खिलाफ है ?

श्री अध्यक्ष--मैंने देखा नहीं है अभी। शायद स्वास्थ्य-उपमंत्री, श्री धर्मसिंह ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में कुछ कहा है उसी के बारे में है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, हमको कहने की इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष--जब लूंगा, तब कहियेगा।

कार्य-स्थगन तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है और एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना आयी है जो एक ही विषय से संबंधित हैं । कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री शराफत हुसैन रिज़वी ने दी है और नियम ५२ में माननीय रियासत हुसैन ने । कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने स्वीकार नहीं किया है और न नियम ५२ को ही स्वीकार कर रहा हूं । इस सम्बन्ध में मंत्री जी से अवश्य निवेदन करूंगा कि वह केवल वक्तव्य दे दें । माननीय शराफ़त हुसैन रिज़वी की सूचना इस प्रकार से है :

"बरेली रबर फैक्ट्री के निर्माण का कार्य ल्यूम्स कम्पनी पिछले लगभग १ वर्ष से कर रही है । इस कम्पनी में लगभग ३,९४९ कार्यकर्ता लगे हुए हैं । इन कार्यकर्ताओं को अनेक असुविधाओं का सामना प्रारम्भ से अब तक करना पड़ रहा है । मैनेजमेंट का रुख उन्हें आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित किये हुए है । अब इस निर्माण कम्पनी का काम लगभग ५ महीनों का रह गया है तथा यह कम्पनी कार्यकर्ताओं की छटनी बड़ी तेजी से इसलिये कर रही है ताकि उन्हें भविष्य में छटनी रिलीफ़ न देना पड़े । यह इस बात से जाहिर है कि एक ओर तो छटनी हो रही है और दूसरी ओर नये कार्यकर्ता रखे जा रहे हैं, जिसके कारण मजदूरों में घोर असंतोष है तथा उन्होंने ७-८-६२ से पूर्ण हड़ताल कर दी है जिसके कारण इस विशाल रबर फैक्ट्री का निर्माणकार्य पूर्णरूप से रुक गया है । तथा गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा किसी भी समय शान्ति भंग हो सकती है ।

अतः इस अति आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है ।"

और माननीय रियासत हुसैन रिजवी की इसी आशय की नियम ५२ के अंतर्गत सूचना है । यदि माननीय श्रम मंत्री इस संबंध में वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---इस वक्त मैं कुछ नहीं बतला सकती । इतना ही बतला सकती हूं कि दिल्ली में लेबर कांफ्रेंस के सिलसिले में यह खबर मुझे मिली थी कि कोई स्ट्राइक हुई है । मैंने लेबर सेक्रेटरी से कहा है कि पूरी तहकीकात करके वह मुझे रिपोर्ट दें । इसलिये हाउस को कल जवाब देना मुश्किल होगा । मुझे टाइम चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---आपको केवल वक्तव्य देना है । वह २० तारीख को आप दे सकती हैं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---इसके ऊपर कब बयान दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---२० तारीख को ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---२० तो बहुत दूर है । कल असेम्बली बन्द हो रही है । एक ही कारखाने का सवाल है । बरेली से सूचना शाम तक आ सकती है ।

श्री अध्यक्ष---मैं उनसे पूछूंगा कि कल तक वह दे सकती हैं या नहीं ।

सर्वश्री मैनेजर सिंह, गेंदासिंह और कल्पनाथसिंह की दो सूचनायें और आई हैं । यह भी मैं राजस्व मंत्री जी को भेजे दे रहा हूं ।

एक सूचना माननीय शिवनाथसिंह की नियम ५२ के अन्तर्गत जे० के० रेयन मिल की हड़ताल के संबंध में आई है । वह इस प्रकार है :---

"जे० के० रेयन मिल कानपुर में १६ जनवरी, १९६२ से होने वाली हड़ताल के संबंध में मिल मालिक की ओर से मजदूरों को नौकरी से निकालने की दमनात्मक कार्यवाही की गई जिसको

[श्री अध्यक्ष]

शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने के लिये मिल मालिक और मिल मजदूरों के बीच होने वाले समझौते के फलस्वरूप एक स्क्रीनिंग कमेटी नियुक्त की गई जो ५ हफ्ते के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे । उक्त कमेटी को नियुक्त हुए अब तक लगभग चार महीने होने आये फिर भी उक्त कमेटी ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की । यद्यपि इस कमेटी के फैसले कराने की जिम्मेदारी लेबर सदस्य, लेबर कमिश्नर पर थी । मिल मालिकों ने मजदूरों की विवशता को पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिये, ताकि वे भाग जायं, लेबर क्वार्टर खाली कराने की कार्यवाही सरकारी अधिकारियों द्वारा करवा रहे हैं । सरकारी अधिकारियों ने मिल मालिकों के उकसाने पर मजदूरों के ऊपर कई झूठे मुकदमें चला रखे हैं और उनको बराबर तंग किया जा रहा है । इस प्रकार इस समय दमनात्मक कार्यवाही के शिकार २०० से अधिक उक्त मिल के मजदूर भोजन भुखमरी से ग्रस्त हैं । स्थिति चिन्ताजनक एवं विस्फोटक है और उससे शहर के मजदूरों एवं सामान्य जनता में भीषण असंतोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय श्रम मंत्री का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।"

इसको भी मैं माननीय श्रम मंत्री के पास भेजे दे रहा हूं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इसको भी २० तारीख तक के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---तब तक के लिये माननीय मंत्री यह आदेश कर दें कि मजदूर क्वार्टर्स से न निकाले जायं । श्रम विभाग यह कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष---हमें इतना विश्वास है कि वह अपना कर्तव्य पालन करेंगे ।

मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब दो अविश्वास के प्रस्ताव मेरे पास आये हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, दफा ५२ के अन्तर्गत मैंने आपको एक सूचना दी थी, उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---पहले तो एक, जिसको महत्वपूर्ण मैं समझूं और उसको स्वीकार कर लूं तो दूसरे का प्रश्न नहीं उठता है । और उसके संबंध में अगर आप आदेश देखना चाहें तो आफिस में देख सकते हैं । यह तो साधारण नियम है ।

अब, जैसा कि मैंने पहले कहा, अविश्वास के प्रस्ताव की दो सूचनायें आयी हैं । एक है वर्तमान मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ।

"माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन वर्तमान मंत्रिमण्डल में अविश्वास प्रकट करता है ।"

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । श्रीमन्, अविश्वास के प्रस्ताव की जो सूचना आपको मिली है आप उसको पढ़ने लगे । इस संबंध में मैं नियम २७४(२) की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---अब तो मैंने उसको पढ़ ही दिया ।

श्री कृष्णानन्दराय---आप सुन लें, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । २७४(क) में लिखा हुआ है कि प्रश्नोत्तर के बाद जो सूचना देने वाले सदस्य हैं, वह आपसे अनुज्ञा मांगेंगे और फिर दूसरे में यह है कि यदि आप उसको नियमानुकूल समझेंगे तब पढ़ेंगे । लेकिन कोई अनुज्ञा नहीं मांगी गई और आपने उसको पढ़ना आरम्भ कर दिया । तो इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—मैं जरा पढ़ लूं। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। मैं जोर से पढ़े देता हूं। मेरे पास अंग्रेजी में है :

"(1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made with the consent of the Speaker subject to the following restrictions, namely—

(*a*) leave to make the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon ;

(*b*) the member asking for leave must, before the commencement of the sitting for that day, deliver to the Secretary a written notice of the motion which he proposes to move.

(2) If the Speaker is of opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and, if not less than one-fifth of the total number of the members of the House rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted and that the motion will be taken on such day, not being more than ten days from the date on which the leave is granted, as he may appoint. If less than the requisite number of members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House.

(3) If leave is granted under sub-rule (2) the Speaker may, after considering the State of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion.

(4) The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the motion.

(5) The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for speeches.

अब मैं निवेदन कर दूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आज अंग्रेजी विरोधी दिवस था, लेकिन आपने अंग्रेजी में ही पढ़ दिया, हिन्दी में पढ़ते।

श्री अध्यक्ष—वह तो मैं मन में पढ़ रहा था, लेकिन आप लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया इसलिये मैंने सोचा कि जोर से पढ़ दूं। मेरी कन्सेन्ट की जरूरत है। इसमें यह दिया हुआ है :

"मंत्री परिषद् में अविश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से निम्नलिखित निर्बन्धों के साथ किया जा सकेगा :—मैं अपनी सम्मति दे रहा हूं इस वजह से मैंने इसको पढ़ा। यह प्रस्ताव आया है, इसकी मैं सम्मति दे रहा हूं। इसके पश्चात् यह अनुज्ञा मांगेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने रूलिंग दी है और ऐसी ही पद्धति हाउस में रहनी चाहिये। अब मैं इस माननीय सदन से आज्ञा मांगता हूं कि जो विरोधी दलों की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसकी आज्ञा सदन दे।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं और बतला दूं। दो प्रस्ताव मेरे पास आये हैं एक प्रस्ताव यह है कि "यह सदन वर्तमान मंत्रिमण्डल में अविश्वास प्रकट करता है।" यह ज्यादा व्यापक है और इसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, कृपया यह बता दीजिये कि यह प्रस्ताव किस की ओर से आया है।

श्री अध्यक्ष---इसमें सर्वश्री यादवेन्द्रदत्त, उग्रसेन, भगवानसहाय, राघवेन्द्रप्रतापसिंह, डाक्टर जेड० ए० अहमद और गेंदासिंह जी आदि की ओर से आया है । अब जो लोग अनुज्ञा देने के पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जांय ।

(१५५ सदस्य खड़े हुये ।)

श्री अध्यक्ष---चूंकि खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या पंचमांश से अधिक है अतः इस प्रस्ताव की अनुज्ञा दी गई । नियम इस प्रकार है कि:---

"यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वे प्रस्ताव को सदन को पढ़कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे, और यदि समस्त सदस्यों के पंचमांश से अन्यून इस प्रकार खड़े हो जांय, तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा दी जाती है और प्रस्ताव अनुज्ञा दिये जाने के दिन से अधिक से अधिक १० दिन के भीतर किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष नियत करें, लिया जायगा ।" अब इसको अनुज्ञा प्राप्त हो गई और १० दिन के भीतर दिन निश्चित करना है ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव को अनुज्ञा दे दी है तो मेरा निवेदन यह है कि बजाय और कोई काम करने के आज ही इस प्रस्ताव को ले लिया जाय ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, कुछ निवेदन है । हम मांग करते हैं कि कम से कम पांच दिन बहस के लिये मिलें, चाहे आज ही से दे दें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है । यह आप का डिस्क्रीशन है कि दस दिन के अन्दर आप तारीख निश्चित करें । आज अनुज्ञा के दिन ही प्रस्ताव लिया जाय ऐसा कोई नियम नहीं । माननीय मुख्य मंत्री जी का जो सुझाव है वह गलत है, इसलिये आप इसका दिन तय कर दें और आज से दस दिन के अन्दर, मैं समझता हूं कि १९ तारीख को Sunday है, २० तारीख को इसको आप रखें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है मैं, उसका विरोध करता हूं कि उस पर आज ही बहस की जाय । मैं आपका ध्यान नियम २७४ (३) की ओर आकर्षित करूंगा---

'If leave is granted under sub-rule (2) the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion.'

कितने दिन बहस हो यह आप निर्णय करेंगे । जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है, उसके महत्व को देखते हुये, यह देखते हुये कि किन परिस्थितियों में लाया गया है, और कितनी गंभीरता है, यह ध्यान में रखते हुये आप निर्णय करेंगे कि इस पर कितने दिन बहस हो । इस सदन में यह परम्परा रही है कि जब कभी अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं आमतौर से तीन दिन से कम बहस नहीं हुई, जहां तक मुझे याद है, एक बार दो दिन हुई है, अन्यथा तीन दिन से कम बहस नहीं हुई है । इस वक्त जो परिस्थिति है, दो अविश्वास के प्रस्ताव हैं । एक के अन्दर अविश्वास की आम बात कही गयी है और दूसरे के अन्दर १७ कारण बताये गये हैं । वह गंभीर कारण हैं । आज सरकार की टैक्सेशन की नीति, बढ़ती हुई बेकारी, बढ़ती हुई कीमतें,..... (शोर)

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर ।

इस बात पर गरमी लाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---जो परिस्थिति गम्भीर है, उसके कारणों को बताने का अधिकार है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था चाहता हूं। प्रश्न यह है कि जो सम्मानित विरोधी दलों की तरफ से एक प्रस्ताव आ चुका है, उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि उस पर आज के लिये या दस दिन के अन्दर बहस करने के लिये तय करें। यह आप का डिस्क्रशन है। जो आज का बिजिनेस है वह सस्पेंड किया जा सकता है और इस प्रस्ताव पर अभी बहस जारी की जा सकती है।

श्री चन्द्रजीत यादव---तो मेरा आप से नम्र निवेदन है कि जो गंभीरता है और जिस मंशा से प्रस्ताव आया है, सरकार की ओर से बचने के लिये टैक्टिक्स अपनायी जा रही हैं। उसको ध्यान में रखते हुये तीन दिन बहस के लिये एलाट करें। चाहे आज से तीन दिन दीजिये, लेकिन तीन दिन से कम इस पर बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---जिसको जो कहना हो, एक मर्तबा में कह दे। यह बिल्कुल गलत है कि बार-बार खड़े हो कर बात कहें। जो आपको कहना हो एक मर्तबा में कह दीजिये। फिर दोबारा मौका नहीं दिया जायगा।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---माननीय मुख्य मंत्री की स्पिरिट की मैं तारीफ करता हूं। वह एक दम हमारी मांग पर बहस करने के लिये तैयार हो गये। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूं। कल ही आप ने एक रूलिंग दी थी कि सदन के निश्चित कार्य-क्रम से भिन्न कार्य-क्रम लाने की अगर कोई दरख्वास्त आपके सामने हो तो फिर उसमें सर्व सम्मति होनी चाहिये। अगर सर्व सम्मति हो तो उस कार्यक्रम को बदल सकते हैं। आज का कार्य-क्रम छप चुका है और उसके अनुसार माननीय सदस्य आये हुये हैं, उसको पूरा करने के लिये। हम लोग बिलकुल तैयार हैं इस बात के लिये कि माननीय मुख्य मंत्री जी अगर नो कान्फिडेंस के मोशन पर इतने आतुर हैं कि आज ही बहस हो जाय तो हम लोग तैयार हैं। (व्यवधान) जरा सुन लीजिये। लेकिन अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो मैंने पहले कहा, फिर उसकी याद दिलाना चाहता हूं अपने मित्रों को कि आज बहस नहीं हो सकती। अगर यह प्रस्ताव सर्वसम्मत होता, तो हो सकती थी। माननीय मुख्य मंत्री जी का आग्रह है और उनका प्रस्ताव है, लेकिन विरोधी दल को उसमें आपत्ति है। जो आज का कार्यक्रम है उसे आज होना है। एक आपत्ति और भी ध्यान में रखनी होगी कि कल गैर सरकारी दिन है। उस गैर सरकारी दिन में आप देखेंगे कि अविश्वास के प्रस्ताव से कम महत्व के प्रश्न इस सदन के सामने आने वाले नहीं हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि उसको फेश करना चाहिये सरकार को। मुझे तो यह भय लगता है कि जो प्रस्ताव कल आने वाले हैं गैर सरकारी उन प्रस्तावों से सरकार भय खाती है और चाहती है कि उन प्रस्तावों पर विचार न हो सके। तो श्रीमन्, मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही था कि जो परिपाटी, जो परम्परा आपने कल कायम की, मैं समझता हूं कि आज भी वही कायम रहनी चाहिये। आज का कार्य-क्रम चले और कल का गैर सरकारी प्रस्ताव आ जाय, इसके बाद जिस वक्त भी नो कान्फिडेंस के मोशन पर तैयार हों माननीय मुख्य मंत्री जी, हम लोग तैयार हैं उसके लिये।

श्री उग्रसेन---एक मिनट मुझे दे दीजिये। मुझे दूसरी बात कहनी है।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मुझे गुजारिश यह करनी है कि इसको आज न लिया जाय और कोई और दिन मुकर्रर किया जाय। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि कल जब कि कल के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, जो कल का प्रोग्राम था उसको रोक दिया गया तो आपने पूरे हाउस को एडजर्न कर दिया। आज भी आज के दिन के लिये काम मुकर्रर है और अगर आज आप उस काम को हटाकर दूसरा काम लाते हैं तो फिर यह कल जो कुछ आपने किया, हाउस को स्थगित किया उसी तरीके से हाउस को स्थगित करना पड़ेगा और कल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जेड० ए० अहमद]

का गैर सरकारी दिन है। इसलिये हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपोजीशन को मौका दीजिये कि ढंग से एक वक्त मुकर्रर करके इसके ऊपर बहस हो और मैं समझता हूं कि हमारी रूलिंग पार्टी को इसमें कोई आब्जेक्शन नहीं होना चाहिये, जब यह चीज आयी है, आपको फेस करना ही है तो क्यों न उचित वक्त इसके लिये दे दिया जाय और इस चीज को खूबसूरती के साथ निभाया जाय। इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि आप अपना फैसला दीजिये कि आ[illegible] न हो।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मुझे यही कहना है कि हमने सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव दे दिया है और हमको यह पूर्ण विश्वास है कि यह [illegible]रकार गिर जायगी, रहेगी नहीं। तो आज ही सरकार को अगर माननीय मुख्य मंत्री जी गिराना चाहते हैं, तो हम उसके लिये बिलकुल तैयार हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, यह आपका अधिकार है नियम के अनुसार कि कौन सा दिन नियत करें लेकिन श्रीमन्, आप देखेंगे चैप्टर ६ नियम २३ (२) के अनुसार:

"Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any meeting without the leave of the Speaker."

तो जो बिजनेस आज के लिये नियत नहीं हुआ है वह ट्रांजेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन यह आपको अधिकार है और हाउस को यह अधिकार है कि सर्वसम्मति से कोई बात तय हो जाय तो अच्छा है। यह अपने प्रोसीजर का मास्टर है। लेकिन जैसा गेंदासिंह जी ने कहा कि इसमें सर्वसम्मति नहीं है, विरोध है। इसलिये आपका यह अधिकार हो जाता है कि इसको आज ही लें या फिर आगे। माननीय मुख्य मंत्री जी का जो प्रस्ताव आया है कि आज ही बहस हो तो हमारे दल की तरफ से भी अविश्वास का प्रस्ताव आया है तो हम आज उस पर बहस करने के लिये तैयार हैं और अपोजीशन को इसके लिये तैयार रहना चाहिये लेकिन यह विरोध इसलिये हो गया कि वह आज नहीं करना चाहते। यह सारा आपको अधिकार है। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिये तैयार हैं तो इस पर विरोधी दल को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन कल के लिये यह समस्या है कि कल असरकारी दिन है जब तक यह सदन असरकारी दिवस को स्थगित न करे, तब तक कल बहस नहीं हो सकती। कल से हमारी असेम्बली उठ रही है और १० दिन होते हैं १८ तारीख को। १८ को हम मीट नहीं कर रहे हैं। २० को हम मीट कर रहे हैं। १८ तारीख को अगर बहस करना है तो १८ तारीख को असेम्बली बुलानी पड़ेगी। अब आज का समय रह जाता है। इसके अलावा कल का भी समय ले सकते हैं। यह सब बातें सोचकर आप निर्णय करें।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—जो प्रार्थना समय के एलाटमेंट के बारे में की गई माननीय विरोधीदल के सदस्यों की ओर से उसमें कदाचित रूलिंग को देखने का कष्ट नहीं किया गया। अगर उन्होंने इसको ध्यान से पढ़ा होता तो उनके विचार बदल जाते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियम २७४ (२) को यदि देखा जाय तो वह आपके लिये या किसी के लिये कोई डिस्क्रीशन नहीं छोड़ता। इसमें साफ तरीके से यह लिखा हुआ है कि जिस दिन आप अनुमति दें उसके बाद किसी दिन को आप निश्चित कर सकते हैं, लेकिन वह दिन १० दिन के बाद नहीं हो सकता लेकिन जब आज अनुमति दी जा चुकी तो आज से १० दिन के बाद तक इसको लेना अनिवार्य है। आज का दिन इसमें शामिल हो चुका है क्योंकि आज इसकी घोषणा हो चुकी है। मैं समझता हूं वह नियम सामने हैं और उसकी भावना को कृपा कर देख लिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी कठिनाई हमारे सामने यह है जिसकी ओर और माननीय सदस्यों ने भी ध्यान दिलाया कि धारा २३ में यह है कि—

(2) Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of businss for the day shall be transacted at any meeting without the leave of the Speaker."

इसके माने यह हुये कि नियम में किसी और जगह अगर दूसरा प्राविजन हो तब उसको हटाया जा सकता है यानी वह बिजनेस किया जा सकता है जो एजेंडे में न हो। इस तरह से वह दिक्कत दूर हो जाती है।

तीसरी बात यह है कि कितने दिन इसके लिये अलाट किये जायं। मैं समझता हूं कि विरोधीदल के तरफ से अविश्वास का प्रस्ताव आया है तो उसके ऊपर अधिक से अधिक समय मिलना चाहिये। इस सदन में अभी तक उनको दो दिन का समय मिला है। नियम आपको अधिकार देता है। एक दिन भी उसके लिये दिया जा सकता है और आधा दिन भी उसके लिये दिया जा सकता है हाउस के कार्य की स्थिति को देखते हुये। अगर अपोजीशन यह समझता है कि नानआफिशियल डे को समाप्त न किया जाय तो एक दिन दिया जा सकता है और अगर नानआफिशियल दिन समाप्त कर सकें तो दो दिन दिये जा सकते हैं।

*सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विरोधी दल की तरफ से कहा गया कि कल नान आफिशियल डे है और पहले से और कार्य करने के लिये २० तारीख को भी सदन के सामने कार्यक्रम रखा जा चुका है। विधायी कार्य है। सदन को मालूम है कि कल से यानी १० तारीख के बाद से १९ तारीख तक छुट्टी रहेगी। अब आज यह अविश्वास का प्रस्ताव सदन के सामने आ गया है और नियम के अन्दर यह लिखा हुआ है कि जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित हो उससे १० दिन के अन्दर अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। उसके अन्दर "शैल" लफ्ज है। इसलिये यह कहना कि जैसा गेंदासिंह जी और डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने कहा था कल हमको स्थगित करना पड़ा और वह केवल स्थगित करना पड़ा आपकी वजह से, तो सारे विरोधी लोगों ने स्वयं ही अपनी सहमति से यह अविश्वास का प्रस्ताव दिया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कल भी आपकी वजह से पोस्टपोन करना पड़ा तो यह लांछन है आप पर, पहले मंत्री जी को इसे विदड्रा करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने इस संबंध में एक व्यवस्था दे दी है कि लखनऊ में थर्ड परसन के लिये भी आप कहा जाता है।

श्री बनारसीदास—तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन माननीय सदस्यों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। श्रीमन्, दस दिन का समय १७ या १८ तारीख को पूरा हो जाता है। माननीय सदस्यों ने अपना कार्यक्रम पहले से ही निश्चित कर लिया है और इसलिये पहले असेम्बली बुलाना उचित न होगा। १५ तारीख को इंडिपेंडेंस डे है तो यह काम आज ही हो सकता है। कल नान-आफिशियल डे है। तो जब इस प्रस्ताव को प्रमुखता देनी है तो इस पर इसी समय विचार करना होगा। चन्द्रजीत जी कहते हैं कि यह बड़ा आवश्यक है। आपने ही वह प्रस्ताव दिया है और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जब यह प्रस्ताव आ गया है तो उसके बाद दुबारा वह ६ महीने के अन्दर फिर नहीं लाया जा सकता, तो यह एक अहम प्रस्ताव है और इसमें अभी विचार करने में, उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हम पूर्णतया इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

(व्यवधान) (मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---अगर मुख्य मंत्री जी आज्ञा दे दें तो मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मुख्य मंत्री जी की आज्ञा नहीं होगी। मैंने नेता सदन को बोलने के लिये बुला लिया है। यह बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह से बातचीत होगी और सब का आदेश चलेगा तो काम नहीं चल सकता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---मैं मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जिस सुझाव को मैंने प्रस्तुत किया, उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठायी। जब सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो गया तो यह इस सरकार के नेता के नाते मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं उन साथियों को मौका दूं जो अविश्वास का प्रस्ताव रख कर, पास करा कर नयी सरकार बनाने का दावा रखते हैं। यदि वह नयी सरकार बनाने की उत्सुकता रखते हैं, अविश्वास के प्रस्ताव पास कराते हैं, तो इस दल के नेता के नाते मेरा आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं आप से निवेदन करूं कि जो विषय हमारे सामने आया है अविश्वास का उसे शीघ्रातिशीघ्र लिया जाय और आज वह दिन है कि जब वह शीघ्र से शीघ्र लिया जा सकता है। आखिर, मैं दावत दे रहा हूं उन नेताओं को, जिनका नया विवाह हुआ है। राजा साहब और क्रांतिकारी लोग मिल कर जो नयी सरकार बनाने का विचार रखते हैं, वह इस प्रस्ताव पास होने के बाद इस बोझ को जो मेरे दल के सहयोगी और साथी उठाये हुये हैं, स्वयं उठायेंगे। इसलिए मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव आज विचार के लिये प्रस्तुत किया जाय और अगर माननीय सदस्य दो दिन चाहते हैं तो कल भी इस पर विचार हो। यह शीघ्र ही खत्म हो क्योंकि यदि इसी दल को सरकार को चलाना है तो उसके कार्यक्रम में अव्यवस्था नहीं पैदा होनी चाहिये। इसके कारण उसके कार्य में दिक्कतें और अड़चनें बढ़ेंगी। जो प्रोग्राम सरकार ने और आपने सदन के समक्ष रखा है और रखा जा रहा है यदि उसे समय से पूरा करना है तो वह तभी पूरा हो सकता है जब यह सरकार आसीन रहे। परन्तु जब माननीय नेता विरोधी दल की सरकार बनेगी तो इस सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं रह जायगा। इस बिल को पेश किया जाय और उस पर बहस हो ताकि जो सरकार को सुनना पड़ता है वह न हो। इसलिये हमें कोई आपत्ति नहीं उठानी चाहिये और न होगी। इस संबंध में न कोई आपत्ति मुझे है और न मेरे साथियों को थी। यद्यपि यह चीज बिना नोटिस के हमारे सामने रखी गई है, लेकिन इसकी मैं कोई चिन्ता नहीं करता। शीघ्र ही उस प्रस्ताव पर यह सदन बहस प्रारम्भ करे। इसलिये मैं आज का दिन और कल का दिन चाहूंगा कि इस कार्यवाही के लिये रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---अब कोई विशेष बात नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---एक सुझाव मैं उठा रहा हूं, उसको आप मान जायें तो बड़ी अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष---कृपया आप बैठें।

***श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मैंने इस विषय में हुई बातों को सुना। एक बहुत हेयर स्पिलिटिंग के आर्गूमेंट हुये। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे विषयों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपोजीशन का हित भी आपके हाथों में ही सुरक्षित है। इसमें शब्द "में" का प्रयोग है। नियम २७४ में शब्द "में" का प्रयोग है और उसमें आपका डिसक्रिशन है जो कि इस प्रकार है:—

"(*a*) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made with the consent of the Speaker subject to the following restrictions, namely—

(*a*) leave to make the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon.

(*b*) the member asking for leave must, before the commencement of the sitting for that day, deliver to the Secretary a written notice of the motion which he proposes to move.

If the Speaker is of opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and, if not less than one fifth of the total number of the members of the House rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted and that the motion will be taken on such day, not being more than ten days from the date on which the leave is granted, as he may appoint. If less than the requisite number of members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House.

(3) If leave is granted under sub-rule (2) the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days a part of a day for the discussion of the motion."

मैं यह कहूंगा कि जो शब्द "में" का प्रयोग हुआ है तो इन लोगों के हितों की रक्षा केवल आपके ही हाथ में है। इसलिये आपका डिस्क्रिशन बड़ा जुडीशियल होना चाहिये और वह ऐसा होना चाहिये कि जिस मतलब के लिये वह रिजोल्यूशन है वह डिफीट न हो। (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—केवल मैं इन शब्दों की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान खींचना चहता हूं। जो कि इस आर्टिकल में लिखे हुये हैं।

"The Speaker may, after considering the state of business in the House."

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय सिर्फ कानूनी है और वैधानिक है। इसलिये आप आर्टिकिल्स १३४ और १३६ देखने का कष्ट करें। कानून की मंशा का जब कोई प्रश्न लीव के लिये प्रस्तुत किया जाता है और उस दिन पर लीव मिल जाती है तो उसका मतलब यह समझा जाता है कि उस पर बहस अगले किसी दिन होगी। जिस दिन अनुमति दी जाती है उसी दिन उस पर कोई विवाद नहीं होता। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आज तो चूंकि आपने उस प्रस्ताव पर अनुमति दी है, इसलिये उस पर विवाद हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—मैं आपका मतलब समझ गया आप बैठिये। मैं आदरणीय सदस्यों का आभारी हूं जो उन्होंने सुझाव दिये। माननीय चन्द्रजीत का यह ख्याल गलत है कि ३ दिन दिये गये, मेरे पास जो रिकार्ड है उससे यह विदित होता है कि ऐसे प्रस्ताव के लिये २ दिन से ज्यादा नहीं दिये गये। तो दो दिन से अधिक मैं नहीं दूंगा, यह बात निश्चित है। अब प्रश्न यह है कि यह दो दिन कब दिये जायं। नियम को जहां तक मैं समझा हूं वह यह है कि १० दिन के अन्दर यह प्रस्ताव आ जाना चाहिये। इस नियम के रहते हुये २० तारीख को यह प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसके लिये मुझे सदन की बैठक १८ और १९ को बुलानी पड़ेगी अगर उस पर बहस इधर ही न हो। मैं इसके लिये यह निश्चय करता हूं कि इस प्रस्ताव पर बहस कल और सोमवार के दिन यानी १० और १३ तारीख को हो। यही मेरा आदेश है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरा यह नम्र निवेदन है कि यद्यपि आपने रूलिंग दे दी है, लेकिन इस पर बहस बजाय १३ तारीख के ११ को हो जाय। क्या यह संभव नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—मैंने १३ इसलिये रखी है कि हमारे नियमों के अनुसार शनिवार और रविवार को सदन की बैठक नहीं होती। ११ को छुट्टी भी थी। इसलिये मैंने नियमों का पालन करते हुये १० और १३ तारीख रखी है और मैं समझता वह सुविधाजनक होगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे कि मैं यह प्रस्ताव करूं कि यह सदन शनिवार दिनांक ११ अगस्त को भी बैठे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्ताव तो अवश्य आ सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि मैंने इसके लिये १० और १३ तारीख निश्चित कर दी है। अब मेरा यह निश्चय तो उसी सूरत में बदल सकता है जब कि सदन की सर्वसम्मति से यह राय हो कि सदन की बैठक ११ तारीख को कर ली जाय। (व्यवधान होने पर) आर्डर, आर्डर। अगर सर्व सम्मति से यह तय नहीं होता और अगर ११ तारीख को सदन बैठा भी, तो मेरे आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो विभिन्न दलों के माननीय नेता और माननीय नेता सदन अगर बात-चीत करके सदन में प्रार्थना करना चाहेंगे तो हो सकेगा।

श्री उग्रसेन—काहे मिलें, क्यों मिलें, किससे मिलें ?

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी, अगर इस तरह से बातचीत करेंगे तो वह सदन का अपमान होगा। आप शब्दों को वापस लें।

श्री उग्रसेन—मैं वापस नहीं लेता, मैंने क्या कहा इसमें।

श्री अध्यक्ष—आपने जिस तरह से कहा, यह गलत तरीका है। आप वापस लेने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री उग्रसेन—हमने कोई असम्मान नहीं किया आपका। हमने केवल प्रश्न रखा कि किससे बात करें, क्या बात करें ? जिसके खिलाफ हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा, उससे मिलकर क्या बातचीत करें ? हमारी कर-बद्ध प्रार्थना है कि हमने आपके प्रति कोई अनादरसूचक बात नहीं कही। हमारी सफाई सुन लें। हमने प्रश्न रखा कि हम काहे उनसे मिलें ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। एक शब्द चाहे कितना ही सुन्दर हो, जिस तरह से कहा जाय, जिस तरीके से अदा किया जाय उसमें वही साधारण शब्द अशोभनीय और असंसदीय हो जाता है। अगर आप खेद नहीं प्रकट करते हैं तो मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

श्री उग्रसेन—आपके प्रति हमारा कोई असम्मान नहीं है। अगर आपकी अन्तरात्मा को कोई ठेस लगी है तो मुझे खेद है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं कह रहा था कि अगर नेतागण आपस में बातचीत करके यह तय कर सकें तो ठीक है, अन्यथा जो आदेश दिया है उसी का पालन होगा।

नव भारत टाइम्स में प्रकाशित भूमि-कर सम्बन्धी समाचार छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। आज नवभारत टाइम्स अखबार में बड़ा भारी विशेष समाचार छपा है। अगर आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं "उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि पर लगाने के लिये अतिरिक्त भूमि-कर विधेयक २०

अगस्त को पेश होगा— लगान का ५० प्रतिशत भूमि-कर के रूप में लेने का निश्चय कर लिया है ....."

एक सदस्य—मैं व्यवस्था चाहता हूं....

अध्यक्ष—बात सुन तो लूं कि वह प्रश्न क्या उठा रहे हैं। (श्री यादवेन्द्रदत्त से) हां कहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—"यह भूमि-कर अप्रैल, १९६२ से लागू समझा जायगा।" श्रीमन्, यह ऐसा विषय है जो सारे सूबे के किसानों से संबंधित है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री इस न्यूज आइटम को, अगर यह सही है, तो स्वीकार करें, अगर यह गलत है तो कांट्रैडिक्ट करें।

श्री अध्यक्ष—यह तो मैं उनसे नहीं कहूंगा। यह इस समय नहीं उठता और न उनसे पूछूंगा। मैं समझता था कि कोई विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री टम्प्रेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मैं प्रिविलेज का नोटिस देता हूं। उन्होंने बिला सदन को इनफार्म किये यह कैसे अखबार को बता दिया ?

*उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ (क्रमागत)†

खंड—२

अधिनियम की प्रवृत्ति

२—आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये यह अधिनियम ऐसी समस्त हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं पर प्रवृत्त होगा जिनकी सकल वार्षिक आय १,२०० रुपये या उससे अधिक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के संबंध में जिसकी सकल वार्षिक आय १,२०० रुपये से कम हो, इस बात का समाधान हो जाने पर उसकी सम्पत्तियों का अपव्यय हो रहा है, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस संस्था पर आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे, और तत्पश्चात् वे उपबन्ध उस संस्था पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जिस प्रकार वे १,२०० रुपये या उससे अधिक की आय वाली संस्था पर प्रवृत्त होते हैं।

***श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

खंड २ में पंक्ति ३ में "१,२००" के स्थान पर "६००" रख दिया जाय और इसी प्रकार पंक्ति ५ तथा पंक्ति ९ में भी "१२००" के स्थान पर "६००" रख दिया जाय।

मान्यवर, इस संशोधन के विषय में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि एक अन्तकालीन नियम है और इस विधेयक को केवल इस लक्ष्य से प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र में एक व्यापक बिल इस दिशा में आ रहा है जो कल या परसों सेलेक्ट कमेटी द्वारा वहां पर प्रस्तुत होने वाला है। तो इस अन्तकालीन समय में जो सम्पत्ति है, जिनके संरक्षण के लिये इस विधेयक

---

* १६ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

† ७ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

को लाया जा रहा है उस सम्पत्ति की लिस्ट बन सके, उनका हस्तांतरण न हो सके और अपव्यय न हो सके। अगर माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो उसका फल यह होगा कि उसकी सीमा बढ़ जायगी। १,२०० की आमदनी वाले मठ या मंदिर कम हैं और ६०० की आमदनी वाले मंदिर और मठ, प्रत्यक्ष हैं कि ज्यादा होंगे। मान्यवर, यह बात तो सदन से और माननीय मंत्री जी से छिपी हुई नहीं है कि इन मंदिरों और मठों की आय रखने का जो तरीका है, उसमें बहुत आय रखते हुये भी उसे कम ही दिखाया जाता है। इसलिये अगर १,२०० की लिमिट रखी गई तो कदाचित् बहुत से मंदिर और मठ जिनको माननीय मंत्री जी अन्यथा इस विधेयक की परिधि में रखना चाहते हैं वे इससे वंचित रह जायेंगे। इस आशय से मैंने इस संशोधन को रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि विधेयक को सार्थक और व्यापक बनाने के लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

*समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया है उस पर अगर विचार किया जाय तो कमिश्नर का बहुत काम बढ़ जायगा। (इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुये)

हमने दो साल के लिये यह विधेयक रखा है और इन दो सालों में हम उतना काम कर लें जितना सुचारु रूप से हो सके। यदि हम इतनी सीमा बढ़ाते हैं ६०० रुपये तक के मंदिर और मठ उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो इतना काम हम इस सीमा में पूरा नहीं कर सकेंगे। इस कारण मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, मुझे दुख है कि मैं अपनी बात माननीय मंत्री जी को समझा नहीं पाया। यह तो मैं नहीं समझ सका कि काम न पूरा हो सकने की बात माननीय मंत्री जी के बीच में आ सकती है। अगर सरकार काम से डर सकती है तो फिर कौन उसको कर सकता है। इसलिये अगर अब भी माननीय मंत्री जी यही समझते हैं कि इससे काम बहुत बढ़ जायगा तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है: "खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द 'अधिक हो' के बाद निम्नांकित शब्द 'या जिनकी कुल सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये या उससे अधिक हो' जोड़ दिये जायं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, मैं इस संशोधन में एक संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि नियमों में अधिकार है कि संशोधन में संशोधन किसी भी समय प्रस्तुत हो सकता है। इसमें "एक लाख" के स्थान पर "५० हजार" कर दिया जाय।

श्रीमन्, इसके पूर्व आपने १२०० रुपया आमदनी रखी है और आमदनी का मूल्यांकन का तरीका यह है कि वह बीस गुने से तीस गुने तक होगी। तो अगर २० गुना रखा जाता है तो वह २४ हजार आती है और अगर ३० गुना रखा जाता है तो ३६ हजार आती है। इसलिये एक लाख रुपया रखना तो किसी हालत में भी ठीक न होगा मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य ने इस हिसाब को क्यों नहीं लगाया। इसलिये मेरी गुजारिश है कि उसको ५० हजार रख दिया जाय। लेकिन अब वही प्रश्न आता है कि आखिर इस ५० हजार की भी जरूरत क्यों है। यह इसलिये कि बहुत से मंदिर और मठ ऐसे हैं जिनका मूल्य तो बहुत है लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम दिखाते हैं, उनका इससे बचाव हो सकता है। आशा है माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मुझे यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मुझे संशोधित संशोधन स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं संशोधन को संशोधित रूप में उपस्थित करता हूं । प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द 'अधिक हो' के बाद निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जाय—

"या जिनकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये या उससे अधिक हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड २ की पंक्ति ५ में शब्द "कम हो" के बाद निम्नांकित बढ़ा दिया जाय—

"या जिसकी कुल संपत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये से कम हो ।"

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मुझे यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ५ में शब्द "कम हो" के बाद निम्नांकित बढ़ा दिया जाय :

"या जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार पये से कम हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में शब्द "पर" के बाद और शब्द "प्रवृत्त" के पहले निम्नांकित जोड़ दिया जाय—

"जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये या उससे अधिक हो उस पर ।"

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, मैं इस संशोधन में एक संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं । इसमें '१ लाख' के स्थान पर '५० हजार' कर दिया जाय ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मुझे संशोधित संशोधन स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं संशोधित रूप में संशोधन रखता हूं । प्रश्न यह है कि खंड २ की अंतिम पंक्ति में शब्द "पर" के बाद और शब्द "प्रवृत्त" के पहले निम्नांकित जोड़ दिया जाय—

"जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये या उससे अधिक हो उस पर ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

परिभाषाएं

३—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(क) "अपव्यय" का तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो कि सम्बंधित हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के उद्देश्यों या परम्पराओं के अथवा उसकी आय के अनुरूप न हो ;

(ख) "आयुक्त", "सहायक आयुक्त" तथा "अनुसंधान अधिकारी" का क्रमशः तात्पर्य धारा ४ के अधीन नियुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, तथा अनुसंधान अधिकारी से है,

(ग) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(घ) "न्यासधारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय से है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसमें किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था का प्रशासन निहित हो और उसमें वह अथवा व्यक्ति निकाय भी सम्मिलित है, जो इस प्रकार उत्तरदायी हो मानो वह न्यासधारी है;

(ङ) "मठ" का तात्पर्य ऐसे मठ से है जो हिन्दू विधि के अन्तर्गत मठ समझा जाय,

स्पष्टीकरण—जब किसी मठ का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर हो किन्तु उस मठ के पास ऐसी सम्पत्तियां हों, जो उत्तर प्रदेश में स्थित हों, तो इस अधिनियम के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त होंगे कि उनका प्रभाव मठ की उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्तियों पर ही पड़े ।

(च) "मन्दिर" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक उपासना स्थल के रूप में किया जाता हो तथा जो सार्वजनिक धार्मिक उपासनास्थल के रूप में हिन्दू जाति अथवा उसके किसी वर्ग की, अथवा उसके हित, समर्पित किया गया हो अथवा उक्त जाति या धर्म द्वारा अधिकार स्वरूप इस उपयोग में लाया जाता हो ;

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; और

(ज) "हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसे मठ या मन्दिर से है जो धार्मिक उद्देश्य से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये स्थापित है या भविष्य में स्थापित किये जायें और इसके अन्तर्गत ऐसी समस्त चल अथवा अचल सम्पत्ति भी आती है जो किसी मठ या मन्दिर की हो अथवा उसके अनुरक्षण या सुधार के लिये अथवा उसमें परिवर्द्धन या उपासना के लिये अथवा उससे संबंधित किसी सेवा या पूर्ति के लिये दी गई हो अथवा निबद्ध (endowed) की गई हो और इसमें मठ या मन्दिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां, वस्त्र, आभूषण व श्रृंगार साधन इत्यादि भी सम्मिलित हैं, किन्तु इसमें ऐसे निजी धर्मार्थ मठ या मन्दिर सम्मिलित नहीं हैं जिनमें जनता का हितबद्ध न हो ;

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

खंड ३ के उपखंड (ख) में "अनुसंधान अधिकारी" के स्थान पर "निरीक्षण अधिकारी" रख दिया जाय ।

(फलस्वरूप जहां-जहां 'अनुसंधान अधिकारी' अथवा 'अनुसंधान' शब्द प्रयोग हुये हैं उनके स्थान पर क्रमशः शब्द 'निरीक्षण अधिकारी' तथा 'निरीक्षण' रख दिये जायं ।)

मान्यवर, यह केवल शाब्दिक संशोधन है । मैं इस पर ज्यादा इसरार भी नहीं करूंगा, लेकिन माननीय मंत्री जी स्वयं शब्दों के सौन्दर्य में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिये मैं यही कहूंगा

कि शब्द "अनुसंधान अधिकारी" कानों को अच्छा नहीं लगता। उसका कारण यह है कि "अनुसंधान" शब्द का माने चाहे डिक्शनरी में जो हो लेकिन उससे रिसर्च की भावना मालूम होती है जब कि उसका काम निरीक्षण से है। यह कठिनाई ऐक्ट बनाने वालों के समक्ष भी रही है और एक स्थान पर उसको साफ किया गया है कि अनुसंधान अधिकारी का काम निरीक्षण करने का होगा। इसीलिये किन्हीं माननीय सदस्य की तरफ से एक प्रस्ताव भी आ रहा है कि "निरीक्षण" शब्द को हटा कर उसकी जगह पर "अनुसंधान" कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी स्वयं समझें कि यह शब्द सुन्दर है तो इसे स्वीकार करलें वरना मैं उसे वापस ले लूंगा।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, मेरा खयाल है कि मैं कम से कम हिन्दी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि शब्द "अनुसंधान" अधिकारी का स्कोप वाइडर है जब कि निरीक्षण अधिकारी शब्द से केवल इंसपेक्शन करने की बात मालूम होती है। इस कारण मुमकिन है कि माननीय जगदीशशरण जी के कानों को इससे तकलीफ मालूम होती हो लेकिन धीरे-धीरे बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको सुन कर अभी कानों को तकलीफ होती है, वे सुनते-सुनते आदी हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसको ऐसे ही रहने दिया जाय और इस संशोधन का अपोज करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैं फिर कहता हूं कि कानों को तकलीफ तो नहीं होती है, कुछ अप्रिय-सा लगता है, लेकिन माननीय मंत्री जी की भावना के आधार भूत, मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, मैं खंड ३ में यह संशोधन पेश करता हूं :

उपखंड (छ) के बाद निम्नलिखित नये उपखंड (ज) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

(ज) 'हिन्दू' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो हिन्दू धर्म के किसी रूप अथवा विकसित स्वरूप के अवलम्बी हों, जिनमें वीरशैव लिंगायत तथा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी हैं और इसमें बौद्ध, जैन तथा सिक्ख भी सम्मिलित हैं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है उपखंड (छ) के बाद निम्नलिखि नये उपखंड (ज) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

(ज) 'हिन्दू' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो हिन्दू धर्म के किसी रूप अथवा विकसित स्वरूप के अवलम्बी हों, जिनमें वीरशैव लिंगायत तथा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्यसमाज के अनुयायी भी हैं और इसमें बौद्ध, जैन तथा सिक्ख भी सम्मिलित हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

वर्तमान खंड (३) के उपखंड (ज) की संख्या बदल कर "(झ)" कर दी जाये।

यह इसलिये आवश्यक है कि ऊपर वाला संशोधन जब (ज) के रूप में स्वीकार हो गया तो यह (झ) बनना चाहिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह तो कांसीक्वेन्शियल है, स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है वर्तमान खंड (३) के उपखंड (ज) की संख्या बदल कर "(झ)" कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, मैं अपना संशोधन आपकी आज्ञा से पेश करता हूं। खंड ३ के उपखंड (ज) की पंक्ति २ में "मन्दिर" के बाद और 'से' से पहले शब्द "या धर्मशाला" बढ़ा दिये जांय।

इसी प्रकार पंक्ति ४ में "मन्दिर" के बाद तथा पंक्ति ९ में "मन्दिर" के बाद शब्द "या धर्मशाला" बढ़ा दिये जायं।

मैं समझता हूं मेरे यह संशोधन बुनियादी और महत्वपूर्ण हैं। इसके मन्जूर करने या न मंजूर करने से यह तय होता है कि सरकार इस बिल का स्कोप कहां तक रखना चाहती है। इस बिल का जो शीर्षक है वह है "उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था विधेयक"। तो शीर्षक से मालूम होता है दो चीजें इसके अन्तर्गत आती हैं। हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था यानी जो संस्था हिन्दू सार्वजनिक हो और दूसरे धार्मिक भी हो। तो धर्मशाला हिन्दू सार्वजनिक भी होती है और धार्मिक भी होती है। इन दोनों बातों से इनकार करना असम्भव है। इसलिये यह लौजीकल मालूम होता है धर्मशाला को इसमें लिया जाना चाहिये था। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाय यह प्रश्न भी है कि आखिर यह बिल क्यों लाया गया? इसलिये लाया गया कि हमारे प्रदेश में इस तरह की स्थिति है कि जो बड़ी-बड़ी सम्पत्ति मंदिर, मठों और धर्मशालाओं में लगी है उसकी व्यवस्था हो। तो क्या यह वाकया नहीं है हमारे प्रदेश में एक नहीं सैकड़ों धर्मशालायें हैं, जिनमें करोड़ों रुपयों की जायदाद लगी हुई है और उनका अपव्यय हो रहा है। मैं निजी जानकारी से जानता हूं हमारे प्रदेश में बहुत बड़े-बड़े धनी आदमियों की ऐसी धर्मशालायें हैं जिनके पीछे लाखों रुपये का ट्रस्ट लगा हुआ है, हजारों रुपया साल की आमदनी है। लेकिन वह इस्तेमाल होती है उनके रिश्तेदारों और स्वयं के ठहरने के लिये, और कुछ धर्मशालायें किराये पर उठायी जाती हैं और वे उस प्रयोग में नहीं लायी जातीं जिस प्रयोग के लिये डोनर्स ने उसको रखा था। अब केन्द्र का जो कानून आ रहा है उसमें परिभाषा क्या है? कल मंत्री जी ने कहा था कि इस कानून को लाने की खास मंशा यह है कि केन्द्र का जो कानून आ रहा है संकट-कालीन समय में उसकी मंशा को खत्म करने के लिये अपनी जायदादों का हस्तांतरण न कर लें, यह आशंका पैदा होती है। केन्द्र का जो बिल है उसमें धर्मशाला को लिया है या नहीं, उसको देखने से इस नतीजे पर आप आयेंगे कि उस बिल में जो परिभाषा है धर्मशाला, मठ और मन्दिर सब आते हैं। मैं चाहता था कि मठ की परिभाषा साफ हुई होती। यह कह कर छोड़ देना कि हिन्दू परम्परागत मठ को जिस तरह माना गया है वही माने यहां भी हैं इससे मुकदमेंबाजी का दरवाजा खोलना है। यह बुनियादी प्रश्न है। माननीय मंत्री जी को कठिनाई हो सकती है। उन्होंने जिस प्रकार सोचा होगा पेश करते वक्त उसमें जरूर उसका दायरा बढ़ जायगा। यह हो सकता है कि काम बढ़े, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया काम बढ़ जाने की वजह से यह सरकार कहे कि किसी संशोधन की या बिल की परिधि नहीं बढ़ाई जायगी तो कुछ अटपटी-सी बात लगेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—माननीय अग्रवाल जी ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरे अनुभव में बहुत सी ऐसी धर्मशालायें आईं जिन पर बहुत जायदाद छोड़ी गयी है, उनसे आमदनी होती है और लोग आमदनी का दुरुपयोग करते हैं या स्वयं अपने इस्तेमाल के लिये रखते हैं। धर्मशाला नाम लेते हैं और उस पर इंकमटैक्स तक नहीं देते हैं। मुझे यह बात खटकी कि धर्मशाला क्यों इस बिल में छट गया। यह बहुत उपयुक्त होगा, अगर इसे जोड़ दिया जाय। उदाहरण के लिये मैं बतला सकता हूं कि देहरादून में तो धर्मशाला शब्द मिटा करके उस पर निजी घर लिख दिया ताकि ऐसा न हो कि धर्मशाला इस बिल में आ जाय। लोग इतने सतर्क हैं और धर्मशाला के नाम पर अपना निजी लाभ उठाते हैं। अगर नीयत साफ होती तो मिटाने की क्या जरूरत थी जब कि बिल में आया भी नहीं था। मंत्री महोदय से मेरी विनम्र प्रार्थना

है कि जिस उद्देश्य से वह यह बिल लाये हैं, उसकी रक्षा के लिये यह संशोधन वह अवश्य स्वीकार करें ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । मेरे विरोध करने का कारण यह है कि इस बिल के अन्दर यह लिखा हुआ है "सार्वजनिक धार्मिक संस्था ।" मैं समझता हूं कि धर्मशाला कोई धार्मिक संस्था नहीं है । धर्मशाला एक ऐसी संस्था है जिसमें किसी धर्म के कार्य को सम्पादित नहीं किया जाता है । मैं तो यह समझता हूं कि शनैः शनैः वह समय आना चाहिये कि इन धर्मशालाओं में जिनमें इतनी सुविधायें हैं, जिनको रकम लगा कर पब्लिक के हित के लिये बनाया गया है, हिन्दू मुसलमान सब के लिये वह खुली होनी चाहिये । किसी मन्दिर में कोई मुसलमान या ईसाई जाकर अपने विचारों को नहीं रख सकता, परन्तु किसी धर्मशाला में यदि उसे इजाजत मिल जाय तो किसी भी धर्म का वह मानने वाला हो, जा कर ठहर सकता है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा गया है उसका समर्थन मैं नहीं करता और उसका कारण यह है कि पहले तो जो बिल के अन्दर परिभाषायें दी गयी हैं उनमें हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की परिभाषा केवल मंदिर या मठ दी गयी है जो उपासक के लिये बना हुआ हो । तो एक तो यह कानूनी दिक्कत है । दूसरी दिक्कत यह होगी कि धर्मशाला बनाने वाला व्यक्ति किसी भावना से प्रेरित हो कर उसे बनवाता है । भविष्य में आर्थिक स्थिति अगर ठीक होती है तो वह देखरेख करता रहता है। बाज-बाज धर्मशाला ऐसी हैं जिनको बनवाने वाला मर जाता है और वारिसों की आर्थिक दशा कमजोर हो जाती है तो उनकी देखरेख भी नहीं हो सकती । तो ऐसी दशा में अगर उनकी आमदनी का जरिया निकल आता है तो जो मंशा थी उस पैसे से रख-रखाव और देख-रेख करने की वह चलती रहती है । इसलिये अगर यह बन्धन उस पर लग जायगा तो जो साधारण आमदनी का जरिया है वह बन्द हो जायगा और वह स्थान नष्ट भ्रष्ट हो जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, मेरा भी यह विचार है कि जो "धार्मिक संस्था" का शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसमें "धर्मशाला" नहीं आता और आप देखेंगे कि उसमें हमने प्राइवेट एन्ड डाऊमेंट्स बिल्कुल अलग कर दिया है । धर्मशाला प्राइवेट भी हो सकती है । इसके अलावा धर्मशाला में धार्मिक कार्य हों यह भी जरूरी नहीं है । इसलिये मेरा विचार है कि धर्म में धर्मशाला नहीं आती, नाम जरूर उसका धर्मशाला है । धर्मशाला की मैनेजिंग कमेटी हो सकती है । ऐसी कोई धर्मशाला बन सकती है जो जनरल पब्लिक को डेडिकेट न की गयी हो । उस दशा में इसमें बहुत झगड़ा हो सकता है, रिट पेटीशन्स हो सकते हैं, मुकदमेबाजी का अन्देशा है । इस वक्त हमें जल्दी काम करना है और जैसा मैंने पहले अर्ज किया था इसमें देर पहले ही हो गयी है, दो वर्ष बीत गये हैं और दो वर्ष बीत जाने के माने यह हुये कि इसका बहुत कुछ मतलब तो खत्म हो गया । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, साधारणतया मैं इस सदन का एक मिनट भी नहीं लेता और एक डिसिप्लिन्ड पार्टी का डिसिप्लिन्ड सोल्जर होने के नाते मैं इसको वापस लेता और लूंगा लेकिन मैं दो, तीन मिनट लेने के लिये आपकी आज्ञा चाहूंगा केवल इसलिये कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने एक माननीय सदस्य को सुना, माननीय बसन्तलाल जी से मेरा मतलब है, और जब उन्होंने कहा कि इसमें कानूनी दिक्कत आ जायगी, इसकी जो परिभाषा है उसमें केवल हमने मन्दिर और मठ रखे हैं । कुछ ऐसा कन्वेन्शन सा हो गया है कि जब कभी किसी बात को नहीं करना होता है तो कोई एक्सपर्ट दिक्कत सामने रख दी जाती है और उसका डर दिखा कर कहा जाता है कि यह नहीं होना चाहिये। कदाचित उसी ढर्रे को दिखाते हुये उन्होंने वह डर दिखाया । लेकिन चूंकि मैं भी कानून का अ, ब, स तो जानता ही हूं इसलिये यह कहता

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल[

हूं कि कदाचित् उन्होंने यह भी पढ़ने की कृपा नहीं की कि मेरा यह संशोधन उस परिभाषा में ही है। इसलिये वह खतरा तो बेकार है।

दूसरी बात जो माननीय मंत्रीजी ने कहा, उससे भी मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मंत्रीजी बड़े धार्मिक व्यक्ति भी हैं और बड़े प्रमुख वकील भी हैं। दोनों बातों के रहते हुये अगर एक्सपीडिएन्सी के खयाल से उनका फैसला इसे अपोज करने का हो तो मैं सिर आंखों पर उसको मान सकता हूं, लेकिन अगर वाकई उनका यह यकीन हो कि धर्मशाला धार्मिक संस्था नहीं है इसलिये कि वहां पर आरती और हवन नहीं होता तो मेरे विस्मय का वारापार नहीं रहता। अगर धर्म के माने केवल आरती करना और हवन होना ही हो तो फिर धर्म की परिभाषा डिक्शनरियों में बदलनी पड़ेगी और आजतक जो धर्म की परिभाषायें हुई हैं वह गलत हो जायेगी। क्या धर्मशाला सार्वजनिक हित के प्रयोजन के लिये नहीं होती? एक मनुष्य अपनी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ रुपया समर्पित करता है और उसका दूसरे की सेवा के लिये प्रयोग करता है और वह सेवा का कार्य निरन्तर जारी रहता है। तो यदि वह सेवा का कार्य निरन्तर होता रहेगा अगर वह धर्म नहीं है तो फिर धर्म क्या होगा। मुझ जैसा तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति इसको समझने में असमर्थ है और ताज्जुब में पड़ जाता है हां, एक बात और मंत्री जी ने कही कि इसमें कानूनी कठिनाई पड़ सकती है, मंदिरों के पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट की बात तो यह भी एक्सपर्ट वाली बात है। उनकी लीगल नालिज बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि कल मैंने जनरल डिसकशन में निवेदन किया था कि तो आपने पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट में भेद किया था। मेरा मत तो यह था कि जब एक सम्पत्ति किसी देवता को समर्पित हो चुकी तो वह उस मंदिर की मानी जायगी और वह सार्वजनिक होनी चाहिये और न्यायालयों के फैसलों में दिक्कत हुई हैं इसलिये ऐसी परिभाषा बनानी चाहिये थी जिससे यह सारी दिक्कतें समाप्त हो जातीं और हर मंदिर को पब्लिक प्रापर्टी माना जाना चाहिये। लेकिन जहां तक इसका सम्बन्ध है इसका दायरा और संकुचित किया जा रहा है। इसमें एक शब्द था जिसमें यह लिखा हुआ है कि "जिसमें जनहित हितबद्ध न हो" लेकिन इसको भी संशोधित करके ऐसा किया जा रहा है जिसके माने यह होंगे कि उसका दायरा बिल्कुल संकुचित हो जायगा। जिस कठिनाई का उन्होंने संकेत किया है वह वास्तव में धर्मशाला के शामिल करने से आती है या नहीं, मैं नहीं समझता। इसलिये धार्मिक संस्था के माने या बीच की संस्था के माने यह ह कि जो जनता के हित के लिये समर्पित की जा चुकी हो। उसमें सर्व साधारण रह सकेंगे और जनहित के लिये वह दी जा चुकी है। इसलिये श्रीमन्, कोई अन्तर नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई अव्यावहारिक दिक्कत हो या मंत्री जी समझते हों कि इस अन्तर्कालीन समय में वह बोझे को बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो बात दूसरी है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जगदीशशरण जी ने जो यह कहा कि अगर खंड ३ (ज) को देख लेते तो शायद ऐसा न कहते तो मैं यह कहूंगा कि वे वकील जरूर हैं और मैं उस नाते उनका आदर भी करता हूं। लेकिन जो भाषा है उसको प्रत्येक व्यक्ति को समझने का अधिकार है। मैंने जो कहा था धार्मिक या उपासना स्थल के बारे में, तो धृज धारणी धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। धर्म शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है और वह इसका उद्देश्य सब समझते हैं कि जो उपासना से सम्बन्ध में रखने वाली जगह से है और धर्मशालायें पूजा स्थल के लिये नहीं बनाई जाती हैं। इसलिये मैंने समझ बूझकर इसका इस्तेमाल किया है। वैसे मैं कोई वकील नहीं हूं लेकिन मैंने सोच समझकर इसका विरोध किया था। अगर इसमें धर्मशाला शामिल हो जाती है तो ठीक नहीं रहेगा और गतिरोध हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—(माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल से) क्या आप इसको वापस लेते हैं?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, जो मैंने निवेदन किया है, यदि उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया, मैं एक सोल्जर के नाते इसको वापस लूंगा ही ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता और मैं उनसे यह कहूंगा कि इस समय एक्सपीडेंसी यह है कि जिस तरह से परिभाषा है वह ऐसी ही रहनी चाहिये ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, मैं उनकी एक्सपेंडेंसी के आगे सिर झुकाता हूं ।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—मैं संशोधन में सशोधन रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—टाइम तो आपने निकाल दिया । अब तो रेप्लाई हो गया । मत दो बजे के बाद लिया जायगा ।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं

खंड ३ के उपखंड (ज) की अंतिम पंक्ति में शब्द "हितबद्ध" के स्थान पर शब्द "अधिकार" रख दिया जाय ।

मैंने, श्रीमन्, इसलिये यह शब्द लिखा कि जब मैंने खंड को पढ़ा तो ऐसा लगा कि यह अधिकार शब्द ही उपयुक्त होगा । "हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसे मठ या मंदिर से है जो धार्मिक उद्देश्य से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये स्थापित है या भविष्य में स्थापित किये जायं और इसके अन्तर्गत ऐसी समस्त चल अथवा अचल सम्पत्ति भी आती है जो किसी मठ या मंदिर की हो अथवा उसके अनुरक्षण या सुधार के लिये अथवा उसमें परिवर्द्धन या उपासना के लिये अथवा उससे सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्ति के लिये दी गयी हो अथवा निबद्ध (endowed) की गयी हो और इसमें मठ या मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां, वस्त्र, आभूषण व श्रृंगार साधन इत्यादि भी सम्मिलित हैं किन्तु इसमें ऐसे निजी धर्मार्थ मठ या मंदिर सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें जनता का हितबद्ध न हो ।"

मेरा तात्पर्य यह है कि अगर वह प्राइवेट मंदिर भी होते हैं, तब भी उसमें जनता का हित रहता है । वह भी उपासना करते हैं । इसलिये 'हितबद्ध' शब्द इतना उपयोगी नहीं होगा जितना 'अधिकार' ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—'अधिकार' शब्द से मैं समझता हूं कि एक लीगल राइट होता है । कोई मंदिर है, उसको मैं मानता जरूर हूं लेकिन मुझको कोई अधिकार नहीं है । बिना अधिकार के भी मेरा इंटरेस्ट हो सकता है कि उस मंदिर को ठीक तरह से बनाया जाय । मगर मुझको अधिकार नहीं है । जितनी हिन्दी मैं जानता हूं, अधिकार में लीगल राइट मालूम होता है । हितबद्ध वाइडर है । मैं समझता हूं कि इसका स्कोप नैरो हो जायगा । त्रिपाठी जी हिन्दी मुझ से ज्यादा जानते हैं । मेरी राय में में हितबद्ध ठीक है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—यह बहुत टेक्निकल है । मंत्री महोदय नहीं मानते हैं तो मैं वापस लेता हूं ।

खंड ४

४—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार—

(क) आयुक्तों,

(ख) सहायक आयुक्तों, तथा

(ग) अनुसंधान अधिकारियों ।

आयुक्तों, सहायक आयुक्तों तथा अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति ।

की नियुक्ति कर सकती है और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे ।

(२) राज्य सरकार आयुक्तों को अपने-अपने अधिक्षेत्रों में अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है ।

(३) आयुक्त धारा ८ के अधीन अपने समस्त या किन्हीं अधिकारों को अपने अधीन काम करने वाले किसी सहायक आयुक्त को प्रतिनिहित कर सकता है ।

ऐक्ट ४५, १८६० (४) प्रत्येक आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public Servant) समझा जायेगा तथा होगा ।

ऐक्ट ५, १८९८ (५) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी के अधिकार वही होंगे जो कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट में निहित होते हैं , अर्थात्

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथपूर्वक या प्रतिज्ञान सहित उसका बयान लेना तथा स्थानीय निरीक्षण करना,

(ख) लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना,

(ग) साक्षियों का बयान लेने, लेखा की परीक्षा करने तथा स्थानीय निरीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करना ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड ४ के उप खंड (१) (क) में शब्द 'आयक्तों' के स्थान पर शब्द 'आयुक्त' रख दिया जाय।" श्रीमन्, "आयुक्तों" शब्द पर मेरा ऐतराज था।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह संशोधन मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर राय दो बजे के बाद ली जायगी ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि—"खंड ४ के उपखंड २ में शब्द 'आयुक्तों' के स्थान पर शब्द 'आयुक्त' रख दिया जाय और इसी उप खंड में शब्द 'अपने अपने' के स्थान पर शब्द 'अपने' रख दिया जाय"। यह वही है कि जहां प्लूरल हो वहां सिंगुलर कर दिया जाय ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह भी स्वीकार है ।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं—"खंड ४ के उपखंड (४) में शब्द 'प्रत्येक' हटा दिया जाय ।"

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—स्वीकार है ।

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (५) में शब्द तथा संख्या "कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर "कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी व्यवहार न्यायालय" रख दिया जाय तथा उसके उपखंड (ग) में शब्द "निरीक्षण" के स्थान पर शब्द "अनुसंधान" रख दिया जाय ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया लेकिन उसमें एक शब्द मुझे उसके आगे कहना है कि माननीय मंत्री जी को अपने विभाग को स्कोल्ड करना चाहिये । इसमें ऐसी भूल है कि जो पश्चिम और पूरब की है । अगर बिल के ड्राफ्टर्स इस तरह की गलती करें कि वह यह नहीं जानते कि ऐसे जो अधिकारी रखे जाते हैं वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं रखे जाते तो यह उनके लिये बड़ी अशोभनीय बात है । यह कहा जा सकता है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी से यह बिल आया है, कल ऐसा कहा गया था । मैं निवेदन करूंगा कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में लीगल एक्सपर्ट की निगाह से नहीं देखा जाता है । यह तो बिलकुल विभाग की भूल है और डिपार्टमेन्ट की तरफ से ऐसी भूल होना जबकि यह बिल इतने बड़े सदन के सामने आना था, कोई शोभा की बात नहीं है ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—हमारे मित्र को मालूम है श्रीमन्, कि इस विधेयक की ड्राफ्टिंग तो मैंने की नहीं थी न उन्होंने की थी । अगर वह और हम होते तो ऐसी बात न होती ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रख रहा हूं—"खंड ४ के उपखंड (५) के भाग (ग) को निकाल दिया जाय" । अब यह और श्री जगदीश जी का दोनों साथ ही लगना चाहिये । लेकिन मैं अपनी बात कह देता हूं । मुमकिन है उसमें समावेश हो जाय । वह यह कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोई प्राविजन नहीं है जिसमें वह आ सके । यह बिलकुल कानून के विरुद्ध है । पता नहीं कौन साहब इसकी ड्राफ्टिंग कर रहे थे ? हमारे माननीय मंत्री महोदय नहीं थे, मुझे मालूम है....

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ठीक है, वह उसमें आ जायगा ।

खंड ५

५—प्रत्येक आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी ऐसा व्यक्ति होगा जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो । आयुक्त आदि का हिन्दू होना ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ५" में से शब्द "प्रत्येक" हटा दिया जाय ।

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—मान लिया ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ५ में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"आयुक्त वह हो सकेगा जो डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर में काम कर रहा हो या कर चुका हो, सहायक आयुक्त वह हो सकेगा जो कम से कम ७ वर्ष जुडिशियरी सर्विस में रह चुका हो तथा निरीक्षक वह हो सकेगा जो ला ग्रेजुएट हो ।"

मान्यवर, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी आज्ञा से कि जैसा मैंने पहले कहा था धर्मशाला के संशोधन के समय, यह भी एक बुनियादी संशोधन है और एक महत्वपूर्ण बात की तरफ संकेत करता है । अक्सर अनुभव यह हुआ कि जो कमिश्नर या एडीशनल कमिश्नर या अनुसंधान् अफसर रखे जाते हैं वे उतने उपयुक्त नहीं होते, जितने उस कार्य के लिये होने चाहिये । मान्यवर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय समाज कल्याण मंत्री के रहते हुये वही आदमी रखे जायेंगे जो सिर्फ बहुत उपयुक्त होंगे, लेकिन इस विश्सास के रहते हुये भी नियम में

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

हमें इस बात का प्राविधान करना चाहिये कि जो भी आदमी रखे जाने वाले हों वे उपयुक्त आदमी रहेंगे। इस भावना से इस पर विश्वास रखते हुये माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपयुक्त आदमी रखेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि आयुक्त (कमिश्नर) वह हो जो डिस्ट्रिक्ट जज के ग्रेड का आदमी हो। जो डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो। कदाचित् यह कहा जायगा कि ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे वैसे ही हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट जजों की कमी है तो उसके लिये मैंने रखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो। वह भी हो सकता है। एडीशनल कमिश्नर के लिये यह कहा गया है कि वह ऐसा आदमी रखा जाय जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विस में ५ ७ साल रह चुका हो। निरीक्षण के लिये जो अनुसंधान अधिकारी रखा जाय वह ऐसा आदमी रखा जाय जो ला ग्रेजुएट हो। अगर माननीय मंत्री जी इसको मान लेते हैं तो मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य के हेतु इस बिल को वे लाये हैं वह पूरा हो सकेगा।

यह भी एक तरीका हो सकता है कि इसमें यह प्राविजन न किया जाय और रूल्स में माननीय मंत्री इसको प्रोवाइड करन क लिये आश्वासन देने की कृपा कर दें कि वहां पर इस पर सोच विचार कर लिया जायगा तब भी हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—हम इसको रूल्स में लाने वाले हैं। जो बातें अग्रवाल जी ने कही हैं वे बहुत मुनासिब बातें हैं कि जुडिशियल माइन्डेड आदमी होना चाहिये मगर इसको यहां पर रखने की बात करना बहुत उचित नहीं है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा ध्यान रखा जायगा और दूसरे माननीय सदस्य जैसा बतायेंगे उस तरह करने के लिये रूल्स में रखने का ख्याल रखा जायगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैं इस आश्वासन के लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि इतना ही काफी है। इससे ज्यादा कमिटल का सवाल नहीं है। सिद्धांत मान लेना ही काफी होता है। इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

खण्ड ६ व ७

धार्मिक संस्थाओं का सर्वेक्षण

६—(१) जब राज्य सरकार को या किसी आयुक्त को यह आशंका हो कि उसके अधिक्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की, जिसकी सकल वार्षिक आय उसे १,२०० पये या अधिक प्रतीत हो, सम्पत्ति के अपव्यय किये जाने की सम्भावना है, तो वह अनुसंधान अधिकारी को उक्त हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था का यहां की गई व्यवस्था के अनुसार सर्वेक्षण का निदेश दे सकता है।

(२) अनुसंधान अधिकारी, उक्त सर्वेक्षण पूरा करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र एक विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा, और उसे आयुक्त को प्रस्तुत करेगा :

(क) वर्तमान न्यासधारियों तथा प्रबंधक के नाम तथा न्यासधारी और प्रबंधक के पद के उत्तराधिकार अथवा नियुक्ति से सम्बन्धित ब्योरे,

(ख) संस्था की अथवा उसके आधिपत्य में चल तथा अचल सम्पत्ति के, जिसमें नकदी, भंडार, रत्नाभूषण, सोना, चांदी तथा मूल्यवान पाषाण आदि भी हैं, ब्योरे तथा उनका प्राक्कलित मूल्य,

(ग) संस्था की राज्य सरकार के तदर्थ आदेशों के अनुसार निर्धारित सकल वार्षिक आय,

(घ) ऐसे अन्य ब्योरे जो निर्धत किये जायं।

(३) उपधारा (२) के खंड (ग) के अधीन सकल वार्षिक आय का निर्धारण संस्था के न्यासधारियों का तथा प्रबन्धकों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् किया जायगा, किन्तु उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अनुसंधान अधिकारी की उत्पत्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्तिम होगी ।

(४) उपधारा (३) के अधीन अनुसंधान अधिकारी की उपपत्तियों से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, नियत अवधि के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकता है ।

(५) जब अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण या आयुक्त के निर्णय से यह पाया जाय कि उक्त संस्था की सकल वार्षिक आय बारह सौ रुपये से कम है किन्तु राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था की सम्पत्ति का अपव्यय हो रहा है तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस संस्था पर प्रवृत्ति होंगे और तत्पश्चात् वे उपबन्ध उस संस्था पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे धारा २ में निर्दिष्ट किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था पर प्रवृत्त होते हैं ।

सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिये पूर्व अनुमोदन आवश्यक ।

७—(१) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की सम्पत्ति का हस्तान्तरण वैध नहीं होगा जब तक कि उक्त संस्था पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर न प्राप्त कर ली गई हो कि हस्तान्तरण आवश्यक अथवा संस्था के लिये लाभदायक है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "हस्तान्तरण" में किसी चल सम्पत्ति का जैसे भोग, प्रसाद तथा इसी प्रकार की किसी वस्तु का, रूढ़िगत उपयोग या वितरण सम्मिलित नहीं है ।

(२) आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध, आदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपील उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट) जज के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसके अधिक्षेत्र के भीतर संस्था का मुख्यालय अथवा सम्बद्ध सम्पत्ति स्थित हो, और अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ (१) में से शब्द "किसी" निकाल दिया जाय ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "खंड ६ (१) में १२,०० पये था" के बाद और शब्द "अधिक के पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये था उससे"

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—उसे जरा आप लिख कर भेज दीजियेगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—बहुत अच्छा ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (३) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं—

"किन्तु उपधारा (४) ... अंतिम होगी ।"

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

इस उपधारा में यह शब्द लिखे हुए हैं कि अनुसंधान अधिकारी की उपपत्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अंतिम होगी। मान्यवर, मैं यह कह दूं कि मेरी हिन्दी की जानकारी बहुत सीमित है, मैं इस शब्द "उपपत्ति" को समझ नहीं सका। लेकिन मैंने इस संशोधन को इसलिये भी प्रस्तुत किया है कि यह दफा १२ के कंफ्लिक्ट में आती है। उसमें अनुसंधान अधिकारी की आज्ञा को न्यायाधीश के न्यायालय में अपीलेबिल करार दिया है। तो अगर उसकी आज्ञा एक जगह अंतिम हो और दूसरी जगह अपीलेबिल हो तो यह बात विरोधात्मक हो जाती है, और इसीलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, इस शब्द "उपपत्ति" का मतलब फाइंडिंग से है और इसका जो अरेंजमेंट है वह इस तरह से है कि जब उसकी जाँच होने लगेगी तो यह चीज देखनी होगी कि वह संस्था हमारे अधिकार में आती भी है या नहीं। यदि उसकी आमदनी १२०० रुपये से कम हो, यदि उसकी जायदाद ५०,००० रुपये से कम हो तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अगर हम कुछ करेंगे तो वह हमारे अधिकार के बाहर होगा। तो पहले यह देखा जायगा कि वह हमारे अधिकार के अन्दर आता है या नहीं। अब यह तो उपपत्ति 'होगी' वह होगी उपधारा ४ के उपबंधों के अधीन, तो उस अधिकारी की बात फाइनल हो जायगी। यह कहा गया है कि उपधारा ४ के अधीन, जिसके अर्थ यह हैं कि उसकी एक अपील हो सकेगी और उसके बाद जो निर्णय होगा, वह निर्णय अंतिम होगा। तो इस तरह से जब हम एक मर्तबा तय कर लेंगे, कि हाँ यह संस्था हमारे अधिकार में आती है तो हम आगे कार्यवाही करेंगे। प्राइमाफेसी देख लिया जायगा, उसके लिये यह रखा गया है और उपधारा ४ इसलिये रख दी गयी है कि वह अपना मनमाना फैसला न कर सके। उसके देखने के बाद एक अधिकार देखने का कमिश्नर को भी रहे। इस तरह से जो धारा यहाँ है जिस तरह से उसका वहाँ रहना आवश्यक है। इसके आगे एक और संशोधन है कि उपधारा ४ को बिलकुल निकाल दिया जाय। उस पर फिर विचार किया जायगा। अगर, उपधारा ४ न रहेगी तो फिर इस "उपधारा ४ के उपबंधों के अधीन" के माने कुछ नहीं रहेंगे। वह संशोधन त्रिपाठी जी का है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे उसे वापस ले लेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—यह संशोधन मैंने इसलिये रखा था कि मैं यह समझता था कि यह ओवरलैपिंग है।

श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव—धारा १२ का संशोधन किया गया है। अगर आप उसे देखेंगे तो यह ठीक हो जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—तो ठीक है। मैं इसे वापस लेता हूं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—मेरी कठिनाई वाकई समाप्त नहीं हुई थी। लेकिन अगर यह संशोधन जो धारा १२ में आने वाला है, यह माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया तब इसकी जरूरत नहीं रह जायगी। चाहे ६ में वह कर दिया जाय या १२ में, लक्ष्य एक ही है। ऐसी स्थिति में मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, यह संशोधन इस प्रकार से है कि: "खंड ६ का उप खंड (४) निकाल दिया जाय और उपखंड ५ को उपखंड (४) के रूप में पुनराँकित कर दिया जाय।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने चूंकि अब कह ही दिया है इस कारण से मैं इसे प्रस्तुत नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी से) आइटम नं० १६ को आप पेश करेंगे?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, यह भी वही है। इसको मैं आपकी आज्ञा से यूं मूव करना चाहता हूं :

"खंड ६ के उपखंड (५) की पंक्ति ३ में शब्द "है" और "किन्तु" के बीच निम्नांकित जोड़ दिया जाय—:

"या जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये से कम हो।"

अब तो माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार ही कर लेंगे। और अधिक मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसको मैं स्वीकार करता हूं।

खंड ८, ९, १० तथा ११

आयुक्त के सामान्य अधिकार।

८—आयुक्त को अपने अधिक्षेत्र में स्थित किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के विषय में जिसके सम्बन्ध में धारा ६ के अधीन कार्यवाही करने का निदेश दिया गया हो, निम्नलिखित अधिकार होंगे—

(क) प्रवेश के समय, स्थान और रीति के सम्बन्ध में संस्था के रूढ़िगत निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, संस्था के भूगृहादि अथवा उससे सम्बद्ध किसी उपासनास्थल में प्रवेश करना;

(ख) संस्था की समस्त सम्पत्ति का तथा उससे सम्बद्ध सभी अभिलेखों तथा लेख्यों का निरीक्षण करना;

(ग) संस्था की निधि, सम्पत्ति अथवा आय के सम्बन्ध में, ऐसे प्रतिवेदन, विवरण, लेखे या अन्य सूचना ऐसे समय और आकार में माँगना जिसका वह निदेश दे;

(घ) न्यासधारियों अथवा प्रबन्धक के पास की आवश्यकता से अधिक निधि के किसी मान्यता-प्राप्त बैंक अथवा प्रतिभूति में जमा किये जाने का निदेश देना;

(ङ) संस्था की तथा उसके आधिपत्य में सम्पत्ति के संरक्षण के लिये कार्यवाही करना, जिसमें उसके रत्नाभूषणों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध करना भी सम्मिलित है, परन्तु इस प्रकार नहीं कि न्यासधारी प्रशासन के अधिकार से वंचित हो जाये;

(च) संस्था के लिये गत (lost) किसी सम्पत्ति की वसूली के लिये कार्यवाही करना;

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (घ), (ङ), या (च) के अधीन अन्तिम आदेश देने के पूर्व आयुक्त सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देगा।

न्यासधारी आदि द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य करने से इनकार करने पर शास्ति

९—यदि कोई न्यासधारी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक या अभिकर्त्ता अथवा हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के प्रशासन से संबद्ध अन्य कोई व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों के पालन करने से इनकार करे या उनकी उपेक्षा

करे या उनका पालन न करे, अथवा इस अधिनियम के अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डाले, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन माँगे गये प्रतिवेदन, विवरण, लेखे या अन्य सूचना देने से इनकार करे अथवा देने में उपेक्षा करे अथवा न दे,

तो वह न्यासधारी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक, अभिकर्त्ता अथवा अन्य व्यक्ति अभियोजन का पात्र होगा और सिद्ध दोष पाये जाने पर एक मास तक के साधारण कारावास से या अर्थ दंड से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।

सरकारी अधिकारियों द्वारा लेख्यों की प्रतिलिपियाँ अथवा उनके उद्धरण का निःशुल्क दिया जाना

१०—समस्त सरकारी अधिकारी, जिनके संरक्षण में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था से अथवा उसकी किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख रजिस्टर, प्रतिवेदन, अन्य लेख्य हों, उनकी प्रतिलिपियाँ अथवा उद्धरण, जिनके आयुक्त, सहायक या अनुसंधान अधिकारी अपेक्षा करे, निःशुल्क देंगे।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण

११—(१) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अन्तर्गत बने किन्हीं नियमों के अधीन किये गये अथवा किये गये प्रकट होने वाले किसी कार्य के लिये, यदि वह सद्भावना से और अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन आरोपित कर्त्तव्यों के निष्पादन अथवा कृत्यों के निर्वहन के दौरान में किया गया हो, किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही का भागी न होगा।

(२) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के कारण अथवा इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावना से की गयी अथवा की जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात से हुई अथवा संभावित किसी हानि, अथवा हुई या संभावित किसी क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध न हो न तो कोई वाद चलाया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री जगदीश शरण अग्रवाल से) आइटम नं० १६—क आप पेश करेंगे?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं :

"खंड ८ के उपखंड (घ) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"यदि निर्दिष्ट समय में उक्त निदेश का पालन न किया जाय तो उस निदेश के पालन के लिए रिसीवर नियुक्त करना।" श्रीमन् धारा ८ में लिखा हुआ है—

"आयुक्त को अपने अधिक्षेत्र में स्थित किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के विषय में जिसके सम्बन्ध में धारा ६ के अधीन कार्यवाही करने का निदेश दिया गया हो, निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(क) प्रवेश के समय, स्थान और रीति के संबंध में संस्था के रूढ़िगत निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, संस्था के भूगृहादि अथवा उससे सम्बद्ध किसी उपासना स्थल में प्रवेश करना,

(ख) संस्था की समस्त सम्पत्ति का तथा उससे सम्बद्ध सभी अभिलेखों तथा लेख्यों का निरीक्षण करना ....."

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि अगर यह निदेश पूरे न हों, इसकी कम्पलायन्स न हो तब इसमें क्या होगा और किस तरह से इसको सरकार, इन्फोर्स करेगी? इसलिये मैंने

यह रखा है। यदि इस आज्ञा का निर्दिष्ट समय में कम्प्लायन्स न हो तो आयुक्त को यह भी अधिकार हो कि वह उस कार्य के लिये रिसीवर मुकर्रर कर सके।

मैं एक निवेदन और करूंगा कि रूल्स में इसका प्राविजन अगर कहीं हो चुका हो और मंत्री जी समझ चुके हों तो ठीक है। मैं उसका उसी प्रकार से निश्चय कर सकता हूं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

नया खण्ड ८—क

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार से है—

"खंड ८ के बाद निम्नांकित नये खंड ८—क के रूप में जोड़ दिया जाय—

"८—क—किसी भी वाद में जो किसी न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत किया गया हो आयुक्त को एक पक्ष बनाना आवश्यक होगा।"

श्रीमन्, इस पर मुझे कोई विशेष बात नहीं कहना है, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य मान लेंगे। इसके न होने पर यह हो सकता है कि कोई सूट अगर दायर हो और उसमें दोनों फरीकैन मिल जायें और डिग्री हो जाय और आयुक्त महोदय को उसकी सूचना न रहे, तब बाद को अगर आयुक्त महोदय कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर पायेंगे। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करना जरूरी है। इससे उनको नोटिस हो जायेगी और वह केस को प्रापर्ली डिफेन्ड कर सकेंगे। इससे सम्पत्ति की रक्षा हो सकेगी। इसका प्राविजन अगर मंत्री जी ने और कहीं कर लिया तो बात दूसरी है, मैं इसके लिये जोर नहीं दूंगा। इतना ही मुझे कहना है इसके संबंध में।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। कारण यह है कि जिस वादी को यह मंजूर होगा वह उस वाद में उसको पाबन्द कर सकेगा और उसको फरीक बनाया जा सकेगा। अगर बिना फरीक बनाये वह निर्णय लेना चाहता है तो हम उसके लिये पाबन्दी नहीं लगा सकते। अगर पाबन्दी कर देंगे तो बिना उसको फरीक बनाये मुकदमा चल ही नहीं सकता। जो जरूरी समझेगा वह फरीक बना लेगा। अगर हम उसको कम्पलसरी कर देते हैं तो इससे तबालत पैदा हो जायेगी।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं मंत्री जी से यह निवेदन कर दूं कि किसी को फरीकैन बना लेने से कोई बाइन्डिंग नहीं होती। वह फरीक अगर रहेंगे तो उसकी उनको सूचना रहेगी और अगर उनको सूचना नहीं रही तो यह होगा कि जो संस्था का या मठ का मालिक है वह दूसरे फरीक से मिल जायेगा और डिग्री करा लेगा और बाद को कमिश्नर महोदय कुछ नहीं कर पायेंगे और जायदाद नष्ट हो जायेगी। कमिश्नर महोदय कहते रहेंगे कि हम इनवेस्टीगेट कर रहे हैं। एकाउन्ट में गड़बड़ी है, या और कुछ कहा जा सकता है। उस वक्त आयुक्त महोदय कुछ कर नहीं सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—तो क्या आप इसको प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—जी हाँ, मैं इसको प्रेस कर रहा हूं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में इस समय कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के बाद निम्नाँकित नये खंड ८—क के रूप में जोड़ दिया जाय—

"८—क किसी भी वाद में जो किसी न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया हो आयुक्त को एक पक्ष बनाना आवश्यक होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—जिन संशोधनों पर इस समय तक राय नहीं ली गयी, क्योंकि दो बजे तक राय नहीं ली जाती, इसलिए अब राय ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ज) की पंक्ति २ में "मन्दिर" के बाद और "से" से पहले शब्द "या धर्मशाला" बढ़ा दिये जायं।

इसी प्रकार पंक्ति ४ में "मन्दिर" के बाद तथा पंक्ति ९ में "मन्दिर" के बाद शब्द "या धर्मशाला" बढ़ा दिये जायं।

को वापस लेने की प्रस्तावक महोदय को अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ज) की अंतिम पंक्ति में शब्द 'हितबद्ध' के स्थान पर शब्द 'अधिकार' रख दिया जाय, को वापस लेने की प्रस्तावक महोदय को अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४—(क्रमागत)

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) (क) में शब्द "आयुक्तों" के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) में शब्द "आयुक्तों" के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जाय और इसी उपखंड में शब्द "अपने-अपने" के स्थान पर शब्द "अपने" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड (४) के उपखंड ४ में शब्द "प्रत्येक" हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (५) में शब्द तथा संख्या "कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर "कोड आफ सिविल प्रोसीजर १९०८ के अधीन किसी व्यवहार न्यायालय" रख दिया जाय तथा उसके उपखंड (ग) में शब्द "निरीक्षण" के स्थान पर शब्द "अनुसंधान" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (५) के भाग (ग) को निकाल दिया जाय, को वापस लेने की अनुमति प्रस्तावक महोदय को दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में से शब्द "प्रत्येक" हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि खंड में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"आयुक्त वह हो सकेगा जो डिस्ट्रिक्ट जज के केडर में काम कर रहा हो या कर चुका हो, सहायक आयुक्त वह हो सकेगा जो कम से कम ७ वर्ष जुडिशियरी सर्विस में रह चुका हो तथा निरीक्षक वह हो सकेगा जो ला ग्रेजुएट हो' को वापस लेने की अनुमति प्रस्तावक महोदय को दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६ व ७—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ (१) में से शब्द "किसी" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ६ (१) में "१२०० रुपये या" के बाद और शब्द "अधिक" के पहले निम्नाँकित जोड़ दिया जायः—

"जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये या उससे"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (३) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायंः—

"किन्तु उपधारा (४)..... अन्तिम होगी"

को वापस लेने की अनुमति प्रस्तावक महोदय को दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (५) की पंक्ति ३ में शब्द "है" और "किन्तु" के बीच निम्नाँकित जोड़ दिया जायः—

"या जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये से कम हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ और खंड ७ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (घ) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"यदि निर्दिष्ट समय में उक्त निदेश का पालन न किया जाय तो उस निर्देश के पालन के लिये रिसीवर नियुक्त करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८, खंड ९, १० व ११ इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२, १३, १४, १५ तथा १६

न्यायालय में आदेशों आदि के विरुद्ध अपील

१२—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार, आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त या अनुसंधान अधिकारी द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति अथवा दिये गये आदेश, किये गये निर्णय, की गयी कार्यवाही, अथवा की गयी किसी अन्य बात के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील ऐसी विज्ञप्ति, आदेश, निर्णय, कार्यवाही अथवा अन्य बात की तिथि से तीस दिन के अन्दर की जा सकेगी।

निदेश देने का अधिकार।

१३—समय-समय पर राज्य सरकार आयुक्त को नीति के प्रश्नों पर ऐसे लिखित सामान्य अथवा विशेष निदेश दे सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के अन्तर्गत उचित समझती है और अयुक्त अपने कर्तव्यों के पालन में उनका अनुसरण करेगा।

व्यावृत्ति यू० पी० ऐक्ट १६, १९३९ नियम

१४—इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनकि धार्मिक संस्था पर प्रवत्त न होगी जिस पर यूनाइटेड प्राविन्सेज श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट १९३९ प्रवृत्त होता हो।

१५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(१) धारा ६ के अधीन सर्वेक्षण करने से संबंधित विषय,

(२) धारा ७ के अधीन प्रस्तावित सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिये स्वीकृति देने या ऐसी स्वीकृति देने से इन्कार करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(३) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा ८ में उल्लिखित अधिकारों का आयुक्त द्वारा उपयोग किया जायेगा,

(४) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रखे जाने वाले विवरणों, विवरणियों (returns), रजिस्टरों तथा अन्य प्रपत्रों (forms) के आकार तथा वह रीति जिसके अनुसार वे रखे जायेंगे,

(५) लेख्यों का निरीक्षण तथा उनके निरीक्षण के लिये लगाये जाने वाले शुल्क,

(६) प्रमाण-पत्रों, आदेशिकाओं तथा नोटिसों के जारी किये जाने के लिये लगाया जाने वाला शुल्क,

(७) प्रमाणित प्रतिलिपियों का दिया जाना तथा उनके लिये लगाये जाने वाले शुल्क,

(८) न्यासध रियों या हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट, विवरणियाँ, लेखे अथवा अन्य सूचना।

(९) आयु त को अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।

नियमों का विधान मंडल के सदनों के समक्ष रखा जाना

१६—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र में या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रक्खे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिन क निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा निष्प्रभावना (annulment) के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे, जो विधान मन्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या निष्प्रभावन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में शब्द "इस अधिनियम" तथा शब्द "के उपबन्धों" के बीच में शब्द तथा कामा "में की गई अन्यथा व्वयस्था के अधीन रहते हुये, इस" बढ़ा दिया जावे।

इस संशोधन के कारण कई संशोधन वापिस हो गये हैं और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे और सदन भी स्वीकार करेगा।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ में शब्द "इस अधिनियम" तथा शब्द "के उपबन्धों" के बीच में शब्द तथा कामा "में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, इसे" बढ़ा दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना अन्तिम संशोधन जो इस विधेयक का है, वैसे भी अन्तिम संशोधन है, प्रस्तुत करता हूं कि "खंड १२ में पहली पंक्ति से शब्द 'राज्य सरकार' निकाल दिया जाय।"

मान्यवर, वैसे तो मैं उचित समझता हूं कि अगर राज्य सरकार के ऊपर भी जुडीशियल कन्ट्रोल लागू हो लेकिन यहाँ विधेयक का मंशा ही खत्म हो जायगा, चूंकि अगर राज्य सरकार की आज्ञा की अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हो जाने से २ साल तक का समय उसमें लग जायगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैं अग्रवाल जी के अन्तिम संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ में पहली पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२, व खंड १३, १४, १५ और १६ इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने के अभिप्राय से अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था करने के लिये;

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने के लिये अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था की जाय :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा अवधि

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

(३) इसके प्रवर्तित होने के दिनांक से दो वर्ष समाप्त होने पर यह प्रभावी न रहेगा, सिवाय ऐसी बातों के सम्बन्ध में जिन पर उक्त समाप्ति के पूर्व कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो और यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ इस अधिनियम की समाप्ति पर इस प्रकार प्रवृत्त होगी मानो यह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, यह एक छोटा सा विधेयक है और थोड़े समय के लिये रखा गया है। इसका खास मंशा यह है कि जायदादों का अपव्यय और वे नष्ट न होने पावें। अपव्यय करना कोई भी, महन्त लोग भी, अपना अधिकार नहीं समझ सकते। इस विधेयक के उद्देश्यों में कोई दो राय नहीं हो सकतीं, इसलिये मैं समझता हूं कि इसका विरोध भी नहीं होना चाहिये। यहाँ से पारित होने के बाद हमें इसे विधान परिषद् में ले जाना है, फिर नियम बनेंगे और हम चाहते हैं कि इसे जल्दी से लागू कर दें। इस विधेयक में काफी समय यूं ही लग चुका है और मेरी राय में अब और समय लगाना उचित नहीं है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, मैं भी यही समझता हूं कि इस बिल को पास करने में एक मिनट भी नहीं लगाना चाहिये, लेकिन इतना होते हुये भी मैं केवल २ शब्द

कहना चाहता हूं। कदाचित माननीय मंत्री जी सहमत होंगें। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि जिस वातावरण में यह बिल पेश हुआ, इसमें संशोधन स्वीकृत हुये और यह पारित हुआ, कदाचित ही कभी ऐसा अच्छा वातावरण सदन में रहा हो। इसका फल यह हुआ, मेरे भी काफी संशोधन थे, यह बिल पहले से बहुत अच्छा हो गया और अब अपने पवित्र उद्देश्य की पूर्ति करने में यह बहुत सहायक होगा। मैं समझता हूं कि मंत्रीजी इसके कार्यान्वयन में देर नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने स्वंय भी कहा। जितना हम सजग रहेंगे उतनी ही अच्छी इसके पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं सचमुच माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा वातावरण यहाँ उपस्थित किया और सारे उचित संशोधनों को स्वीकार कर लिया। यहाँ यह सबसे पहला बिल ही होगा जिसमें इतने संशोधनों को माना गया होगा। मंत्री महोदय की इच्छानुसार मैं भी अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं उनकी जो भावना है उसका स्वागत करता हूं, जो वह इसमें जल्दी चाहते हैं, उसका भी स्वागत करता हूं और धार्मिक संस्थाओं की रक्षा के लिये जो वह उपाय कर रहे हैं, उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन मैंने एक संशोधन रखा था उसको नहीं माना गया। मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि मंत्रीजी ने उसको क्यों नहीं माना। हो सकता है मैं उनको न समझा सका होऊं। मुझे विश्वास है कि उस संशोधन को न मानने से उनकी जो मंशा है, उसमें कुछ कमी अवश्य आ जायगी। अगर किसी मुकदमें की इत्तला कमिश्नर को नहीं है और कोई तीसरी पार्टी मठ या मठाधीश पर किसी जायदाद के लिये दावा करती है कि वह उसकी है और उन दोनों के काल्यूजन से डिग्री हो जाती है और वह जायदाद कोर्ट से उस थर्ड परसन के हक में छूट जाती है तो कमिश्नर कुछ भी न कर सकेगा। इस प्रकार की लीगल क्विबलिंग हो सकती है। उस जायदाद को कैसे बचाया जायगा ? यदि कोई मुझसे लीगल सलाह माँगे तो मैं भी यह कह सकता हूं कि तुम मठ वाले पर दावा कर दो और उसको अपने पक्ष में मिला लो। इस प्रकार से दोनों के काल्यजन से जो डिग्री होगी तो फिर कोई और कानूनी पहलू उसको रोक नहीं पायेगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय नियमों आदि में कोई ऐसी बात रख दें जिससे इसकी रोक हो जाय क्योंकि उनको तो मुझसे बहुत ज्यादा तजुरबा वकालत का है। आयुक्त के बजाय अगर सरकार का नाम उसमें हो तो और भी अच्छा मेरी समझ से होगा। इस दृष्टि से मंत्री महोदय इस विचार पर करें।

श्री रामचरणशाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक और इसके उद्देश्य से पूर्णतया सहमत हूं। उसके लिये मैं मंत्रीजी को बधाई देता हूं। तरमीमें जो मंजूर कर ली गयीं है उनसे विधेयक और भी उपयोगी हो गया है। मेरा धर्मशाला के संबंध में एक संशोधन था जो माना नहीं गया। अगर किसी धर्मशाला में मन्दिर हो और वह धर्मशाला मन्दिर से लगी हुई हो तो मन्दिरों से लगे हुये धर्मशाले को भी मन्दिर में ही समझा जाय और इसका उपयुक्त प्रावीजन कानून के अन्तर्गत कर दिया जाय। जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं का प्रबन्ध करने की बात है उसी तरह से मंदिर से लगे हुये धर्मशाले को भी इस विधेयक संबंधी नियम बनाते वक्त माननीय मंत्री जी उसमें सम्मिलित करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

***श्री लखी सिंह** (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष जी, पहले तो मैं अपने समाज कल्याण मंत्री को धन्यवाद देने के लिये आया हूं। अगर सभी मंत्री महोदयों के इनके ऐसे विचार हों तो विधान सभा में बड़ी शाँति रहे और कोई बगावत हो ही नहीं। आज इस विधेयक के ऊपर बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है। मैं देखता हूं कि इधर से माननीय त्रिपाठी जी ने संशोधन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखमसिंह]

रखा, उधर से किसी ने संशोधन रखा और उन्हें माननीय मंत्री जी ने मान लिया, फिर लड़ाई किस बात की हो। अगर ऐसी चीज चलती रहे तो बहुत अच्छा मामला रहे। साथ ही साथ, अपने मंत्री महोदय से मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक के संबंध में थोड़ी सी बात और रह गयी है जो माननीय त्रिपाठी जी ने कही, उसे और मान लेना चाहिये। यह सही बात है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारे, ये सब भगवान की इबादत करने के लिये, सन्ध्या, भजन करने के लिये हैं। आर्यसमाजियों के लिये आर्य समाज मन्दिर है, वहाँ तक तो मामला ठीक है। भजन करने की जगह और ईश्वर की इबादत करने की जगह बिलकुल सुरक्षित रहनी चाहिये, लेकिन हमने देखा है कि वृन्दावन व मथुरा में कहने के लिये तो बड़ी-बड़ी धर्मशालायें हैं किन्तु वास्तव में वे रोजगारशालायें हैं, वहाँ बड़े-बड़े धंधे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मन्दिरों में चूंकि अन्धेरा रहता है इसलिये दीपक, बत्ती के लिये तो उसकी कुछ आमदनी होनी ही चाहिये। मेरा कहना है कि दीपक, बत्ती तो उसी मन्दिर में होनी चाहिये, जिसमें भजन होता हो, जिस मन्दिर में चोरी हो, डकैती हो, या और खुराफातें हों, वहाँ तो अन्धेरा रहना ही अच्छा होगा। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप मथुरा, वृन्दाबन की आजकल सावन-भादों में हालत देखें कि वहाँ बिजली बन्द हो जाती है और तमाम खुराफातें होती हैं। इन दो महीनों में मथुरा के चौबे यात्रियों को मन्दिरों में डाकू बन कर लूटते हैं और इस तरह से उन्होंने मथुरा व ब्रज को बदनाम कर रखा है धर्मशाले के नाम पर। जहाँ तक माननीय मंत्री जी को मैं समझ पाया हूं बहुत बारीकी से नहीं समझ पाया, लेकिन यह मैं उनसे जरूर कहूंगा कि इस मामले को विशेष कसना चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक की धारा (५) में एक संशोधन करना चाहता था जो नहीं कर सका। इसलिये मैं चाहूंगा जब मंत्री जी नियम बनायेंगे तो उनमें इन भावनाओं का समावेश करेंगे। इसके अन्दर कहा गया है प्रत्येक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो हिन्दू धर्म का अनुयायी होगा। इसका मंदिरों से संबंध है। कोई भी आयुक्तों के हिन्दू होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जितना मैं बताना चाहता हूं और आशा है कि मंत्री जी उन पर विचार करके नियम बनायेंगे। ऐसी अवस्था में हो सकती हैं मन्दिर में ताला लग जाय और बन्द हो सकता है। मेरे संशोधन का आशय यह था कि हिन्दू हो, जो सनातन विचार का हो, पूजा पाठ में विश्वास रखता हो। अगर कोई ऐसा हिन्दू आयुक्त हुआ जो पूजा पाठ में विश्वास न करता हो तो उसकी बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वह तो इसी को अपव्यय समझेगा कि मन्दिर में क्यों दिया जलता है। दूसरा कोई ऐसा हिन्दू भी हो सकता है जिसे मूर्ति पर विश्वास न हो और वह कहे कि मूर्ति पर जो सोना चढ़ा हुआ है इसकी क्या कीमत है इसको जानने के लिये उस सोने को उतरवाने के आदेश दें। ऐसे कार्यों से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लग सकती है। इसलिये, इस भावना को ध्यान में रखते हो, जब नियम बनें तो इनका विचार रखा जाय कि जो व्यक्ति पूजा पाठ में विश्वास करता हो ऐसे लोगों में से ही आयुक्त या अन्य अधिकारी नियुक्त किये जायं।

हरिजन भाई हमारे यहाँ माँग करते हैं कि ३३ फीसदी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिये। यों तो छुआछूत वैधानिक ढंग से मिट गई है परन्तु कार्य करते समय अड़चनें हो सकती हैं। मान लीजिये आयुक्त महोदय ऐसे ही हुये तो वे नहीं जा सकते। इसलिये ऐसे ही लोगों को नियुक्त किया जाय जिससे अव्यवस्था न हो और जो हिन्दुओं की भावनायें हैं उनको ठेस न लगे।

*श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—श्रीमन्, उस दिन भी और आज भी जो विधेयक की मंशा थी उसका सब ने समर्थन किया। अच्छा विधेयक है। मैंने इसका समर्थन करते हुये उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अइयर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयोग की रिपोर्ट लोक सभा में पेश होगी। यदि उस पर इस विधेयक के पहले विचार कर लिया गया होता तो शायद और अच्छा संशोधन हम कर सकते थे। परन्तु खैर, विधेयक का सभा ने समर्थन किया और यह दो साल के लिये है। पर मैं एक बात मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जिसकी तरफ किसी भी सदस्य ने ध्यान नहीं दिया और वह यह कि जिस संशोधन में धर्मशालाओं का उल्लेख आया था उसको मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया। मंत्री जी की एक निजी सूझ हो सकती है, कुछ तर्क भी उन्होंने दिये। पर बहुत जगह मन्दिर और धर्मशाले मिले जुले बने हुये हैं इस प्रदेश में। मथुरा और वृन्दावन में ऐसे बहुत से हैं। अतः इस विधेयक के अनुसार जो मन्दिर हैं वे तो विधेयक के अन्तर्गत आ जाते हैं परन्तु धर्मशालायें नहीं आयेंगीं। अतः मेरा सुझाव है कि ऐसी जगहों का प्रदेश में मंत्री जी सर्वेक्षण करायें और जिन धर्मशालाओं में मन्दिर मिले हुये हों वे इस विधेयक के अन्दर अवश्य शामिल हो जाने चाहिये, अन्यथा यदि ऐसा नहीं हुआ तो काम अधूरा रहेगा। ऐसी जगहों को धर्मशाला न मान कर मन्दिर का रूप दिया जाय तभी इस विधेयक की मंशा पूरा होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, इस बात में आप और सारा सदन सहमत होगा कि शायद इस सदन के इतिहास में यह एक पहला बिल है जो इतनी सर्वसम्मति से कबूल किया जा रहा है और मुझे पूर्ण आशा है कि एक भी आवाज इसके खिलाफ नहीं उठाई जायगी। मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय हम सबको बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो कुछ सुझाव इस ओर से या उस ओर से दिये गये करीब करीब सभी को उन्होंने मान लिया और जो बात बिल के अन्दर तरमीम करने की नहीं समझी गयी उसके लिये उन्होंने वायदा किया है कि रूल्स में वह उन्हें ले आयेंगे।

एक बात मुझे यह कहनी है कि हिन्दू धर्म की परिभाषा को बाबत जो एक सदस्य ने कहा कि ऐसी रखी जाय जिसमें ऐसे लोग उसमें न रखे जायं जो ईश्वर को न मानते हों या मूर्ति के उपासक न हों, इसकी बाबत मैं यह कहूंगा कि हिन्दू धर्म इतना विस्तीर्ण है कि उसकी परिभाषा करना बहुत मुश्किल है। जो कोई हिन्दू परिवार में उत्पन्न हुआ है उसका हक है कि वह अपने को हिन्दू कहे। जो अपने को हिन्दू बताता है वह हिन्दू है। एक सवाल यह है कि हम किस पर अपना कब्जा करें, हम किसको इस परिभाषा में ला सकते हैं? जो धार्मिक संस्था हो, जिसमें अपव्यय हो रहा हो उसको इसमें लाने के लिये हम इसे लाये हैं। उपयुक्त तो यही 'होगा' कि हिन्दू की परिभाषा जितनी व्यापक हो सके, जितनी विस्तीर्ण हो सके वह अच्छी बात है ताकि हम सब हिन्दू धार्मिक संस्था व मन्दिरों पर इसे लागू करें। इन शब्दों के साथ मैं फिर बधाई देता हूं कि यह जो बिल है हमारे इस सदन में सर्वसम्मति से पास होना चाहिये और मुझे पूर्ण आशा है कि अवश्य होगा।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस रूप में पेश किया गया था और उसके बाद माननीय जगदीश शरण अग्रवाल और त्रिपाठी जी ने जिस रूप से संशोधन पेश किये अगर इस वातावरण में मंत्री महोदय संशोधनों के अधिकांश भाग को स्वीकार न करते तो बड़ी दिक्कतें होतीं। विधेयक पेश करने के बाद संशोधन पर बोलते हुये जगदीश शरण अग्रवाल जी ने जिस तरह की बातें पेश कीं, मैं समझता हूं उनसे जो कानून नहीं जानते उनके दिल में बड़ी शंकायें उत्पन्न हो रही थीं और अगर इस तरह उसी रूप में विधेयक पास हो गया होता और कानून का जामा उसे पहना दिया गया होता, तो इसका पूरा मकसद खत्म हो जाता। कानूनी शिकंजे में जब यह चीज फसेंगी तो जिस मकसद को ले कर यह चीज आई है वह पूरी नहीं होगी। यह शंका इसलिये पैदा होनी जरूरी है। जिस तरह से हदबन्दी कानून बड़े अर्से के बाद बना और निरर्थक हो गया उसी तरह से लम्बे अर्से के बाद यह विधेयक सामने आया है और लोगों ने अपनी सम्पत्तियों को हस्तांतरित करके इस विधेयक की मल मंशा को खत्म

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

करने की कोशिश कर दी है। काफी लेट होने पर भी इसको दुरुस्त कर दिया गया है "देर आयद, दुरस्त आयद"। जो संशोधन पेश किये गये उनको माना गया है। इसलिये इस विधेयक की ताईद करते हुये, मैं मंत्री महोदय को पुनः धन्यवाद देता हूं कि इसको अमली जामा पहनाने के पहले कानूनी नुक्तेनजर से जो गड़बड़ियाँ होने की संभावना हो, उन पर बारीकी से गौर करके, जो इस तरह के तत्व हैं जो समाज में जो धार्मिक मदान्धता उत्पन्न करके सम्पत्तियों का दुरुपयोग करते हैं उनकी रोकथाम की व्यवस्था करने की वह भरसक कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मंगलदेव।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस बिल पर विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं मंगलदेव जी को बुला चुका हूं, उनको बोल लेने दीजिये, उसके बाद लूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—श्रीमन्, दोनों ओर के लोग सहमत हैं और काफी वाद-विवाद भी हो चुका है। अतः मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री ऊदल—श्रीमन्, माननीय कृष्णानन्द जी के प्रस्ताव के पहले आपने मंगलदेव जी का नाम पुकारा था। वह ज्यादा से ज्यादा ५ मिनट बोलेंगे। इसलिये उनको बोल लेने दीजिये। उनके बाद प्रश्न उपस्थित कीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने तो मंगलदेव जी को बुला लिया। वे कृपया बोलें।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने परसों और आज भी इस बिल पर होने वाली बहस को सुना। इस पर बोलने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन आज बिल पर बहस खत्म होते होते जितने संशोधन जरूरी थे मंत्री महोदय ने उनको मान लिया। जिन कारणों से मंत्री महोदय को यह बिल लाने की जरूरत पड़ी मालूम होता है कि उसके बारे में लोगों को भ्रम हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने "हिन्दू" की परिभाषा करने की कोशिश की। सारा समाज और देश के सारे विद्वान बहुत दिनों से "हिन्दू" की परिभाषा करते आ रहे हैं लेकिन अभी वह काम बहुत बाकी है। उन्होंने कहा कि न केवल अच्छे विचारों के अफसर जो धार्मिक संस्थाओं को नुकसान न पहुंचा सकें, बल्कि उन्होंने यह भी कहने का साहस किया कि हरिजन सवाल उठायेंगे कि उन्हें भी इसमें सर्विस दी जाय। मैं समझता हूं कि यह जिस पक्ष के सदस्य हैं ऐसा कह कर वे अपने पक्ष को निर्बल कर रहे हैं और जिन समस्याओं को बहुत विवेक से समझने की कोशिश की गयी थी, उन्होंने फिर उनको उभाड़ दिया। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता लेकिन यह बताना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि इस तरह की परिभाषा से हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की रक्षा होने वाली नहीं है। आज अपनी, देश की, समाज की और राष्ट्र की रक्षा करने की बात है और एक प्रगति लाने की बात है। महात्मा गांधी और अन्य त्यागियों के इस देश में भेद-भाव को खत्म किया जा रहा है बल्कि कोशिश की जा रही है। आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं दौरे में घूमता हुआ जगन्नाथपुरी भी गया, कोई दर्शन करने की इच्छा से नहीं बल्कि नजदीक पहुंच गया था और साथियों के साथ गया था। मुझे वहां पूछने पर मालूम हुआ कि जगन्नाथपुरी के मंदिर की आमदनी से २० हजार ब्राह्मण परिवारों का खर्चा चलता है। किसी दूसरी जाति का परिवार उससे पोषण नहीं पाता। आज देश के सारे मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं की आमदनी से हिन्दुस्तान की एक विशेष जाति का जो पोषण हो रहा है, आज भी उसी का संकेत किया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष—यह विषय नहीं है।

श्री मंगलदेव—यह विषय नहीं है तो मैं यह कहता हूं कि इस तरह के जो विचार आ रहे हैं, जो यह संकेत दिये जा रहे हैं इनके पीछे गलत भावनायें और विचार हैं। हरिजनों के प्रति कम से कम उस पक्ष से तो कोई अच्छी सहानुभूति नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। समयानुसार देश के उत्थान के लिये इस तरह के प्रगतिशील कानून और भी बनाये जा सकते हैं, अभी तो प्रथम चरण है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस बिल को अच्छी तरह से पाइलट करने के लिये धन्यवाद और सर्टिफिकेट दिया है। जो बात हमारे साथी त्रिपाठी जी ने कही है उस पर जरूर विचार किया जायगा। मैं यह कहूंगा कि जो माननीय सदस्य रूल्स बनाने के सिलसिले में सुझाव देना चाहें, वे देने की कृपा करें। जो लोग सहयोग नहीं करते हैं और विरोध करते हैं इसके माने यह हैं कि वे अपव्यय के हामी हैं और चाहते हैं कि अपव्यय हो। इस लिये ऐसे लोग लुटेरे की तारीफ में आजायेंगे। इसलिये हर एक का कर्त्तव्य है कि वह ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग दें और अपने सुझाव मेरे पास भेज दें।

जहां तक ऐसी धर्मशालाओं का ताल्लुक है जो मंदिर से लगी हुई हैं उसमें किसी शंका की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने परिभाषा में यह कर दिया है कि मंदिर से कोई चीज लगी हुई है वह उसमें शामिल हो जायगी। यदि कोई धर्मशाला किसी मंदिर से लगी हुई है तो वह इसमें आ जायगी जायदाद के रूप में। इसकी धारा ३ की उपधारा (६) में यह दिया हुआ है कि किसी मंदिर में मूर्तियां हैं और उनकी मूर्ति के लिये कोई जायदाद दी गई है तो वह मंदिर के अन्दर आ जायगी। इस तरह से धर्मशालायें जो मंदिर से लगी हुई हैं वह इसमें आ जायंगी। इसके अलावा नियम बनाते समय देखा जा सकता है। इसके अलावा "हिन्दू" की जो परिभाषा दी गई है उसमें हमारे जैन, बौद्ध और आर्यसमाजी सब भाई शामिल हैं। ऐसी परिभाषा के बाद किसी शंका की आवश्यकता नहीं रहती है और न हरिजनों को कोई अंदेशा होना चाहिये कि हरिजनों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें केवल इतना है कि आमदनी का अपव्यय न हो और मैं समझता हूं कि जितनी देर वाद-विवाद हो गया है वह काफी है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको तुरन्त पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions(Prevention of Dissipation of properties (Temporary Powers) Bill, 1962] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradash Panchayat Raj (Amendment) Bill,* 1961] जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

*३१ जुलाई, १९६२ की कार्यवाही में छपा है

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

श्रीमन्, यह छोटा सा विधेयक है और पंचायत राज ऐक्ट की धारा १४ में एक संशोधन करने के लिये यह लाया गया है। सब माननीय सदस्य जानते हैं कि जब से हमने पंचायत राज की स्थापना की है, गांव सभाओं और गांव पंचायतों का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अभी तक म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में या प्रजातंत्र की अन्य इकाइयों में, अविश्वास के प्रस्ताव के लिये निर्धारित अवधि रखी गयी है। लेकिन गांव सभा के सभापति के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये कोई भी अवधि निर्धारित नहीं की गयी है। उसका फल यह होता है कि जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, दूसरे ही दिन गांव सभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास की नोटिस दे दी जाती है। आये दिन गांव स्तर पर जो झगड़े होते रहते हैं, जो पार्टीबन्दी होती रहती है उसको दूर करने के लिये एक छोटा सा विधेयक लाया गया है कि गांव के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने की अवधि एक साल कर दी जाय। चुनाव के एक साल के अन्दर कोई भी अविश्वास का प्रस्ताव न उपस्थित किया जाय और उसके बाद जब भी उपस्थित किया जाय अगर वह गिर जाय तो फिर उसके एक साल के अन्दर फिर अविश्वास का प्रस्ताव न लाया जा सके।

दूसरी बात यह है कि गांवों में कटुता और झगड़े हैं। वह भी कुछ हद तक बन्द होंगे। हमारे माननीय सदस्यों ने जो संशोधन दिये हैं, उन सब की मंशा हमारे ऐक्ट में और विभिन्न नियमों और उपनियमों में समावेश हो चुकी है। आशा है कि इस छोटे से विधेयक को सदन सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक में जो एक साल के लिये रखा गया है....

श्री उपाध्यक्ष—आप अपना प्रस्ताव मूव कर दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६१, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रपट एक सप्ताह के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे जो विधेयक रखा गया है, वह अपनी जगह पर दुरुस्त ही है लेकिन मुझे इस संबंध में निवेदन यह करना है कि माननीय मंत्री जी ने प्रधान और उप-प्रधान के बारे में तो अपनी एक निश्चित राय रखी कि गांव में दलबन्दी होती है और दलबन्दी के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जिस स्थिति में एक गुट जो दूसरे गुट का सभापति है या उप-सभापति होता है उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते हैं और इससे गांव सभा के काम में बाधा पड़ती है। लेकिन श्रीमन्, इसी के साथ-साथ जो गांव सभा का सभापति होता है वही ग्राम समाज का भी चेयरमैन होता है और उसके ग्राम समाज का चेयरमैन होने के नाते जो ग्राम समाज के सदस्य होते हैं उनके ऊपर भी सदस्यगण अविश्वास प्रकट करने के लिये प्रस्तुत होते हैं, उनको हक है कि वह उनके प्रति भी अविश्वास प्रकट कर सकें। तो इस तरह की एक स्थिति और भी पैदा होती है। माननीय मंत्री जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सभापति और उप-सभापति के लिये विधेयक लाते समय अगर समय उसमें शब्द ग्राम समाज का सभापति भी जोड़ दिया जाता तो यह विधेयक अपने आप में पूर्ण हो जाता और जो माननीय मंत्री जी का उद्देश्य था वह भी पूरा हो जाता। लेकिन उसके न जोड़ने से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। आज तो सभापति को इतना अधिकार था कि जनतांत्रिक प्रणाली के मुताबिक जब तक २/३ वोट उसके विपक्ष में न पड़ें तब तक वह नहीं निकाला जा सकता। लेकिन गांव सभा का सभापति ही गांव समाज का भी सभापति होता है। उसको निकालने के लिये २/३ मेम्बरों ने अविश्वास का प्रस्ताव दे दिया तो वह निकाल दिया जायगा। तो अगर

यह शब्द ग्राम सभा के सभापति के साथ साथ ग्राम समाज का सभापति भी जोड़ दिया जाता तो मैं समझता हूं कि उसका उद्देश्य और भी पूरा हो जाता । इसलिये मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये और अगर अभी भी माननीय मंत्री जी मुनासिब समझें तो ग्राम समाज का अध्यक्ष उसमें जोड़ दें, उससे यह मंशा पूरी हो जायगी और विधेयक लाने का सारा उद्देश्य पूरा हो जायगा ।

दूसरी तरफ श्रीमन्, मुझे कहना यह है कि आज ग्राम सभापति को क्या अधिकार है ? गांव की सारी सम्पत्ति ग्राम समाज में वेस्ट कर दी गई है । गांव सभा के पास मैं समझता हूं कि सम्पत्ति बहुत कम है । लेकिन ग्राम समाज के पास सबसे ज्यादा सम्पत्ति है और उसी के लिये सभा का जो सभापति होता है या ग्राम समाज का चेयरमैन होता है वह जिम्मेदार ठहराया जाता है और सारे झगड़े का कारण वह ग्राम समाज का चैयरमैन ही होता है । इसलिये मैं कहता हूं कि इस संशोधन को माननीय मंत्री जी मान लेते तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक की मंशा पूरी हो जाती और उससे जो माननीय मंत्री जी का विचार है कि ग्राम सभा को दलबन्दी से दूर रखा जाय, वह दलबन्दी से दूर हो सकती है । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं जो कि हमारे साथी ने रखा है । उनकी भी यही मंशा थी कि अगर यह शब्द इसमें बढ़ा दिये गये होते तो इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं होती । लेकिन इस कमी के कारण इसका प्रवर समिति में जाना आवश्यक है ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का जहां तक प्रश्न है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इसे पेश करते हुये कहा था यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है और अभी एक मित्र जो विरोधी दल से बोल रहे थे उनकी बातों से पता चलता है कि वह भी इसका स्वागत करते हैं यद्यपि उन्होंने एक और बात कही कि गांव समाज के चेयरमैन के बारे में भी कोई संशोधन आना चाहिये था । लेकिन मेरी समझ से यह आवश्यक नहीं है । गांव सभा का जो सभापति होता है वही एक्स-आफिशियो गांव समाज का चेयरमैन होता है । तो गांव सभा के प्रधान पर अगर यह बंधन लगा दिया गया तो गांव समाज के चेयरमैन पर भी वह स्वयं लागू हो जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, यह बात नहीं है । ऐक्ट में ऐसा नहीं है । जो माननीय राय साहब कह रहे हैं, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता हूं । गांव सभा के सभापति और ग्राम समाज के सभापति दोनों की दो पोस्ट्स हैं । दोनों दो पोस्ट्स होल्ड करते हैं और यह ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट वह हो । अगर कोई ऐसा संशोधन हो गया हो और वह लागू हो गया हो कि ग्राम समाज का सभापति वही माना जायगा जो गांव सभा का सभापति हो तब तो बात दूसरी है । अन्यथा उसमें यह शब्द बढ़ा दिया जाना चाहिये जिससे कि यह भ्रम न हो । ऐसा संशोधन आने वाला था । मैं नहीं जानता कि वह संशोधन आ गया या लागू हो गया । अगर वह लागू हो गया तो मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर वह लागू नहीं हुआ है तो उसमें ये शब्द जोड़ देने चाहिये जिससे भ्रम दूर हो जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय—जहां तक मेरी जानकारी है, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक गांव समाज के चेयरमैन और गांव सभा के प्रधान का व्यक्तिगत प्रश्न है, दोनों का एक ही होता है लेकिन हमारे माननीय साथी दूसरी बात कह रहे हैं । उसको हमारे उप-मंत्री महोदय देखेंगे ।

मुझे कुछ दूसरी बात निवेदन करना है । हमारे मंत्री महोदय जो यह विधेयक लाये हैं, उसमें थोड़ी सी ड्राफ्टिंग की अगर कृपा कर दें तो अच्छा है क्योंकि इसमें जो ध्येय रखा गया है उसमें थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि धारा १४ में प्रधान के साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

]श्री कृष्णानन्द राय]

उप-प्रधान को भी जोड़ दिया गया है। उप-प्रधान का केवल एक वर्ष के लिये ही चुनाव होता है। जब उप-प्रधान का एक वर्ष के लिये ही चुनाव होता है तो उसके लिये अविश्वास का प्रस्ताव रखने के लिये एक वर्ष का प्रतिबन्ध लगाना कोई अर्थ नहीं रखता है। इस संबंध में मैंने संशोधन रखा है और मुझे आशा है मंत्री महोदय उसको स्वीकार करेंगे।

(इस समय ३ बजकर ५ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री केशव गुप्त, पीठासीन हुये।)

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह सही बात है कि गांव सभा का प्रधान हमारे पंचायत राज्य में या हमारी प्रजातंत्र व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। यह अच्छा है कि इस विधेयक को लाकर जिस प्रकार से म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव रखने के विरुद्ध प्रतिबन्ध था उसी तरह से इसमें प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है लेकिन एक तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन और अन्तरिम जिला परिषद् का चेयरमैन जो होता है वह सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन हमारी गांव सभा के प्रधान का चुनाव जो होता है वह दूसरी व्यवस्था से होता है। उससे गांव के अन्दर अन्तर्द्वन्द पैदा हो गया है। जनता के द्वारा वह गांव सभा का प्रधान चुना जाता है और गांव सभा द्वारा पंचायत भी चुनी जाती है। नतीजा यह होता है कि पंचायत के सदस्य दूसरे मत के हो जाते हैं। दूसरा प्रधान दूसरे मत का हो जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि वे आपस में लड़ते हैं और गांव सभा का काम नहीं होता। हमारी समझ में जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने गांव सभा के प्रधान के पद को कुछ स्थायित्व प्रदान किया है म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरह से उसी प्रकार से अच्छा होता कि गांव सभा के प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष न कराकर अप्रत्यक्ष कराया जाय। जिस प्रकार से परिषद् या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होते हैं उसी प्रकार से उसका भी हो। यहां पर देश में कुछ विद्वानों का भी यह मत है कि गांव सभा के प्रधान का चुनाव कम से कम अप्रत्यक्ष हो जिससे उस व्यवस्था में कुछ सुधार हो। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि हमारा जो यह संशोधन है उसको उप-मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु इतनी छोटी ड्राफ्टिंग ४ लाइन की उसमें भी एक गलती हो गई। पंचायत राज अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत गांव सभा के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य किसी भी प्रधान या उप-प्रधान को उसके पद से पृथक करने का नोटिस किसी समय देकर गांवसभा की बैठक बुला सकते हैं। यह ड्राफ्टिंग की गलती हो गई। आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदार सरकार के यहां कैसे काम होता है कि इस प्रकार से गलती हो जाय। इतने छोटे संशोधन में भी लोग ध्यान नहीं दे पाते। इतना रुपया हमारे यहां इस ड्राफ्टिंग के ऊपर खर्च होता है लेकिन फिर भी यह ड्राफ्टिंग की हालत है। कल परसों भी मैंने देखा कि किस प्रकार से ड्राफ्टिंग में लोग गलती करते हैं। जिस समय वह खंड १४ बनाया गया तो उस पर अधिक विचार नहीं किया गया और जल्दी १५ खंड पर पहुंच गये। एक वर्ष की अवधि उसमें है पर उसको ड्राफ्ट करते समय सारे उसके शब्दों को नहीं देखा। कहीं किताब में पढ़ते तो पता चल जाता कि एक वर्ष की उनकी अवधि है, लेकिन उसको भी धुसेड़ दिया और दूसरी ड्राफ्टिंग की आवश्यकता पड़ गयी। आखिर कौन व्यक्ति ऐसी ड्राफ्टिंग करता है जो ऐसी मामूली चीज में भी गलती कर दे।

दूसरे जो संशोधन हैं उसके विरुद्ध मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। यह ठीक है कि गांव सभा के काम में स्थिरता आये, लेकिन जो एक वर्ष की अवधि रखी गयी है उसे रख कर उसे म्युनिसिपल बोर्ड और अन्तरिम जिला परिषद् के समक्ष कर दिया गया है। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता हूं कि इसमें प्रत्यक्ष वोट का कोई जिक्र नहीं है, हालांकि इतनी छोटी इकाई में हाथ उठाकर ही वोट होना चाहिये। जो लिखा गया कि धारा ९५ के होते हुये इसकी आवश्यकता नहीं है तो धारा ९५ का प्रयोग बहुत कम होता है। गांव सभा के सभापतियों ने कितना ही धन हड़प कर लिया है, नीलाम का रुपया खा गये हैं, अगर शिकायत हुई तो पटवारी ने जो लिखा वह हो गया और इस तरह से रुपये का काफी अपव्यय हो रहा है, लेकिन शायद ही कहीं उनके खिलाफ कार्यवाही हुई हो। एक भय जरूर था कि वह जल्दी ही गद्दी से उतार दिये जायेंगे यह ठीक है कि यह १५ दिन या महीने भर के बाद नहीं आना चाहिये, लेकिन एक वर्ष का समय काफी होता है। इसे ४ महीने बाद या ज्यादा से ज्यादा ६ महीने बाद आना चाहिये था। सिद्धांततः तो मैं ठीक समझता हूं कि यह अवधि १ साल की रहनी चाहिये, लेकिन व्यवहार में मैं समझता हूं कि आप मुझ से सहमत होंगे कि ६ महीने से ज्यादा अवधि बढ़ानी नहीं चाहिये। दुर्भाग्य से मैं इसमें अपना संशोधन नहीं दे सका, लेकिन माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि यदि वह चाहते हैं कि काम सुचारु रूप से चले तो यह अवधि ६ महीने की रखें। आज बहुत से अधिकारियों को फुरसत नहीं है कि वे यह सब काम देख सकें। तो ड्राफ्टिंग को देखते हुये मंत्री जी पहले तो इसे वापस लें और फिर से ड्राफ्टिंग करावें नहीं तो यह अवधि ६ महीने की रखी जाय।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता, महोदय जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है उसके द्वारा पंचायत राज अधिनियम की एक धारा में संशोधन करने का सुझाव है मैं समझता हूं कि इसमें अधिकांश माननीय सदस्यों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे एक साथी राय साहब ने ठीक ही कहा है कि पंचायतराज अधिनियम में बहुत सी विषमतायें हैं और बहुत असंबद्धता है। अच्छा यह था कि सरकार स्वयं इस अधिनियम की जांच करा कर जितने आवश्यक संशोधन हो सकते थे उसको एक विधेयक के रूप में हाउस में प्रस्तुत करती। लेकिन मुझे खेद है कि सरकार ने जल्दबाजी में केवल धारा १४ (१) को संशोधित करने का प्रयास किया। मैं माननीय श्री काशीनाथ मिश्र जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले और पंचायत राज अधिनियम में जो आवश्यक संशोधन हो सकता है उन संशोधनों के लिए पूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम पर बड़ी मोटी पुस्तक बनी हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें बहुत असंबद्धता है, बहुत सी ऐसी विचित्र बातें हैं जो एक दूसरे के विपरीत जाती हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम और उसके मातहत बने नियम और उप नियमों के कारण अनेक मुकदमे के सिलसिले में हमारे प्रदेश में हाईकोर्ट ने बहुत से नियमों और उप-नियमों को रद्द किया है और जहां तक हाई कोर्ट ने राय जाहिर की है कि पंचायत राज अधिनियम पूर्ण नहीं है बल्कि उसकी बहुत सी धारायें एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को वापस लेंगे।

अभी राय साहब ने कहा और वह बात सही है और बहुत ऊंचे स्तर पर कही गई है। मैं समझता हूं कि जिनका ध्यान आज पंचायत राज की तरफ है, उनका सही कहना है कि एक तरफ तो आप धीरे-धीरे नगरपालिका, टाउन एरिया और कारपोरेशन वगैरह में सदस्यों का चुनाव कराते हैं बालिग मताधिकार से और उसके बाद प्रमुख या चेयरमैन का चुनाव कराते हैं। वहीं गांव सभा में पंचायत के सदस्यों का चुनाव बालिग मताधिकार से होता है और प्रधान का चुनाव भी बालिग मताधिकार से होता है। इससे वाकई कहीं-कहीं बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है और पंचायत के सदस्यों का बहुमत प्रधान के खिलाफ जाता है और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि पंचायत चल नहीं पाती। यह बड़ी विचित्र बात है। इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए मंत्री जी का और इसके ऊपर भी कोई आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए। इसी तरह की और बहुत सी बातें हैं जिनके कारण से यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश पंचायत-राज अधिनियम पर एक व्यापक संशोधन विधेयक आना चाहिए और यह तभी संभव है जब

[श्री मैनेजर]

हम इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करें। उसका दायरा बढ़ा दें। जो मुनासिब संशोधन हो सके उसे लावें।

पंचायत राज में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं और जहां यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है वहीं खेद है कि पिछले वर्षों में यहां पंचायत राज करीब करीब समाप्त प्रायः हो गया था। प्लानिंग के उदर में उदरस्थ हो गया तथा पंचायत राज और पंचायत राज का नाम भी नहीं लिया जाता था और केवल नाम के लिए डाइरेक्टोरेट था। पंचायत राज में एक निष्क्रियता सी व्याप्त थी। मुझे बड़ी आशा है कि क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम लागू होने से पंचायतों में एक नया जीवन आयेगा और वे अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक होंगी। क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम के लागू होने के बाद हम अपने पुराने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में तदनुसार व्यापक संशोधन करें। अब मैं अधिक समय न लेकर केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इस प्रस्ताव पर गौर करें और प्रवर समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रवर समिति में और भी जो आवश्यक संशोधन हों वे भी अवश्य स्वीकार किए जायं।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस विधेयक को हम २, ४ महीने टाल देते हैं तो इससे कोई आकाश फटने वाला नहीं है। आप देखेंगे आंकड़ों के संकलन से बहुत ही कम प्रधान ऐसे हैं जिनके ऊपर अविश्वास की तलवार लटकती है। तलवार तो प्रधानों के सर पर लटकती रहती है। आपके एस० डी० एम० की तलवार, लेखपाल की तलवार, तहसीलदार की तलवार हमेशा उसके सिर पर लटकती रहती है। प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट जाती है, लेखपाल लिख देता है, गड़बड़ी हुई है, कानूनगो उस पर दस्तखत कर देता है, तहसीलदार भी लिख देता है उसी पर, एस०डी०एम० उनको मोअत्तल कर देते हैं। तो एक प्रधान लेखपाल की रिपोर्ट पर मोअत्तल हो जाता है। लेखपाल के मातहत वह काम करता है, फिर कैसे आप पंचायत राज की बात करते हैं। क्यों नहीं इसके लिये आप एक ट्रिब्युनल जिला स्तर पर बना देते? आप क्यों नहीं प्रदेश स्तर पर एक पंचायत राज बोर्ड बना देते? आपने अपने एस० डी० एम० को मुअत्तल के अधिकार दे रखे हैं जिसके कारण दर्जनों सभापति मुअत्तल पड़े हुये हैं। हर जिले में १०, ५ प्रधान मुअत्तल मिलेंगे। वे हर वक्त एस० डी० एम० की खुशामद में लगे रहते हैं। आपके लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एस० डी० एम० यह सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और उसको इन सब की खुशामद करनी पड़ती है। इसलिये आपके इस कानून में एक व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। इस समय मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस समय पंचायत राज की जो दुर्गति हो रही है इस प्रदेश में, उससे प्रदेश के अन्तर्गत प्रधान की बदतर जिन्दगी हो रही है और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिये इसको आप प्रवर समिति में भेजिये ताकि इस पर गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया जा सके और व्यापक संशोधन प्रस्तुत किये जा सकें। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे प्रवर समिति के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री बसन्तलाल शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, यह जो पंचायतराज (संशोधन) विधेयक रखा गया है, इसके समर्थन में और प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जितने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में बोले हैं उन सभी ने प्रायः इसके सिद्धान्तों को स्वीकार किया है कि प्रधानों के प्रति जो अविश्वास का प्रस्ताव आता है, उसमें एक अवधि जरूर रखी जाय। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा है कि उसके लिये ५, ६ महीने रखे जायं। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने अपने संशोधन के संबंध में कुछ संकेत देते हुये उप-प्रधानों के बारे में भी जिक्र किया है। मैं उससे सहमत हूं क्योंकि उप-प्रधानों का चुनाव एक वर्ष के लिये होता है। धारा १५ के अन्तर्गत जो चुनाव किया जाता है उसमें कोई बन्धन नहीं है। एक साल की अवधि के भीतर उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं होगा। प्रधानों का जो चुनाव होता है उसी के साथ साथ उप प्रधानों के लिये भी अविश्वास का प्रस्ताव शुरू

कर देते हैं। इसलिये इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से यह स्पष्टीकरण हो जायेगा कि वह प्रधान भी एक साल के लिये निश्चित हो जायेगा। अगर वह चीज भी इसमें आ जाती है तो वह भी साफ हो जायेगी।

जहां तक मैनेजर सिंह जी ने हाई कोर्ट आदि का जिक्र किया और इसको प्रवर समिति में भेजने पर जोर दिया जिस प्रकार से जिस प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया है उससे वह बात समझ में नहीं आती और मूलतः उन्हीं की बात से वह उसके खिलाफ जाते हैं। एक सप्ताह का समय उसके लिये उन्होंने मांगा है और पंचायत राज एक्ट दो प्रकार के निकायों को कन्ट्रोल करता है वह बड़ा व्यापक है। एक तो गांव-पंचायत जो मैनेजिंग बाडी है वह उसको कंट्रोल करती है। और दूसरी न्याय पंचायत, जो जुडीशियरी बाडी है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो हाई कोर्ट में जो इस तरह के मामलात लटके हुए हैं वह जुडीशियल केसेज हैं। उनके बारे में मेरा खयाल है कि न्याय पंचायत तो छोटी सी संस्था है, बड़े बड़े जुडीशियल अफिसर्स, फस्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, मुंसिफ, जिला जज और कमिश्नर वगैरा जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध भी हाई कोर्ट फैसले देती है, हाई कोर्ट में वह उलट जाते हैं जो नीचे से फैसले होते हैं और हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में उलट जाते हैं। इसलिए यह कहना कि चूंकि हाई कोर्ट में पंचायतों के निर्णय उलट गये इसलिए संशोधन लाना जरूरी है और इसी लिए प्रवर समिति में यह भेजा जावे। व्यापक रूप से पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर जितने अमेंडमेंट आने चाहिए उनकी भावना के अनुसार अगर ६ महीने भी प्रवर समिति लेगी तो कम होगा, जबकि इस प्रस्ताव में एक सप्ताह का समय मांगा गया है।

दूसरे, यह एक सीधा-साधा संशोधन विधेयक रखा गया है, इसमें केवल एक धारा में मामूली संशोधन की बात है, उसके लिए प्रवर समिति में भेजा जाना न्याय संगत बात समझ में आती नहीं है। प्रवर समिति में भी सब विधेयक नहीं जाते हैं, केवल वह विधेयक भेजे जाते हैं जिनमें भारी त्रुटियां काफी गुत्थियां हों। इसको प्रवर समिति में भेज कर समय का दुरुपयोग करना होगा। हमारी विकेन्द्रीकरण की तथा विकास की नीति है जिसके द्वारा हम नीचे की संस्थाओं को सबल बनाना चाहते हैं, उनका सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, प्रजा को, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रजातंत्र के अन्दर प्रजा का स्थान है, ऐसी स्थिति में गांव सभा के प्रधानों और उप-प्रधानों की अवधि निश्चित करना आवश्यक है। क्योंकि गांवों में नाना प्रकार की भावनाएं चल रही हैं। श्री मैनेजर सिंह जी ने कहा कि कानून में गड़-बड़ घुटाला है और कई प्रधान मौत्तिल पड़े हुए हैं तो यह तो गवर्नमेंट का फलाई व्हील है। इतना बड़ा प्रदेश है, साढ़े सात करोड़ की आबादी है, उनका कार्य-कलाप कैसा भी हो सकता है। उनके ऊपर एक नियंत्रण है, हमारे नियमों का नियंत्रण है। उनका कोई उल्लंघन करेगा तो वह दंडित किया जायगा, हटाया जायगा, उसका निराकरण किया जायगा, दूसरा बनाया जायगा। एक साल की अवधि अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में है, और कोई अर्थ नहीं है। नियमों में यह बाधा नहीं डालती। यह तो चुनाव के संबंध में है, इसकी भावना बड़ी सुन्दर है, इसको विरोधी दल के सभी भाइयों ने भी माना है। इसको स्वीकार किया जाना चाहिए।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय सदस्य की बात सुनी और मुझे बड़ा दुख है कि जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण दिये हैं और प्रतिबन्धात्मक वाक्य जो जोड़ने की बात कही है उतने को अपने दृष्टिकोण से मैं गलत समझता हूं।

श्रीमन्, जिस वक्त उद्देश्य और कारण पढ़ने को मिलते हैं तो मुझे हंसी आती है और आदरणीय सदन को भी आती है कि प्रधान की अवधि ५ साल की होती है और उप-प्रधान की एक साल के लिए होती है और मंत्री जी ने उपप्रधान की अवधि देखे बिना ही मान लिया कि उसका चुनाव होगा और उसको हटाने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव होगा। मैं गांव का रहने वाला हूं, ग्राम पंचायत ऐक्ट को पूरी तरह से जानता हूं। माननीय मंत्री जी स्वयं अपना बनाया हुआ ऐक्ट नहीं पढ़ा और संशोधन हमारे सामने पेश है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहूं कि प्रधान और उप-प्रधान को एक एक साथ जोड़ दिया गया। प्रधान जनता चुनती है, २१ साला नागरिक चुनता है और उपप्रधान को ग्राम पचायत के माननीय सदस्य चुनते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जिन्होंने जिसको चुना है उसे ही उसे हटाने का अधिकार होना चाहिये न कि किसी दूसरे को। जहां तक जनतत्र की परिभाषा में समझ पाया हूं तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम सभा के २१ साला सदस्यों का दो तिहाई का बहुमत होना चाहिए और उप-प्रधान तो एक साल के लिए चुना ही जायगा। उसको हटाने के लिये जो संशोधन रखा गया है उससे पहले उस धारा का संशोधन कराया जाय। उप प्रधान का चुनाव ५ साल का कर दिये होते और एक प्रतिबन्धात्मक वाक्य उद्देश्य और कारणों में रखते। मैं पहले यह प्रार्थना करूंगा कि उप प्रधान का चुनाव पांच साल के लिये कराये और उस धारा को संशोधित करें। जब एक साल का ही चुनाव करा रहे हैं और एक साल की नोटिस दे रहे हैं तो यह दोनों विरोधात्मक बातें हैं। उप प्रधान का चुनाव ग्राम सभा सदस्य करते हैं। यह मैं मानता हूं कि प्रधान का चुनाव बालिक नागरिक करते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह सही है कि प्रधान के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये और निश्चित अवधि पर आना चाहिये जैसा कि संशोधन दिया है, लेकिन जैसा कि एक साल उन्होंने रखा है उसको मैं नहीं मानता। इस समय मैं यह कहता हूं कि ग्राम सभा के प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये और उप प्रधान के खिलाफ भी आना चाहिये लेकिन दोनों पर अलग-अलग तरीके से आना चाहिये। मैं तो उद्देश्य और कारण और प्रतिबन्धात्मक वाक्य को ही गलत समझता हूं। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में रखा जाय और पहले यह संशोधन लाया जाय कि उपप्रधान का ५ साल का चुनाव हो। उसका एक साल का चुनाव हो और उसको हटाने के लिये एक साल की नोटिस हो, इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी करें।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, पंचायत राज संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके संबंध में जो बातें दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने कहीं उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना। प्रधान के सम्बन्ध में जो स्थिति बताई गई, उसकी दो स्थितियां हैं, एक चेयरमैन गांव समाज की और दूसरी प्रधान की। इस समय पंचायतराज अधिनियम में जो प्राविधान है उसमें प्रधान की स्थिति पृथक् और गांव समाज मैनुवल के चेयरमैन की स्थिति भी अलग है। लेकिन क्षेत्र समिति में जो स्थिति होने वाली है उससे एक स्थिति हो जायगी। उससे दोनों का काम चल जायगा। इसलिये माननीय सदस्य ने जो बात कही उसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रधान का चुनाव बालिग मताधिकार द्वारा होता है। अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उसको वापिस बुलाने का प्रताव रखा गया है। अगर दो महीने के बाद ही उसको वापस बुलाने की बात रख दी जाय तो उससे गड़बड़ी पैदा होगी क्योंकि उसका संबंध पंचवर्षीय योजना से होता है। अगर उसकी स्थिति मजबूत नहीं रहेगी तो वह किस प्रकार से कार्य कर सकेगा। मैं समझता हूं कि जो एक साल का समय सरकार ने रखा है वह भी कम है। चुने हुये प्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सकता है। वह तो दसरी बात है, लेकिन जब जनता ने अपना मत देकर, अपना विश्वास देकर उसको चुन लिया तो उसको यह विश्वास होना चाहिये कि उसको कुछ काम करना है ताकि वह कुछ काम कर सके विश्वास के साथ। आप प्रधान को इतने बड़े-बड़े अधिकार दे रहे हैं, ग्रान्ट दे रहे हैं, जन-स्वास्थ्य के अधिकार दे रहे हैं, चाहे जैसे वह खर्च कर सकता है, कोई खास नियम वाउचर आदि का उसके ऊपर लागू नहीं होगा, तो फिर यह बार-बार बुलाने वाली बात किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगी। इसलिये जो सरकार की तरफ से संशोधन पेश हुआ है वह बहुत ही औचित्यपूर्ण है। उन्होंने जो एक वर्ष वाली बात रखी है, वह बहुत ही वाजिब रखी है। किन्तु एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह बेच खायेगा लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उसके ऊपर बहुत अनुशासन रखा गया है। ये दोनों बातें विरोधी हैं।

खंड ९५—च में, अगर प्रधान कोई अनुचित कार्य करता है तो उसको रिमव करने का भी

अधिकार है। हां, यह आप कर सकते हैं कि यह अधिकार आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं या डायरेक्टर को दे सकते हैं। अगर कोई प्रधान चोरी करता है, बेईमानी करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा सकती है, वह मोअत्तल हो सकता है, बरखास्त हो सकता है। लेकिन जो प्रधान ईमानदारी से काम करता है उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिये और उसके लिये विश्वास का वातावरण पैदा करने के लिये यह जो एक वर्ष वाली बात रखी है यह बहुत ही मुनासिब बात है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यह पंचायत राज ऐक्ट का संशोधन नयी रोशनी में पूरे तरीके से लाया गया होता क्योंकि जिस प्रकार से शक्ति का डिवीजन हो रहा है और नीचे की निकायों को शक्ति प्रदान की जा रही है, उसमें आज हमारे प्रदेश का जो सामंती वर्ग है, हर स्तर पर गांव सभा से लेकर ब्लाक तक, हावी होने की कोशिश कर रहा है। सारे प्रदेश के जिलों के आंकड़ों को आप देख लीजिये पिछड़े वर्ग और हरिजन लोग सभापतियों में बहुत ही कम मिलेंगे, चाहें वे क्षेत्रीय समिति हों, ब्लाक हो या पंचायत हो। आज से पहले जो सामंती तत्व था आज वह सब स्थानों पर ताकत को हासिल करने की फिक्र में है। सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि इन बदलती हुई हालतों में जब वह नीचे के निकायों को शक्ति प्रदान कर रही है तो पीड़ित जनता को उसके हक प्रदान करने के लिये नयी नयी चीजें कानून में जोड़ कर उनको भी ताकत देना चाहिये थी। लेकिन यह चीज आप करने नहीं जा रहे हैं इसलिये मैं इस प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जो संशोधन आये हुये हैं उनको भी प्रवर समिति में भेजा जाय। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुमत के बल पर आप इसको भी नामंजूर कर देंगे। इसलिये जो संशोधन आये उन्हीं की दो तीन बातों की तरफ आपका और इस हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि प्रधानों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है लेकिन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से न होकर हाथ उठा कर होता है। इसका नतीजा यह होता है कि गांव के सामन्तवादी तत्व या असरदार लोग गांवों के गरीब तबके की जनता पर हावी हो जाते हैं और अपने मनमाने तरीके के आदमियों को सदस्य के रूप में बहुमत से चुनवा लेते हैं। जहां तक सदस्यों के चुनाव का जो प्रत्यक्ष तरीका है, उसको मैं चाहता हूं कि अप्रत्यक्ष तरीके से उनका चुनाव किया जाय, जिस तरह से कि प्रधानों का चुनाव होता है।

दूसरी बात अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहनी है कि इसका बड़ा लम्बा टाइम होता है। इस लम्बे टाइम का यह असर होता है कि जब सभापति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है और गरीब जनता उन गड़बड़ियों को बतलाती है और चाहती है कि उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लावें तो लम्बे टाइम की वजह से बीच में इस तरह का कोई प्रस्ताव ला ही नहीं सकती और उसका गुस्सा शान्त हो जाता है। इसलिये जो टाइम दिया गया है उसे ठीक होना चाहिये। उप-प्रधानों के बारे में कहा गया है कि उनके खिलाफ बीच में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया तो गड़बड़ी हो जायगी इसलिये एक साल के बाद अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्राविधान है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि तिकड़म बाज लोग अपने तिकड़मी तरीके का इस्तेमाल करके गांव के लोगों पर अपना कब्जा कर लेंगे और अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकेगा। एक साल क बाद अविश्वास का प्रस्ताव लाने की बात समझ में नहीं आती जबकि जनता को खुद इस बात का हक है कि वह एक साल बाद नया चुनाव करा लें तो फिर उस पर अविश्वास का प्रस्ताव लाने का क्या मतलब है? इसलिये कृष्णानन्द राय जी ने जो दो तीन महीने में या जरूरत पड़ने पर बीच में चुनाव कराने की बात रखी है उसकी मैं ताईद करता हूं।

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी जो हमारे ही इलाके के हैं, बहुत ही चुस्त और तेज हैं, जबाव देने के लिये बहुत उत्सुक हैं। मैं यह भी जानता हूं कि वे जवाब दे लेंगे और अपने बहुमत से इसे पास भी करवा लेंगे लेकिन उनको चाहिये कि समाज की मांग की रोशनी में जो संशोधन आया है उसे वे स्वीकार करें। इसी सिलसिले में गोरखपुर के माननीय नरसिंहनारायण ने

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

गांव समाज के चेयरमैन के बारे में जो संशोधन पेश किया है उसको ताईद करते हुये इस पूरी रोशनी में इस चीज को मैं रख रहा हूं ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह एक ऐसा संशोधन था, जिसके ऊपर विवाद की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पंचायत ऐक्ट में एक बहुत मामूली-सा संशोधन रखा गया है और आदरणीय सदन के सभी सदस्यों को उसे मान लेना चाहिये था । इसमें कोई कटुता और विवाद की बात नहीं थी और न इसमें कोई कानूनी झगड़ा था । परन्तु विरोधी दल का एक परम कर्त्तव्य हो जाता है कि हर एक चीज में कुछ न कुछ काट-छांट जरूर करें । सदन के सामने कोई भी संशोधन हो, उसमें उनको कुछ न कुछ नमक मिर्च जरूर लगा देनी चाहिये ।

जहां तक इस संशोधन का सवाल है वह ऐसा है कि गांवों में पार्टीबाजी होती है, प्रधान के खिलाफ रोज रिपोर्ट हो और रोजाना अविश्वास का प्रस्ताव आवे । जहां तक गरीबों की बात है, वे बेचारे इस तरह से रोज-रोज चुनावों के झगड़े में फंसे रहेंगे । यह तो एक मामूली बात है कि किसी बात पर किसी प्रधान से रंजिश हो जाय और उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव वह ला सकता है । इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं थी ।

जहां तक आपने पिछड़े वर्ग व हरिजनों की बात कही, एक बात मेरी समझ में नहीं आती और मैं आपके द्वारा सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो गांव में पिछड़े वर्ग के लोग हैं वे हरिजनों के साथ कैसा बरताव करते हैं ? उनके लिये तो पिछड़ा वर्ग भी वैसा ही है जैसा सवर्ण वर्ग । यहीं तक नहीं जहां पिछड़ी जाति वालों के गांव हैं, उनमें अगर कोई हरिजन खड़ा हो गया तो वह नहीं चुना गया । शायद ही किसी जिले में हरिजन प्रमुख आया हो । और उन्हीं लोगों ने नहीं आने दिया जो यहां बैठ कर किसानों और मजदूरों की दुहाई देते हैं, लेकिन काम उनके हितों के विपरीत करते हैं । यहीं तक ही नहीं, हरिजन हरिजन में भी जातिवाद है । इसलिये मुझे कहना है जरा से अमेंडमेंट को मानने के लिये आप हरिजन समस्या को यहां खड़ा न करें । यहीं तक नहीं ब्लाकों में नहीं आये, बल्कि अदालती पंचायतों में भी नहीं आने दिया । मंत्री जी को इधर ध्यान देना चाहिये था । जब कभी मौका मिलता है तो हमेशा जो आज हरिजनों के हिमायती बनते हैं वही उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं । अकेले कांग्रेस दल ही हरिजनों का हिमायती रहा है । इसलिये इस संशोधन में हरिजन और नान-हरिजन का प्रश्न नहीं है । केवल इतना है कि १ वर्ष के अन्दर प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये इसके लिये इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । यह जल्दी पारित किया जाय । मैं मंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं कि वे उन बातों पर भी ध्यान दें तो जो हरिजनों के साथ इन पंचायतों में हो रही हैं । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं इस संशोधन को जल्दी स्वीकार करना चाहिये, इससे गरीब जनता को कुछ राहत मिलेगी ।

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, हमारे बहुत से साथियों ने इस छोटे से विधेयक पर अपनी राय दी । माननीय नरसिंह नारायण जी ने गांव समाज और गांव सभा शब्दों का इस्तेमाल करके एक भ्रम सा पैदा कर दिया है । मैं कहना चाहता हूं यू० पी० क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट के शेड्यूल ८ में देखेंगे । अब हमने उत्तर प्रदेश पंचायती राज ऐक्ट की उस धारा को जहां चेन्ज किया है और उत्तर प्रदेश जमींदारी अबालीशन और लैंड रेफार्म ऐक्ट जो हमने चेंज किया है उसके Schedule VIII में III से धारा ३ में है "All Gaon Samaj constituted under this Act before this amendment of the U.P. Kshetra Samiti and Zila Parishad Adhiniyam, 1961 shall cease to exist." सारे अधिकार गांव समाज के गांव सभा में होंगे और रेफरेंस में जहा आयेगा । इसलिये गांव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभा का जो सभापति होगा और उप-सभापति होगा वही पदेन उसका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा । काशीनाथ जी इस बात से सहमत हैं कि एक छोटा-सा संशोधन है । प्रवर समिति में इसे भेजने की जरूरत नहीं है । ६ महीने की अवधि रख दी जाय त्रिपाठी जी ने कहा तो ६ महीने और १ साल में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है । अगर ६ महीने में अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि गांव सभा के सभापति की दयनीय स्थिति हो जायगी जबकि आप गांव सभा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति रोज गांव सभा में उत्पन्न हुई तो बड़ी कठिनाई की बात होगी ।

मैनेजर सिंह ने कहा कि नया पंचायत राज ऐक्ट आता तो अच्छा होता । तो जैसा उन्होंने कहा नया पंचायत राज ऐक्ट लाया जायगा और जो कुछ कमियां होंगी उनको उस नये ऐक्ट में परिवर्तित कर दिया जायगा । प्रवर समिति का जो प्रस्ताव है उसे हमारे साथी वापस लेंगे और इस विधेयक को स्वीकार करेंगे ।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक ऐसा है जिसके संबंध में हम ज्यादा जानते हैं। जहां यह पंचायत राज लागू होता है हम वहीं के रहने वाले हैं । काशीनाथ जी ने जो अविश्वास के प्रस्ताव की अवधि तीन महीने रखी है और प्रवर समिति में भेजने की बात कही है इसका मुझे समर्थन करना है । अविश्वास का प्रस्ताव ही एक अंकुश है । एक लोक सभा के प्रधान होते हैं, फिर विधान सभा के प्रधान होते हैं, फिर जिला परिषद् के प्रधान होते हैं और चौथी इकाई है गांव सभा, उसके प्रधान होते हैं। अगर उस पर अंकुश नहीं रखा और एक साल के लिये छुट्टा छोड़ दिया जायगा बिना नकेल के तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी और गांव सभा की सम्पत्ति चौपट कर दी जायगी । लिहाजा मंत्री महोदय इस पर ठंढे दिल से विचार करें और जैसा समाज कल्याण मंत्री ने ठंढे दिल से विचार किया तो कितने संतोष के साथ उनका बिल पास हो गया, उसी तरह से आप को भी ठंढा रहना चाहिये और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । अगर अविश्वास का प्रस्ताव का भय न हो तो सरकार मदमाती हो जाती । इसलिये काशीनाथ जी ने जो तीन महीने रखा है वह बहुत सोच-समझ कर रखा है , बिना शक व शुबहा के अविश्वास के प्रस्ताव का बाण प्रधान के ऊपर रखना चाहिये । अब जो सदस्य मुझसे पहले बोल रहे थे, माननीय हरीसिंह जी, वह हरिजन वाली बात कह रहे थे । कई दिन मैंने उन्हें बोलते सुना है । न मालूम उन पर क्या खप्त सवार हो रही है, मेरी समझ में नहीं आता । सोशलिस्ट पार्टी तो कहती है कि ६० प्रतिशत इन पिछड़ी जातियों को नौकरी मिलनी चाहिये । सोशलिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके चुनाव-पत्र में साफ लिखा है कि सोशलिस्ट पार्टी का विधेयक अगर गड़बड़ी करे तो ५१ प्रतिशत मतदाता हस्ताक्षर कर के हमारी पार्टी को भेजें, हम उसको सदस्य नहीं रहने देंगे । मैं तो कहता हूं कि प्रधानों के खिलाफ ५१ प्रतिशत् वोट पड़ने पर उस प्रधान को हटा देना चाहिये, दो-तिहाई की बात भी खत्म कर देनी चाहिये । तभी पंचायतें ठीक चलेंगी वरना नहीं ।

अब उप-प्रधान वाली बात पर हम आ जांय । उप-प्रधान तो कुछ है ही नहीं, उसकी कुछ जड़ ही नहीं है । उसको तो जब चाहें हटाया जा सकता है ।

अगर मंत्री महोदय समाज कल्याण मंत्री की तरह मान लें तो मैं बताना चाहता हूं कि एक बहुत जरूरी बात इस बिल में लानी चाहिये थी और वह यह कि गांव पंचायत को वह अधिकार होना चाहिये कि जिसके ऊपर न कलेक्टर चूं करे, न हाकिम परगना चूं करे, न कोई पंचायत का इंस्पेक्टर चूं करे, सर्वसत्ता सम्पन्न हो वह । अगर यह सरकार अपने को समाजवादी कहने का दावा करती है तो ग्राम पंचायतों के अधिकारों को पूर्णता देनी चाहिये। यह सरकार दो खम्भों पर टंगी हुई है, दिल्ली का खंभा और लखनऊ का खम्भा जो ग्राम पंचायत के अधिकारों को हड़प रहे हैं । वर्ना अगर आप अपने दिमाग पर जोर दें और परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लखीसिंह]

इस विधेयक में यह संशोधन कर देना चाहिये । ग्राम पंचायत के प्रधान को वह अधिकार हो जो लोक सभा के प्रधान को देश में है और विधान सभा के प्रधान को प्रदेश में है ।

इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस कुर्सी पर बैठ कर इस विधेयक में कोई बगावत न हो और इस संशोधन को बिना शक, शुबहा मान लें तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब यह वाद-विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब यह वाद-विवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---८४

विपक्ष में---५६ ।)

श्री काशीनाथ मिश्र---अधिष्ठाता महोदय, इस पर बहुत वाद-विवाद हुआ । लेकिन मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सामने यह व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रवर समिति में भेजने की मेरी क्या मंशा थी ।

अभी हमारे साथी मैनेजर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायत राज ऐक्ट जिस तरह से चल रहा है, इसमें बड़ी खामियां हैं । बजाय इसके कि ऐक्ट में जितनी खामियां हैं, उन सब पर गौर करके एक विस्तृत संशोधन पेश किया जाता, ऐसा न करके, जिस तरह से किसी फटे कपड़े में पैवन्द लगा दिये जाते हैं, उसी प्रकार खंड १४ और १५ में एक मामूली संशोधन पेश किया गया है । गांव समाओं के महत्व को देखते हुये, यह देखते हुये कि जनतन्त्र के अन्दर, लोकशाही के अन्दर गांव सभाएं किस तरह से काम करें इस ओर इस आदरणीय सदन को विचार करना चाहिये । आज गांव सभाएं जिस तरीके से काम कर रही हैं उस तरीके से इस प्रदेश के अन्दर लोकशाही की रक्षा नहीं हो सकती । गांव-सभाएं आज मखौल के रूप में बनी हुई हैं । गांव सभाओं की जिम्मेदारी नहीं के बराबर है । गांव सभाओं का प्रधान जैसे पुराने अंग्रेजों के जमाने में मुखिया, एस० डी० ओ० और कलेक्टर का दलाल हुआ करता था उसी तरह से गांव के प्रधान को सरकार अपना नौकर समझती है । बी०डी० ओ० और एस० डी० ओ० जिस तरह से चाहते हैं, गांव सभा के प्रधान को चलाते हैं । जब चाहें तब मुअत्तल कर दें, हटा दें । गांव सभा के प्रधान के अन्दर स्वाभिमान की भावना का उद्रेक नहीं हो पाता है । वह नहीं जान पाता कि गांव सभायें जनतन्त्र की प्रथम इकाइयां हैं, उनका बड़ा महत्व है ।

आज देश में राज्य केवल दो खम्भों पर चल रहा है, केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार । जरूरत इस बात की है कि इस प्रदेश के अन्दर चौखम्भा राज्य लागू किया जाय। यह आधारभूत सिद्धात है कि गांव सभा को अधिक से अधिक अख्तियार दिये जांय । कानून में इस तरह से संशोधन किया जाय कि गांव के अन्दर जितनी मिल्कियत है उस पर गांव सभा को, पंचायत को पूरा हक होना चाहिये उसकी मिल्कियत पर कानून बनाने का । जब गांव सभा का स्थान धारा सभा का होगा तभी जाकर नीचे स्तर पर सही मानी में लोकशाही का विकास हो सकता है । इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजें और इस बात पर गौर करें कि गांव सभा को कितना अधिकार दिया जाय । इस समय गांव के प्रधान को कोई खास हक हासिल नहीं है । मैं तो गांव का रहने वाला हूं । मैं जानता हूं । गांव समाजों की सैकड़ों एकड़ जमीन रहती है । आज के कानून में, लेखपाल, गांव समाज का

सेक्रेटरी, और प्रधान दो-तीन आदमी मिल कर जिसके नाम चाहें जमीन अलाट कर देते हैं। जिसको चाहें उसके नाम में जमीन का बन्दोबस्त कर देते हैं और इस तरह से गांव समाज की मिल्कियत का, गांव समाज की सम्पत्ति का बहुत ही अपव्यय हो रहा है। इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि जो पंचायती राज हमको मिला है उसपर कार्य करते और उस विषय के संशोधन पेश करते।

दूसरी तरफ एक वर्ष की अवधि देकर आप उसके हाथ को मजबूत कर रहे हैं जिससे वह गांव-समाज की सम्पत्ति का, उसकी जमीन का अपव्यय करे। इसलिये उसमें हमारा संशोधन था कि उसकी अवधि एक वर्ष की न होकर के ३ महीने की रखी जाय। अगर अच्छा प्रधान होगा और लोग खुश होंगे तो वह बना रहेगा। गांव के लोग अच्छे लोगों को जानते हैं कि वहां पर कौन हैं। एक वर्ष का समय लम्बा समय है। वह उतने समय तक अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता रहेगा। इसलिये हमने चाहा था कि तीन महीने का समय रखा जाय। गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। यदि वह गलत काम करेगा तब भी उनको एक वर्ष तक उसको रखना पड़ेगा और उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकेगा। अगर वह कोई तिकड़म करता है और उस तिकड़म से प्रधान हो गया तो गांव वालों को यह हक होना चाहिये कि तीन महीने के अदर उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखकर उसको हटा सकें। इसलिये पांडेय जी से मेरी अपील है कि वे अपने विवेक से काम लें, उनके पास विवेक है। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में गांव-समाज की तरक्की हो, पंचायत राज ऐक्ट को अच्छी तरह से लागू किया जाय और गांव सभा को अधिक से अधिक हक दिये जांय तो बेहतर यह होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे अच्छे तरीके से गांव समाज सारे सूबे में लागू हो सके। यदि हम गांव सभा को मजबूत करते हैं तो गांव वालों को अधिक अधिकार मिलते हैं और उससे सूबे की स्थिति मजबूत होती है।

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, हमारे भाई ने कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने वही पुरानी बातें दोहराई हैं और कुछ ऐसी बातों को इससे जोड़ दिया है जिनसे इस विधेयक का कोई संबंध नहीं है। गांव सभा में क्या बुराई होती है, गांव समाज सम्पत्ति का अपव्यय करता है; गांव समाज की धरती कैसे छीनी जाती है यह सब चीजें इस छोटे से विधेयक में नहीं आतीं। सिर्फ इतनी बात है कि गांव सभा के सभापति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव रखने की अवधि एक वर्ष के लिये कर दी जाय। इसमें सारी चीजें प्रवर समिति में तब जातीं जब सम्पूर्ण विधेयक पर हम विचार करते और वहां पर इसको ठीक करते। उसमें बहुत-सी धारायें होतीं तो उन पर विचार हो सकता था, लेकिन छोटा-सा संशोधन एक धारा के लिये लाया गया है और उसी में यह छोटा-सा परिवर्तन है। इसमें मेरे साथियों ने जितनी बातें कही हैं उनका मैंने संक्षेप में जवाब दे दिया है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि सर्वसम्मति से यह सदन इस विधेयक को स्वीकार करे।

श्री मैनेजर—मैं इस विधेयक के संबंध में यह आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत ही सुन्दर वातावरण में आज वह पहला विधेयक यहां पर स्वीकृत हुआ है। मैं उनसे भी यह आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री जी को विवेक आये और वह भी इस विधेयक को स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—अब कृपा करके आप बैठ जायं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रपट एक सप्ताह के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ (The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Bill, 1961). जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा १४ में संशोधन।

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १४ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य और जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार प्रधान अथवा उप-प्रधान को उनके पद से पृथक करने का नोटिस उनके चुनाव से एक वर्ष से पूर्व नहीं दिया जायगा, और यदि अविश्वास का प्रस्ताव गिर जायगा तो पुनः एक वर्ष के भीतर यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।"

श्री कृष्णानन्द राय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

धारा १४ का प्रतिस्थापन

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Removal of Pradhan.

14 (1) The Gaon Sabha may, at a meeting specially convened for the purpose and of which at least 15 days' previous notice shall be given, remove the Pradhan by a majority of two—thirds of the members present and voting.

(2) A meeting for the removal of a Pradhan shall not be convened within one year of his election.

(3) If the motion is not taken up for want of quorum or fails for lack of requisite majority at the meeting, no subsequent meeting for the removal of the same Pradhan shall be convened within a year of the date of the previous meeting.

(4) Subject to the provisions of this section, the procedure for the removal of a Pradhan, including that to be followed at such meeting, shall be such as may be prescribed."

मैं हिन्दी में बता देता हूं कि अभी सदन के इस तरफ के बैठने वाले और उस तरफ के बैठने वाले सभी सदस्यों ने कहा कि जहां तक उप-प्रधान का प्रश्न है चूंकि उनका कार्यकाल एक ही वर्ष का होता है, इसलिये वह उपप्रधान शब्द जो आ गया है उसको इसमें से हटा देना चाहिये और इसी के संबंध में यह संशोधन है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय ने यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट की धारा १४ के स्थान पर १४ (१), (२), (३), और (४) संशोधन रखा है मैं उसे मूलतः स्वीकार कर लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

धारा १४ का प्रतिस्थापन

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Removal of pradhan

14. (1) The Gaon Sabha may, at a meeting specially convened for the purpose and of which at least 15 days'

previous notice shall be given, remove the Pradhan by a majority of two-thirds of the members present and voting.

(2) A meeting for the revmoval of a Pradhan shall not be convened within one year of his election.

(3) If the motion is not taken up for want of quorum or fails for lack of requisite majority at the meeting, no subsequent meeting for the removal of the same Pradhan shall be convened within a year of the date of the previous meeting.

(4) Subject to the provisions of this section, the procedure for the removal of a Pradhan, including that to be followed at such meeting, shall be such as may be prescribed."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मैनेजर—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । (व्यवधान) यह इसी सिलसिले में है । (व्यवधान) माननीय पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी महोदय बहुत बेताब हो रहे हैं । जो संशोधन है वह अंग्रेजी में है और राज्यभाषा हिन्दी है । तो इसलिये इसको हिन्दी में आना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—जो ओरिजिनल ऐक्ट है वह इंग्लिश में है और इसलिये अमेंडमेन्ट ठीक ही आया है ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर—इस संशोधन को हिन्दी में ही आना चाहिये । यह कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आफिस नहीं है । यहां नियमों के अनुसार आपको व्यवस्था रखना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—मैं नियम के अनुसार आप से निवेदन करूंगा कि जो अमेंडमेन्ट आप के सामने प्रस्तुत है वह बिल्कुल नियम के अनुकूल है क्योंकि जो पहले का ऐक्ट है जिसमें संशोधन हो रहा है वह अंग्रेजी में है ।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । अभी श्री मैनेजर सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस कमेटी नहीं है । यह अधिष्ठाता महोदय पर आक्षेप है और मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप के द्वारा श्री मैनेजर अपने यह शब्द वापस लें । अन्यथा यह अधिष्ठाता महोदय का और सदन का अपमान है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य बनारसीदास जी ने मेरा ध्यान श्री मैनेजर सिंह के शब्दों की ओर दिलाया । मैं उस समय उन शब्दों को सुन नहीं सका और उन्होंने अगर ऐसे शब्द कहे हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने शब्दों को वापस लें ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने क्या कहा वह आपने सुना नहीं और हमारे मंत्री महोदय को सुनाई पड़ गया । जब आपने सुना ही नहीं तो यह सवाल कहां से उठता है ?

श्री अधिष्ठाता—अगर आपने नहीं कहा तो ठीक है ।

श्री बनारसीदास---यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है और ऐसा करके चेंयर का अपमान किया गया है और यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह खेदजनक है कि श्री मैनेजर ने जो शब्द कहे हैं उनको भी वे स्वयं स्वीकार नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर---मंत्री जी ने क्या कहा वह मैं सुन नहीं सका ।

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, मैंने यह कहा कि मैनेजर सिंह जी ने अधिष्ठाता महोदय पर यह आक्षेप किया कि यह कांग्रेस कमेटी नहीं है । यहां इस तरह की बात कहना आक्षेप है ।

श्री राधेश्याम शर्मा---माननीय बनारसीदास जी ने यह बात कही कि यह आक्षेप है और जहां तक मैं सुन पाया हूं, श्री मैनेजर ने कहा कि यह कांग्रेस कमेटी नहीं है । श्रीमन्, माननीय मंत्री जी इस छोटी-सी बात पर यह सवाल उठायें और मजबूर करें कि इन शब्दों को वापस लिया जाय तो मैं समझता हूं कि माननीय मैनेजर को अपने शब्दों को जरूर वापस ले लेना चाहिये । लेकिन जब हुकुमसिंह जी ने कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी को टिड्डी खा गयीं तो उस समय आपने राजस्व मंत्री जी को क्यों नहीं रोका ? अनेक इस प्रकार की बातें हो जाती हैं और राजस्व मंत्री जी रोज इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और हमारा एक भी सदस्य अगर कहीं इस प्रकार की कोई बात कह दे तो सदन का अपमान हो जाता है ।

श्री अधिष्ठाता---एक बहुत छोटी-सी बात है । इस सदन की मर्यादा को रखने का कर्त्तव्य, आप पर और हम पर सब पर है । इसलिये यदि मैनेजर सिंह जी ने यह शब्द कहे हैं तो मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वे अपने शब्दों को वापस ले लें ।

श्री मैनेजर---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी बुजुर्गी का और पद का ख्याल करते हुये मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं । मैंने जरूर कहा कि यह कांग्रेस कमेटी नहीं है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसको वापस लेते हुये मैं खासकर अपने माननीय सूचना मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस सभा की मर्यादा को कायम रखने की ज्यादा जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की है । आप लोग ऐसा व्यवहार करें जिससे कि सभा की मर्यादा कायम हो और रहे ।

श्री बनारसीदास---मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २९१ की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं । जब वह खेद प्रकट कर रहे हैं..... ।

श्री मैनेजर---उनको सामान्य शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूं और सूचना मंत्री जी खड़े हो गये ।

(व्यवधान)

श्री बनारसीदास---अधिष्ठाता महोदय, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर प्रस्तुत किया है, इसलिये उनको बैठ जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---आर्डर आर्डर । आप बैठ जायें क्योंकि वे प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश कर रहे हैं ।

श्री बनारसीदास---मैं निवेदन कर रहा था कि वह नियमों से अनभिज्ञ हैं । मैंने स्वयं कहा कि प्रक्रिया नियमावली के नियम २९१ की ओर आप का ध्यान आकर्षित करता हूं । जब वह खेद प्रकट कर रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई भाषण करना या उसकी पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं है । अगर खेद प्रकट नहीं करते तो मैं ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल पेश करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम---अभी माननीय बनारसीदास जी ने कहा है कि माननीय सदस्य नियमों से अनभिज्ञ हैं। तो क्या माननीय सदस्य नियमों से अनभिज्ञ भी आते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्यगण, यह एक छोटा-सा प्रश्न है और मैं समझता हूं कि श्री मैनेजरसिंह जी अपने उन शब्दों को वापस ले लें। मैं बड़ा आभारी होऊंगा। इसी में हमारी और इस हाउस की मर्यादा है।

श्री मैनेजरसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने तो पहले ही वे शब्द वापस ले लिये और मैं यह कहता हूं कि अगर माननीय सूचना मंत्री जी जो हैं वे उस मर्यादा को जरूर बढ़ावें। यही मैंने कहा है। ज्यादा बहुमत के बलपर उनको उतावला नहीं होना चाहिये। मैंने पहले भी आग्रह किया कि यह जो संशोधन आया है पंचायतराज ऐक्ट में उसकी भावना से मुझे कोई मतभेद नहीं है। हम लोग केवल यही चाहते थे कि आप इस पर एक व्यापक संशोधन विधेयक लें और आप कहते हैं कि हम को कोई ज्ञान नहीं है। आपने जो विधेयक दिया उसमें राज सभा लिख दिया। आपको तो इतना ही ज्ञान है।

श्री अधिष्ठाता---मैं श्री मैनेजरसिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये। एक बात बार बार कही गई कि जो इस बिल का उद्देश्य है और जो इसके कारण हैं उसमें राज सभा शब्द लिखा गया। मैं माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि वह प्राइवेट बिल था श्री प्रतापसिंह जी आजाद, का जो काउन्सिल में आया था। उद्देश्य और कारण जो हैं वे किसी विधेयक के अंग नहीं बनते। इसीलिये उसमें राज सभा शब्द आया, तो यह सरकारी बिल नहीं था, इसलिये उसमें गलती हो गई।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३---इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। नियम

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री कृष्णानन्दराय---इसमें तो, श्रीमन्, हमारा संशोधन है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---श्रीमन्, खंड ३ पर तो संशोधन है, उस पर बहस होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---खंड ३ में कोई संशोधन नहीं है। उसमें तो यह लिखा है कि सर्वश्री काशीनाथ मिश्र, लखीसिंह, गिरजा प्रसाद तथा राधेश्याम शर्मा उसका विरोध करेंगे। इसमें कोई संशोधन नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र---हमारे मौलिक संशोधन को पढ़ लिया जाय, तो उसमें सब लिखा हुआ है। उसमें हमने लिखा है कि खंड ३ को हटा दिया जाय। आप अपने कार्यालय में ओरीजीनल को देख लें।

श्री कृष्णानन्दराय---हमने खंड २ में जो संशोधन रखा था, उसी के नीचे यह संशोधन भी रखा था कि खंड ३ हटा दिया जाय। आप सचिव से पूछ लें।

श्री अधिष्ठाता---इस संबंध में नियम यही है, और पहले की रूलिंग्स भी यही हैं कि आप कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं कर सकते कि खंड ३ को बिलकुल हटा दिया जाय। आप हटाना चाहते हैं तो उसका विरोध कर सकते हैं। इस वास्ते वह एजेन्डे में नहीं रखा गया है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---जो मूल प्रस्ताव में उसमें यह संशोधन दिया हुआ है कि खंड ३ को हटा दिया जाय। जो संशोधन पेश करने वाला है वह नहीं चाहता कि यह धारा रहे। चूंकि वह एक लाइन की धारा है, इसलिये उसको हटाने के लिये उन्होंने संशोधन दिया, हटाकर उसका विरोध करना चाहते हैं। हम तो उस पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन हटाकर बहस करना चाहते हैं। इसका हमें अवसर अवश्य मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---मैंने आपके सामने जो प्रश्न रखा है उसके ऊपर अपनी सम्मति दे देना चाहता हूं। मैं आपके सामने रूल १३९ रखता हूं---

"(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which itrelates. (ii) An Amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question. (iii) An Amendment shall not be such as to make the clause which it proposes to amend unintelligible or ungrammatical..."

तो कहीं पर भी कुल क्लाज को निगेटिव करने का संशोधन नहीं आ सकता। इसके संबंध में हमारे भवन में एक रूलिंग भी हो चुकी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं---

"विधेयक के खंडों को निकालने का संशोधन अनियमित है। धारा ४ के संबंध में किसी संशोधन की सूचना नहीं है, लेकिन श्री कृष्णानन्दराय ने उस धारा को निकालने का संशोधन दिया है। इसका मतलब यह है कि वह इसकी मुखालफत करना चाहते हैं। तो वह उसकी मुखालफत कर सकते हैं। ऐसी सूरत में कोई तरमीम पेश करने की इजाजत तो उनको नहीं दी जा सकेगी।" तो यह पहले रूलिंग हाउस में इस संबंध में हमारे अध्यक्ष महोदय की हो चुकी है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---तो हम को विरोध करने का तो हक है।

श्री अधिष्ठाता---मैं आपके विरोध करने के राइट को नहीं रोकता। आपको उस पर बोलने का राइट है। आप बोलें। उसको तो मैंने रोका नहीं। मैंने तो कहा कि जो साहब इस पर बोलना चाहें वह बोल सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---श्रीमन्, प्रस्तावक ने लिखा है कि हटा दिया जाय धारा को लेकिन एजेंडे पर आया है कि विरोध करेंगे जैसा कि नरसिंहनारायण जी ने कहा। तो मैं उनकी भावना से पूर्ण तरीके से सहमत हूं। हम भी चाहते हैं कि इस धारा को हटा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---मैं व्यवस्था दे चुका। अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा वह मेरे कहने के बाद ठीक नहीं था। मैं कहना चाहता था कि इस तरह का अमेन्डमेन्ट नहीं आना चाहिये। क्लाज ३ में अमेंडमेंट दे सकते थे, लेकिन कुल की कुल धारा को निगेटिव कर दें, इस प्रकार का अमेंडमेंट नहीं आ सकता। इस पर अध्यक्ष की रूलिंग भी है। इसलिये जो इसका विरोध करना चाहते हैं वह विरोध करें। अगर आप नहीं चाहते कि पार्ट आफ दि बिल रहें तो निगेटिव करने के लिये हाउस में रहें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा कि जो भार साधक मंत्री हैं अगर वह स्वयं समझते हैं कि यह वापिस लेने लायक है और उन्होंने अपनी सम्मति दे दी कि उसको वापिस लेते हैं तो फिर इसमें बहस करने की क्या गुंजाइश है ?

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैंने एक संशोधन लिखकर दिया था।

श्री अधिष्ठाता---आपका वह संशोधन इस विधेयक की परिधि के बाहर है, आउट आफ आर्डर है, इसलिये मैं उसको रिजेक्ट करता हूं।

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन विधेयक, १९६१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायत-राज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करने का, यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Bill, 1961] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है तथा इस सदन द्वारा संशोधित रूप में प्रस्तुत हुआ है, पारित किया जाय।

श्री हरिहरनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, खंड २ में जहां सक्शन १४ का प्रावीजन लगाया गया है और अभी आपने रूलिंग दी है कि संशोधन उतने ही हो सकते हैं जितने मूल संशोधन में हैं, तो यहां पर जो संशोधन आये हैं वे मूल सेक्शन में नहीं हैं। सेक्शन १४ में १, २, ३, ४ का संशोधन हुआ है पहले केवल प्रोवाइजोएड हुआ था। अब पूरा सक्शन सब्स्टीट्यूट हो रहा है। यह स्कोप के बाहर है और यह पारित नहीं हो सकता। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता---प्रथम बात यह है कि यह प्रश्न उस समय ही उठाना चाहिये था। अब तो वह अधिनियम समाप्त हो चुका है। उस पर वोटिंग हो चुका है और वह विषय बहुत दूर निकल चुका है। जो हुआ है वह ठीक हुआ है।

श्री हरिहरनाथ तिवारी---अभी तो यह पारित होने जा रहा है और हम अभी भी आपत्ति कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—धाराओं के ऊपर आप नहीं उठा सकते हैं। धारायें पारित हो चुकी हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९६१, [The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Bill, 1961] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब और कोई कार्य हाउस के सामने नहीं है। इसलिये अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
९ अगस्त, १९६२।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७३ पर]

मांगों की सूची

१—संघ को मान्यता प्रदान की जावे तथा आफिस, फरनीचर आदि की सुविधायें दी जावें।

२—काम के अनुसार डिजिगनेशन ठीक किये जावें ।

३—रिटेनिंग अलाउन्स अर्थात् प्रतिधारण भत्ता हेल्पर्स अर्थात् कुछ सेमी स्किल्ड श्रमिकों को नहीं दिया—दिया जाना चाहिये ।

४—व्यालर पर काम करने के लिये आफ सीजन में सीजनल कर्मचारी ही रखे जावें तथा सीजनल कर्मचारी जो व्यालर पर कुली, फिटर्स हेल्पर्स, इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करने वाले कर्मचारी अथवा अन्य खंडों में काम करने वाले श्रमिकों को जो कई सालों से आफ सीजन में काम करते आ रहे हैं, परमानेन्ट किया जाये ।

५—आफ सीजन में सीजनल कर्मचारियों को ही काम पर रक्खा जावे तथा एक नियम अपनाया जावे ।

६—प्ले आफ का पैसा समस्त सीजनल लोकल कर्मचारियों को भी मिलना चाहिये ।

७—बोनस का रुपया जो बांटते समय बकाया रह जाता है वह यूनियन को बताया जावे तथा तीन वर्ष के बोनस के पेमेन्ट की रकम यूनियन को बताई जावे ।

८—रिटेनिंग अलाउन्स मील चलने के ६० दिन के अन्दर दे देना चाहिये ।

९—पिछले वर्ष कुछ कर्मचारी आवश्यक कार्यवश छुट्टी लेकर अपने घर चले गये थे उनको रेलवे किराया नहीं दिया गया, दिया जाना चाहिये ।

१०—शुगर हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों को ७६ रुपया माहवार वेतन दिया जाता है परन्तु शुगर वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एक रुपया तरक्की माह नवम्बर से मिलनी चाहिये थी अभी तक नहीं दी गई, मिलना चाहिये ।

११—मील में काम करने वाले राजों को परमानेन्ट किया जावे ।

१२—कैरियर तथा अन्य जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को जिनको पहले कोट, कम्बल तथा नेकर आदि मिलते थे उनको इस वर्ष नहीं दिये गये—दिये जाने चाहिये ।

१३—मील में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों को मेडिकल ऐड मिलनी चाहिये तथा उनके परिवार को बीमारी के कारण बाहर के डाक्टर द्वारा प्रिसक्राइब्ड दवाओं के बिल का कम्पनी द्वारा पेमेंट किया जाना चाहिये, क्योंकि व्यवस्थापक वर्ग अधिकारियों तथा कुछ कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करते हैं।

१४—शुगर बेज बोर्ड की सिफारिशें नवम्बर, १९६० से लागू हुईं परन्तु बढ़ी हुई वेतनों का पेमेन्ट मई सन् १९६१ में हुआ इस बीच में जिन कर्मचारियों ने अतिरिक्त दिनों में काम किया उनको बढ़े हुये वेतन का पेमेंट नहीं किया गया । अतः इस प्रकार के फर्क का पेमेन्ट किया जाना चाहिये ।

१५—१४ निकाले हुये कर्मचारियों को पुनः सीजनल कर्मचारियों की हैसियत से काम पर लिया जावे तथा बैठकी का पसा दिया जावे ।

१६—श्री राम नगीना व रामसिंह को काम पर रक्खा जावे ।

१७—रिटायरमेंट या किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके लड़के या वारिस को काम पर रक्खा जाये ।

१८—कैरियर शुगर हाउस, मैली तथा अन्य जगहों की ठेकेदारी की प्रथा समाप्त की जावे और इन जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को सीजनल तथा परमानेंट किया जावे ।

१९—मील में अन्दर जगह खाली होने पर कैरियर के कर्मचारियों को ही भेजा जाये ।

२०—एक माह का एडवांस बोनस दे दिया जावे ।

२१—क्वार्टरों का किराया शुगर वेज बोर्ड के शेड्यूल के अनुसार लगाया जावे ।

२२—कर्मचारी विश्राम-गृह शीघ्र बनना चाहिये ।

अस्थायी प्रतिलिपि

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७४ पर)

कानपुर की मिलें तथा अन्य उपभोक्ताओं की सूची जिन पर बिजली का बकाया वसूल होना है ।

१—कानपुर रोलिंग मिल्स
२—जे०के० काटन स्पिनिंग तथा वीविंग मिल्स
३—म्योर मिल्स
४—न्यू विक्टोरिया मिल्स
५—एलगिन मिल्स नं० १
६—मेसर्स मोतीलाल पदमपत
७—सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स १
८—जे०के० वुलेन मन्यूफैक्चरिंग मिल
९—नार्दर्न इंडिया आइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
१०—एलगिन मिल नं० २
११—जे०के० आयल मिल्स
१२—एथर्टन वेस्ट ऐन्ड कम्पनी
१३—कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड
१४—गणेश फ्लोर मिल्स
१५—मे० जुग्गीलाल कमलापत
१६—स्वदेशी काटन मिल्स
१७—लक्ष्मी रतन काटन मिल्स
१८—सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स २ (दूसरे रजिस्टर नम्बर से)
१९—किशोरी लाल आयल मिल्स
२०—ईस्टर्न टैनरीज
२१—कानपुर रोलिंग मिल्स (दूसरे रजिस्टर्ड नं० से)
२२—श्री पुरषोत्तम नाथ कपूर
२३—गंगा आयल मिल्स ।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७९ पर)

क्रम-संख्या	उन व्यक्तियों के नाम जिनके शस्त्र जप्त किये गये	जप्त किये गये शस्त्र का विवरण
१	श्री बुद्धसेन	पिस्टल नं० १५२३
२	श्री हरसुख	एस०बी०एम०एल०गन नं० १८०५
३	श्री सरूपसिंह	एस०बी०बी० एल० गन नं० ८१९१७
४	श्री बालादीन	२ रिवाल्वर छोटे, बगैर नं० निकल पालिश किए हुए
५	श्री रामचन्द्र	डी०बी०बी० एल० गन नं० ३७५७५
६	श्री यदुनन्दनलाल	पिस्टल नं० १६,३८ बोर, रिवाल्वर नं० ०१७, २२ बोर, एस०बी०बी० एल० रायफल नं० ४३३२९ बी०एस०ए० २२ बोर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८० पर)

दिनांक १५, १६ तथा १७ अप्रैल, १९६२ को मन्त्रियों द्वारा इलाहाबाद में सरकारी कार्य हेतु किये हुए दौरे का विवरण

क्रम-संख्या	नाम तथा पद		दौरे की तिथि	दौरे का व्यय रु०	न० पै०
१	श्री अलगूराय शास्त्री, वन मंत्री	..	१६–४–६२ से १७–४–६२	९८	५०
२	श्री मुजफ्फर हसन, परिवहन मंत्री	..	१६–४–६२ से १८–४–६२	१५	००
३	श्री दाऊदयाल खन्ना, गन्ना विकास मंत्री	..	१४–४–६२ से १७–४–६२	११५	२२
४	श्री गोविंद सहाय, कारागार व पुनर्वास मंत्री	..	१७–४–६२	११८	२५

नोट:—आचार्य जुगलकिशोर, शिक्षा मंत्री, १६ अप्रैल, १९६२ को राजापुर जाने एवं आने के समय कुछ देर इलाहाबाद में रुके ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८३ पर)

जिला अस्पताल, झांसी, के सुधार व इमारतें बढ़ाने की योजना का विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	कब स्वीकार की गई	योजना की लागत
			रु०
१	अस्पताल का उच्च स्तरीकरण भवन निर्माण	१९५९,६०	१,२३,२८०
२	बाल रोग चिकित्सालय भवन का निर्माण	१९५९,६०	११,८००
३	३२ शैयाओं वाले रोगी कक्ष का निर्माण	१९६०,६१	१,४४,०००
४	परिचारिकाओं के निवास स्थान का निर्माण	१९६०,६१	१,११,०००
५	१६ शैयाओं वाले रोगी कक्ष का निर्माण ..	१९६१,६२	५६,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८५ पर)

आगरा नगर में १ मार्च से ३० अप्रैल, १९६२ तक हुई चोरियों की थानावार संख्या

थाने का नाम	चोरियों की संख्या
कोतवाली	४१
छत्ता	४१
हरी पर्बत	२९
लोहामंडी	३७
सदरबाजार	३१
रकाबगंज	३६
ताजगंज	१६
योग ..	२३१

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८६ पर)

१ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक प्रदेश में जिलेवार मोटर (बस, ट्रक, कार) दुर्घटनाओं का विवरण

क्रम-संख्या	जिला		दुर्घटनाओं की संख्या			व्यक्तियों की संख्या जो इन दुर्घटनाओं में मरे
			बस	ट्रक	कार	
१	२		३	४	५	६
१	देहरादून	सम्मिलित	१	४	..	५
२	गढ़वाल					
३	सहारनपुर	..	१८	४८	५	२१
४	मुजफ्फरनगर	..	२४	२३	१४	१८
५	मेरठ	..	६९	१३५	४२	५८
६	बुलन्दशहर	..	१७	३२	४	३०
७	अलीगढ़	..	७	७९	६	२६
८	मथुरा	..	११	२२	८	२०
९	मैनपुरी	..	६	१७	..	१५
१०	एटा	..	१२	१९	२	१०
११	बदायूं	..	१०	९	२	१२
१२	मुरादाबाद	..	..	६४	१	२५
१३	शाहजहांपुर	..	२	१५	३	८
१४	पीलीभीत	..	३	११	६	४
१५	रामपुर	..	२	४२	..	९
१६	फर्रुखाबाद	..	२	१२	६	८
१७	इटावा	..	२	१०	१	९
१८	कानपुर	..	१९	१०३	४३	३९
१९	फतेहपुर	..	१	२५	४	२१
२०	इलाहाबाद	..	७	८६	१४	३८
२१	बांदा	..	७	७	३	८
२२	हमीरपुर	..	५	२	३	४
२३	झांसी	..	३	२५	५	१३
२४	जालौन	..	१०	१०	१	८
२५	जौनपुर	..	५	२४	..	१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला		दुर्घटनाओं की संख्या			व्यक्तियों की संख्या जो इन दुर्घटनाओं में मरे
			बस	ट्रक	कार	
१	२		३	४	५	६
२६	गाजीपुर	..	३	३	२	२
२७	बलिया	..	४	९	३	४
२८	गोरखपुर	..	१०	२३	१०	१९
२९	बस्ती	..	२	१०	३	७
३०	आजमगढ़	..	६	१४	३	१२
३१	देवरिया	..	४	१३	२	१०
३२	नैनीताल	सम्मिलित	९	५४	२	४३
३३	अल्मोड़ा					
३४	चमोली	..	१	१	..	३३
३५	लखनऊ	..	११	८७	४३	२४
३६	उन्नाव	..	९	१९	६	१६
३७	रायबरेली	..	३	११	२	१२
३८	सीतापुर	..	..	१२	..	७
३९	खीरी	..	१	१४	३	८
४०	फैजाबाद	..	५	२१	५	११
४१	बहराइच	..	४	३	१	१२
४२	सुल्तानपुर	..	६	१०	१	६
४३	प्रतापगढ़	..	..	७	१	२
४४	बाराबंकी	..	२	१०	४	१३
	योग	..	३२३	११४५	२६४	६६५

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८६ पर)

सूची

१—पैरीचरल वास्कूलर कोलैप्स
२—एक्युट ब्रोन्कों निमोनिया
३—मायाँकार्डियल इनफार्कशन
४—सीविर वर्न
५—एडवान्स्ड कैन्सर रेक्टम
६—सीवियर एनीमियाँ एवं हाइपोप्रोटिनिमिया एवं सीविर कन्वैस्टिव हार्ट फैल्योर
७—कोरोनरी हार्ट डिसीज
८—एक्यूट मायोकार्डिल इनफार्कशन एवं ब्रोन्कों एजमा एवं न्यूमोनिक कन्सोलीडेशन
९—सैप्टिक मैनिन्जाइटिस
१०—फल्मोनरी टुबरकुलोसिस
११—स्टेट्स एजमेटीफस
१२—एन्टेरिक एवं कोलैप्स एवं टिम्पैनाइटिस
१३—हेड इन्जरीज
१४—सीवियर डिहाइड्रेशन एवं एस्केरियेसिस
१५—एन्टेरिक
१६—एक्यूट गैस्ट्रांएन्टेराइटिस एवं पेरीफरल वास्कूलर कौलैप्स
१७—यूरीमिया
१८—एक्यूट गैस्ट्रां एन्टेराइटिस
१९—एन्कैफिलाइटिस
२०—एक्यूट पल्मोनरी एडीमा
२१—सेरेबरल हैमोरेज
२२—क्रश्ड इन्जरी ग्रोइन एवं फ्रैक्चर पैल्विस
२३—ब्रोन्को निमोनिया एवं गैस्ट्रांएन्टेराइटिस
२४—एपीटैक्सिस
२५—एक्यूट गैस्ट्राइटिस
२६—इन्टेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन
२७—ब्लंट इन्जरी एबडोमन
२८—टेटेनस
२९—कौवस एबंडोमन
३०—मल्टीपिल इन्जरीज
३१—पौइजनिंग
३२—हाइपर पायरैक्सिया
३३—कोलीमिया एवं हैमेटीमेसिस
३४—पैरीटोनाइटिस
३५—टी०बी० मैनिन्वाइटिस
३६—एडवाँस्ड कौर्पलमोनेल
३७—डिफ्थीरिया ।

नत्थी 'झ'

(देखिये ताराँकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८७ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	थाना	व्यक्ति का नाम तथा पता जिसके यहाँ डकैती पड़ी	लूटे गये माल की कीमत (रुपये में)	डकैती में मरे व घायल हुये व्यक्तियों की संख्या
			रु०	संख्या
१	कमालगंज	नत्थूसिंह वल्द मुलासिंह अहीर सा० सिया । ..	६००.००	—
२	इन्दरगढ़	उलफत वल्द शंकर अहीर सा० फताँ का पुरवा ।	८८८.००	—
३	गुरसहायगंज	रघुबर वल्द बुद्धा लोधी सा० बगुलिहाई । ..	४८६.००	—
४	"	प्रभुदयाल वल्द बीर सहाय काछी सा० बरबरापुर ।	१,१७४.७५	—
५	ठठिया	अहिवरन सिंह वल्द माधौसिंह सा० कठरा । ..	२३७.००	—
६	कम्पिल	बल्देवसिंह वल्द सिक्का सा० सबितापुरवा बिहारीपुरवा मजरा हाथीखेड़ा । ..	५५२.००	—
७	छिबरामऊ	मातादीन वल्द बिहारीलाल सा० हरिहरपुर । ..	२,११७.००	—
८	नवाबगंज	रामस्वरूप वल्द प्यारे धीमर सा० मानपूर मजरादनियापुर । ..	७६०.००	१ व्यक्ति मरा
९	राजपुर	दीपसिंह वल्द गनेश अहीर सा० गुठरा । ..	१,६०२.००	—
१०	कमालगंज	रामदास वल्द जैजैराम सा० ईसापुर । ..	७,२४७.००	—
११	सौरिख	प्रकाशचन्द्र वल्द महेश्वर दयाल वैश्य सा० दौलताबाद सौरिख ।	१,२८४.७५	—

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८९ पर)

लिस्ट लाइसेंसदारान बन्दूक, थाना भवई, जिला बाराबंकी

क्रम-संख्या	नाम लाइसेंसदारान मय निवास स्थान
१	श्री सैयद इबरार हुसैन पुत्र सैयद जुलफिकार हुसैन, कुश्हरी।
२	श्री रामकुमार पुत्र रामकिशोर, मखदूमपुर।
३	श्री मुहम्मद अयूब खां पुत्र श्री वाजिद अली खां, गेवश।
४	श्री हरिहरबक्ससिंह पुत्र सूरजपालसिंह, रतनपुर।
५	श्री सैयद वशीरत हुसैन पुत्र नमालूम, सैयदपुर।
६	श्री रामबहादुर पाँडे पुत्र मंगल पांडे, बड़ा मऊ।
७	श्री सैयद सैकउद्दीन हुसैन पुत्र श्री कमर उद्दीन हुसेन, कुश्हरी।
८	श्री बृजमोहन लाल पुत्र दुर्गादत्त, पटरन्वा।
९	श्री सैयद लताफतहुसेन पुत्र सैयद लियाकत हुसैन, सैदपुर।
१०	श्री सैयद बुनियाद अशरफ पुत्र श्री सैयद अहमद अश्रफ, पैगम्बर नगर।
११	श्री मुहम्मद यार खां पुत्र नसीर खां, शाहपुर।
१२	श्री सैयद वारिश हुसैन पुत्र अफजल हुसैन, कुश्हरी
१३	श्री फजल रहमान पुत्र हफीज रहमान, बलियाबाद।
१४	श्री सैयद हसन पुत्र मोहम्मद बशीर खां, धनोली।
१५	श्री मुरतजा हुसेन खां पुत्र मोहम्मद हुसेन खां, रानीमऊ।
१६	श्री बाबू केदारनाथ पुत्र मेवालाल, नवीपुर।
१७	श्री सैयद अखलाल हुसैन पुत्र सैयद अश्फाक हुसैन, सैदपुर।
१८	श्री होरीलाल पुत्र रघुवर, सैदपुर।
१९	श्री बसन्तराम भजनदास चेला बाबा रामेश्वर दास कडनपुर, मजरा भवानीपुर।
२०	श्री मुहम्मद समीर पुत्र मुहम्मद सलीस, कहाम।
२१	श्री रहीमबक्स पुत्र फकीरे, जहाँपुर मगरा भूरपुर।
२२	श्री मोहनलाल पुत्र छंद्रीलाल, पटरंगा।
२३	श्री मुहम्मद रसीद पुत्र मुहम्मद नईम, टेर।
२४	श्री मुन्नालाल पुत्र सालिगराम, पटरंगा।
२५	श्री ठाकुरप्रसाद पुत्र रामलाल, पटरंगा।
२६	श्री मादूद रसूल पुत्र अहमद अशरफ, पैगमबरपुर।
२७	श्री अजहर हुसैन खां पुत्र सहव्वर हुसैन खां, नेवरा।
२८	श्री मनीराम पुत्र कुंजबिहारी, अदलेपुर, मजरा मेलपुर।

क्रम-संख्या	नाम लाइसेंसदारान मय निवास स्थान

२९--श्री सैयद शफीर अहमद पुत्र शाह नजीर अहमद, पूरेखास कामगार ।
३०--श्री सितार हुसेन पुत्र जुलफिकार हुसेन, कुशहरी ।
३१--श्री रतीपाल तिवारी पुत्र राम उदित, डलायमऊ, मजरा सेमरी ।
३२--श्री महमूद अशरफ पुत्र लियाकत अशरफ, कुशहरी ।
३३--श्री मुहम्मद इमाम हुसैन खां पुत्र एकराम हुसैन खां, सेमरा ।
३४--श्री श्रीराम पुत्र गोविन्दप्रसाद, जनौला ब्रहमान ।
३५--श्री महमूद आलम खां पुत्र अब्दुल मकर खां, रानीमऊ ।
को लाइसेंसी श्री माजिद खां, पुत्र लाईसेंसी ।
३६--श्री रामबलीसिंह पुत्र सन्तबख्ससिंह, रामदेह ।
३७--श्री सैयद शमीम अशरफ पुत्र सैयद लियाकत हुसेन, कुशहरी ।
३८--श्री राम पुत्र कालूराम, पटरंगा ।
३९--श्री शंकर बक्स सिंह पुत्र सूरतपालसिंह, रांछ ।
४०--श्री खलील अहमद पुत्र अब्बास अली, घरनपुर ।
४१--डा० हफीज अहमद खां पुत्र मासूम रजा खां, पटरंगा ।
४२--श्री माताप्रसाद पुत्र बदलू, बहुलारा (मजरा भवानीपुर) ।
४३--श्री रखत हुसैन पुत्र फसाहत हुसैन, हुनहुना ।
४४--श्री अनन्ते पुत्र शिवनाथ, जहाँपुर, मजरा भवानीपुर ।
४५--श्री ताल्लुकदार खां पुत्र अली बक्स खां, चन्दामऊ ।
४६--श्री सैयद तजम्मुल हुसैन पुत्र सहावत अली, साकिन भाजनपुर ।
४७--श्री नूर मुहम्मद खां, साकिन चन्दामऊ ।
४८--श्री बक्वीश अहमद पुत्र दरइशन खां, पचौली ।
४९--श्री सैयद एजाव अली खां पुत्र मुहम्मद इम्तियाज अली खां, साकिन मेजरा ।
५०--श्री रुद्रप्रतापसिंह पुत्र हरिहरबख्ससिंह, भूरे पराग दत्त ।
५१--श्री पृथ्वीपालसिंह पुत्र देवीबक्ससिंह साकिन, छवेते ।
५२--श्री मुहम्मद इस्माईल खां पुत्र मुहम्मद याकूब खां, नेवरा ।
५३--श्री हबीब उल्ला खां पुत्र अहमद खां, चन्दामऊ ।
५४--श्री मुहम्मद शमीम खां पुत्र मुहम्मद नजीर खां, बीबीपुर ।
५५--श्री सैयद इबरार हुसैन पुत्र सैयद जुलफिकार हुसैन, कुशहरी ।
५६--श्री तुलसीरामदास पुत्र चन्द्रपालदास, हरचन्दपुर ।
५७--श्री गदा हुसैन पुत्र फिदा हुसैन, रानीमऊ ।
५८--श्री नूहर रहमान पुत्र शफीपुर रहमान, अलियाबाद ।
५९--श्री बाबूसिंह पुत्र छतासिंह, हंसराजपुर ।
६०--श्री चौ० आशाराम पुत्र श्री गंगाराम, भवानीपुर ।

नत्थी 'ट'

(देखिये ताराँकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९६ पर)

RATES FOR SUPPLY OF ELECTRICAL ENERGY FROM RIHAND

A—SUPPLY AT MEDIUON AND LOW VOLTAGE :

1. DOMESTIC SERVICES (L. &. F):

35 nP. per unit (net).

2. DOMESTIC SERVICES (POWER):

19 nP. per unit (net).

3. STREET LIGHTING:

35 nP. per unit (net).
Lamp replacement at cost 15 per cent supervision.

4. SMALL POWER—(Up to 20 k W. load).

First 150 units per b. h. p. per month at the rate of Rs.12.5 nP. per unit (net)

Remainder units per b. h. p. per month at the rate of Rs.11.0 nP. per unit (net).

5. MEDIUM POWER—(20 to 100 kW. load):

First 200 units per k.W. per month at the rate of Rs.11.5 nP. (net).
Remainder units per k.W. per month at the rate of Rs.10.0 nP (net).

6. STATE TUBE WELL AND PUMPING SCHEMES:

Rs.150 per b. h. p. per year +5.5. nP per unit (net).

7. MIXED LOADS—(for loads upto 100 kW.):

First 10,000 units per month at the rate of Rs.17.0 nP. per unit (net).
Next 20,000 units per month at the rate of Rs.14.0. nP per unit (net).
Remainder units per month at the rate of Rs.11.0 nP per unit (net).

B—SUPPLY AT HIGH VOLTAGE (11,000 volts):

(NOTE—These rates are for supply at 11. kV. If, in a particular case, the supply is made available at a voltage lower than 11 kV. and additional charge of 7 per cent on the total amount of the bill will be levied. If, on the other hand the supply is made available at a voltage higher than 11 kV. a discount of 5 per cent on the total amount of the bill will be allowed).

1. LARGE POWER—(100 to 500 kVA. Load)

(i) Demand Charge :

Rs.8.00 per kVA. of billable demand per month

Plus

(ii) Energy Charge :

First 170 units /KVA billable demand/month at the rate of Rs.4.0 nP. unit (net).

Next 170 units/KVA billable demand/month at the rate of Rs.3.5 nP. unit (net).

Remainder units/KVA. billable demand/month at the rate of Rs.3.0nP. unit (net).

2. HEAVY POWER—(Above 500 KVA. load):

(i) Demand Charge :

First 500 KVA. of billable demand/month @ Rs.8.00 per KVA./month.

Next 1,500	Ditto	..	@ Rs.7.50	Ditto.
Remainder	Ditto	..	@ Rs.7.00	Ditto.

Plus

(ii) Energy Charge :

First 170 units/KVA. of billable demand/month @ Rs.3.5 nP. (net).

Next 170	Ditto	..	..	@ Rs.3.0 nP. (net).
Remainder	Ditto	..	..	@ Rs.2.5 nP. (net).

3. BULK SUPPLY TO LICENSEES (RE-SALE):

(i) Demand Charge :

First 500 kW. of billable demand @ Rs.15 per kW. per month.

or	First 588 kVA.	Ditto	..	@ Rs.12.75 KVA	Ditto.
	Next 1,000 kW.	Ditto	..	@ Rs.12.00 KW	Ditto.
or	Next 1,175 kVA.	Ditto	..	@ Rs.10.2 KVA	Ditto.
	Over 1,500 kW.	Ditto	..	@ Rs.10.00 KW	Ditto.
or	Over 1,763 kVA.	Ditto	..	@ Rs.8.50 KVA	Ditto.

Plus

(ii) Energy Charge :

First 200 units per kW. of demand/month @ Rs.4.0 nP. net.

Next 200	.. Ditto	..	@ Rs.3.3	Ditto.
Remainder	.. Ditto	..	@ Rs.2.5	Ditto.

4. MIXED LOADS—(Above 100 kW. load):

(i) Demand Charge:

Full billable demand @ Rs. 15 per kW. per month

Plus

(ii) Energy Charge :

All consumption @ Rs.3.0 nP. per unit.

NOTE—(1) The tariffs A(6), B(1), B(2), B(3) and B(4) shall be subject to a coal price adjustment at the rate of Rs. .001 nP. for every naya paisa of variation in the average price of Rs.38 per Tonne of coal delivered during the financial year at the bunkers in the Gorakhpur and Mau Generating Stations. This clause will come in force from the 1st, April of the financial year following that during which the Mau and Gorakhpur Power Stations are inter- connected with the Rihand Grid.

(2) All the tariffs are subject to levy of duty or other form of surcharge which may be imposed from time to time by the State Government.

(3) These rates are for single point delivery and supply at each point and each voltage shall be separately metered and billed.

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९८ पर)

घटना का विवरण

दिनाँक १३-४-१९६२ को लगभग ९ बजे रात्रि के समय एक पागल व्यक्ति हजरतगंज, लखनऊ स्थिति फिल्मिस्तान चलचित्र भवन के सामने ईंट-पत्थर फेंकने व गालियाँ देने लगा और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसके कार्यों से शाँति भंग का अंदेशा पैदा हो गया और लोगों में आतंक छा गया। समझाने बुझाने के बावजूद भी वह ईंट-पत्थर फेंकने और गालियाँ देने से बाज नहीं आया। दो हल्का सरकार जिनकी ट्रैफिक ड्यूटी उस समय महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज पर थी, उस पागल व्यक्ति को इस भय के कारण कि कहीं वह कोई संगीन अपराध न करदे सावधानी के साथ पकड़कर हजरतगंज थाने पर लाये। उस समय उस पागल व्यक्ति ने अपना नाम पता कुछ नहीं बताया। उसे बन्दीगृह में रखा गया और जब तक वह बन्दीगृह में रहा चिल्लाता रहा, हाथ-पैर पटकता व बन्दीगृह के फाटक को हिलाता रहा और सन्तरी को भी गालियाँ देता रहा। दिनाँक १४-४-१९६२ को प्रातः उसने अपना नाम गुरुदीन पुत्र गुलाब दास, निवासी वेडारा, थाना बछरावाँ, जिला रायबरेली बतलाया। अतः उसे सिटी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेजा गया जहाँ से वह medical Observation के लिये जेल भेजा गया। जेल से वह २८-४-१९६२ को छोड़ दिया गया।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०९ पर)

जिला आगरा के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक के दवाखानों की सूची, जिन्हें सरकार ने १९६०–६१ में सहायता दी

आयुर्वेदिक

१—जंगारा औषधालय।
२—नरखी औषधालय।
३—श्रीमती भगवान देवी तिवारी, किरावली।
४—श्रीमती रमावती दीक्षित, डिगनेर।
५—श्रीमती शीलवती देवी, वाह।
६—श्रीमती पद्मावती, फिरोजाबाद।
७—श्रीमती सुशीला देवी, बम्हरौली कटरा।
८—शिव चिकित्सालय, रावतपाड़ा।
९—सत्याश्रम धर्मार्थ औषधालय, अछनेरा।
१०—श्री चिरंजीलाल वैद्य कल्याण औषधालय, वाह।
११—श्री प्रयागदत्त शास्त्री धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय, खालसा गली।
१२—श्री हरि बिलास शर्मा, खैरागढ़।
१३—श्री नेकराम शर्मा मोहल्ला गंज, फिरोजाबाद।
१४—श्री उमाचरण दीक्षित, आरोग्य जीवन धर्मार्थ औषधालय, राजा की मंडी।
१५—श्री नत्थी लाल, शिव आयुर्वेदिक भवन, शहजादी मंडी।

यूनानी

किसी को नहीं।

होम्योपैथिक

डा० वीरेंद्रकुमार गुप्त, चिकित्सक, श्रीमती गोमती देवी माथुर वैश्य चेरीटेबुल औषधालय, शमशाबाद।

जिला आगरा के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक के दवाखानों की सूची, जिन्हें सरकार ने १९६१–६२ में सहायता दी

आयुर्वेदिक

१—जंगारा औषधालय।
२—नरखी औषधालय।
३—श्रीमती भगवान देवी तिवारी, किरावली।
४—श्रीमती रमावती दीक्षित, डिगनेर।
५—श्रीमती शीलवती देवी, वाह।
६—श्रीमती पदमावती, फिरोजाबाद।

७—श्रीमती सुशीला देवी, बम्हरौली कटरा ।

८—शिव चिकित्सालय, रावत पाड़ा ।

९—सत्याश्रम धर्मार्थ औषधालय, अछनेरा ।

१०—श्री उमाचरण दीक्षित, वैद्य, भारतीय आरोग्य जीवन औषधालय, राजामंडी ।

११—श्री चिरंजीलाल वैद्य, वाह कल्याण औषधालय ।

१२—श्री नेकराम शर्मा वैद्य, मोहल्ला गंज, फिरोजाबाद ।

१३—श्री श्रीकृष्ण स्वरूप शर्मा वैद्य, बजरिया बाजार, फिरोजाबाद ।

१४—श्री हरि बिलास, वैद्य, खैरागढ़ ।

१५—श्री प्रयागदत शर्मा, वैद्य, धर्मार्थ औषधालय, खालसा गली ।

१६—श्री नत्थीलाल, वैद्य, शहजादी मंडी ।

१७—श्री बैकुंठनाथ खन्नाअ श्री रामा आयुर्वेदिक भवन, लोहामंडी ।

१८—श्री दिलसुख राय औषधालय, साँभरा, पोस्ट फतेहपुर सीकरी ।

१९—श्रीमती मनोरमा झा, अबला आयुर्वेदिक औषधालय, लोहामंडी ।

२०—श्री राममूर्ति शर्मा स्थान गुगरौड़, पोस्ट फतेहाबाद ।

यूनानी

किसी को भी नहीं ।

होम्योपैथिक

१—डा० राधेश्याम पचौरी, ग्राम व पो० पचवान ।

उपरोक्त दवाखानों आदि को दी गई आर्थिक सहायता का आधार जिला स्वास्थ्य अधिकारी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी अथवा संबंधित जिलाधीश की रिपोर्ट थी । निम्न बातों का भी ध्यान रखा गया:—

(क) सहायता पाने वाले चिकित्सालय की अन्य चिकित्सालयों से दूरी एवं क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा ।

(ख) चिकित्सालय द्वारा आँशिक अथवा पूर्ण रूपेण निःशुल्क औषधियों का वितरण ।

(ग) दिये गये अनुदान की रकम के कम से कम ५० फीसदी का निर्धन रोगियों पर निशुल्क औषधि वितरण होना ।

(घ) वैद्य, हकीम अथवा डाक्टर का रजिस्टर्ड होना ।

(ङ) वैद्यों एवं हकीमों द्वारा निर्धारित रजिस्टर का रखा जाना ।

(च) यदि पहिले अनुदान दिया गया हो तो उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधीश के जरिये भेजना ।

(छ) वैद्य, हकीम और डाक्टर की योग्यता, ख्याति, औसत रोगी संख्या एवं औषधालय की उपयोगिता तथा लोक प्रियता ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१५ पर)

मुख्य मंत्री के नाम पर खुली लूट

सिविल सर्जन की रोगियों के जीवन से खिलवाड़

रिश्वत का बाजार गर्म, पाकिस्तानियों को रोकने की चेष्टा

बरेली १४ मई, कई मास से जिला अस्पताल में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध ख्याति प्राप्त सिविल सर्जन आये हुये हैं जिन्होंने आते ही आते मुख्य मंत्री के नाम पर खुली लूट मचा दी है और जब कोई कुछ कहने का साहस भी करता है तो धमकी दी जाती है कि चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री हमारी मुठ्ठी में हैं हम जो चाहें कर सकते हैं। सत्य तो यह है कि बरेली का जिला अस्पताल जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में था, आज उजड़ सा गया है क्योंकि आप की तानाशाही और खुली लूट से सभी डाक्टर परेशान हैं और यहां से भागने की चेष्टा कर रहे हैं। कार्यालय के बाबू परेशान हैं जिन्होंने एक प्रार्थना-पत्र निर्देशक स्वास्थ्य विभाग उ० प्र० को भेजा है जिस की जांच जिलाधीश के पास आ चुकी है।

यही नहीं अस्पताल में किसी तरह का इंजेक्शन तथा दवाई नहीं है सरकारी कर्मचारियों का स्टाक पृथक रहता है तो यह स्टाक भी गायब है। किसी भी रोगी तथा सरकारी कर्मचारी को दवाई तथा इंजेक्शन नहीं मिल पाते हैं। जब सिविल सर्जन महोदय से फरियाद की जाती है तो कह देते हैं कि मैं क्या करूं। इसलिये अब अस्पताल की क्या आवश्यकता है। यहां तक सुना गया है कि अस्पताल से उक्त बड़े साहब के बंगले पर साबुन, कपड़ा, झाड़ू, दूध तथा अन्य सामान तक जाता है। यही नहीं रिश्वत का बाजार गर्म है अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी डाक्टरी सार्टीफिकेट लेने आता है तो उससे खुले आम १६ रुपये, ३२ रुपये तक चार्ज किये जाते हैं और अगर अन्धी लग गई तो ५० रुपये तथा १०० रुपये तक ले लेते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों केस हैं। स्मरण रहे ३१-१-१९६२ को पूर्व सिविल सर्जन ने मुस्ताक रसूल नामक ड्राइवर को आखों की कम रोशनी के कारण अनफिट कर दिया परन्तु इन्हीं सिविल सर्जन महोदय ने उक्त ड्राइवर सो भारी रकम लेकर १५-३-१९६२ को फिटनेस का सार्टीफिकेट दे दिया। अगर किसी गरीब के पास पैसे नहीं हैं तो कहा जाता है कि कुछ भी हो चाहे बिक जाओ परन्तु मुझे तो पैसा चाहिये।

एक ओर तो सरकार के आदेश हैं कि कोई पाकिस्तानी अधिक समय तक भारत में न रह सके परन्तु हमारे सिविल सर्जन महोदय आये हुय पाकिस्तानियों से भारी रकम लेकर उनके बीजा की तिथि बढ़वा रहे हैं जिससे पुलिस विभाग को बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई है। आपने एक स्त्री को चान्दी के चन्द टुकड़ों में २५ वर्ष की आयु का प्रमाण-पत्र दे दिया जब कि उस स्त्री की आयु ४२ वर्ष से कम नहीं होगी। जिला अस्पातल को कमल ब्रादर्स ने १०,००० रुपये दान में दे दिया जिसका उपयोग सर्जिकल तथा फ्रैक्चर वार्ड के लिये डायरेक्टर मेडिकल एन्ड हेल्थ ने स्वीकार किया था परन्तु सी० एस० महोदय ने इस आदेश को ठुकरा कर अपनी मर्जी से नव निर्मित आउटडोर बिल्डिग में ही दीवार खड़ी करके चिड़िया घर की भांति वार्ड बना कर रुपया को बर्बाद कर दिया है अब जब कि यह बिडिंग मास्टर प्लान में है और कुछ महीनों उपरान्त आउटडोर तथा चिल्ड्रेन वार्ड एक ही कर दिया जायेगा। क्या सिविल सर्जन महोदय की यह खुली तानाशाही नहीं है। सी० एस० महोदय के मुंह से कहते यह भी सुना गया है कि डायरेक्टर मेरे अन्डर में कार्य कर चुके हैं मुझे उसकी परवाह नहीं मैं तो अपना आदेश मुख्य मंत्री जी के नाम पर चलाऊंगा।

बताया जाता है कि सिविल सर्जन महोदय ने तीन मास के अन्दर १८,००० रुपये की दवाइयां सालोमन कम्पनी लखनऊ से मंगाई हैं और यह भी आदेश दिया है कि जो दवाईयां उक्त कम्पनी

में मिलें वही अस्पताल में आवेंगी । तथा अन्य कम्पनी से दवाईयां नहीं आयेंगी चाहे अस्पताल खाली पड़ा रहे । यह भी ज्ञात हुआ है कि स्थानीय अंग्रेजी दवाई विक्रेताओं से कई हजार रुपयों की दवाइयां ली गई थीं जिसका भुगतान देना मना कर दिया है तो उक्त दुकानदारों ने उ० प्र० सरकार को नोटिस दे दिया है यह भी सुना जाता है कि सिविलि सर्जन महोदय बजट से ५०,००० रुपये ज्यादा खर्च कर दिया है जिस धन की कोई स्वीकृति विभाग से नहीं ली गई। कई सौ रुपयों का पर्दे आदि सामान आया जो सी० एस० महोदय के निजी कार्य में इस्तेमाल हो रहा है । कहां तक लिखा जा सकता है ।

गत सप्ताह आपरेशन के कमरे में एक लड़की की आपरेशन करते समय ज्यादा तबियत खराब हो गई, सिविल सर्जन महोदय को कई बार बुलाया गया परन्तु नहीं गये जब लड़की में सांस आना बन्द सा हो गया तो भागते हुये गये । इस प्रकार आपकी लापरवाही से लड़की की आपरेशन के कमरे में मृत्यु हो गई हम कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इसमें कड़ी कार्यवाही करे ।

सिविल सर्जन महोदय की सर्विस का यह रिकार्ड है कि जहां तक भी आप गये वहां थोड़े समय ही रहे और उस अस्पताल को चौपट कर दिया । आप छोटे-छोटे कर्मचारियों को बुरी बुरी गालियां देते हैं यहां तक आपने कह दिया था कि यहां के सब डाक्टर गधे हैं तथा बरेली के रहने वाले सभी जनखे हैं आपके इस व्यवहार से बड़ा ही क्षोभ है । स्थानीय सभी अधिकारी बहुत ही परेशान हैं । जिला अस्पताल में आपको हिरन कुश, मतकटा, मुहम्मद तुगलक तथा अन्य नामों से याद किया जाता है तथा जनता ने भी अनेकों नाम रख लिये हैं ।

क्या मुख्य मंत्री जी बता सकेंगे कि उक्त सिविल सर्जन आपके नाम पर खुली लूट करें और आप खामोश रहें और रिश्वत खोरी का बढ़ावा आपके नाम पर हो । अब माननीय मुख्य मंत्री जी का आदर्श कहां गया सैकड़ों प्रार्थना-पत्र इस संबंध में भेजे जा चुके हैं तथा स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने भी लखनऊ में शिकायतें की हैं परन्तु आज तक क्या हुआ कुछ नहीं । हम कह सकते हैं कि यह कांग्रेसी प्रशासन की बदनामी नहीं और क्या है आज कहां गया गान्धी जी का आदर्श क्या यह राज्य के चिन्ह हैं । मुख्य मंत्री जी की आंखों के सामने तथा नाम से यह बातें हों फिर भी आदर्शवादी बनने का ढोंग रचाया जाये । यह शर्म की बात है । यह प्रजातन्त्र है । जनता की भावनाओं को ठुकराया नहीं जा सकता है । अगर मुख्य मंत्री जी यह कार्य नहीं कर सकते तो जनता की एकता में यह शक्ति है कि स्वयं की गद्दी न छिन जावे । स्मरण रहे यहां के एक पत्रकार ने मुख्य मंत्री जी के लिये भूख हड़ताल का एक नोटिस भी दे दिया है कि अगर एक सप्ताह के अन्दर सिविल सर्जन का तबादलना नहीं हुआ तो सिविल सर्जन के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी जावेगी ।

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१६ पर)

कत्ल के मामले

थाना				दर्ज किये गये मामलों की संख्या	न्यायालय भेजे गये मुकद्दमों की संख्या
हलधरपुर	..	..	..	१	१
उमांव	..	..	..	१	१
रसड़ा	..	..	..	१	१
बैरिया	..	..	..	१	१
भीमपुरा	..	..	..	१	—
नगरा	..	..	..	१	१
कोतवाली	..	..	..	२	१
सिकन्दरपुर	..	..	..	२	२
सहतवार	..	..	..	२	२
		योग	..	१२	१०

डकैती के मामले

थाना				दर्ज किये गये मामलों की संख्या	न्यायालय भेजे गये मुकद्दमों की संख्या
हलधरपुर	..	..	..	१	१
सहतवार	..	..	..	१	१
बांसडीह	..	..	..	१	१
मनियर	..	..	..	१	१
कोतवाली	..	..	..	२	२
		योग	..	६	६

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१६ पर)

केसा कानपुर के मजदूरों की प्रमुख मांगों की सूची ।

१---केसा कर्मचारियों के वेतन बहुत असंतोषजनक है; उनको वैज्ञानिक ढंग पर निश्चित करने के लिये एक वेतन आयोग की नियुक्ति की जाय ।

२---केसा के श्रमिकों के रहने के लिये केसा कालोनी शीघ्र बनवाने की व्यवस्था की जाय ।

३---केसा के श्रमिकों के बोनस की दर मुनाफे के हिसाब से बढ़ाई जाय ।

४---केसा के श्रमिकों के महंगाई भत्ते में समुचित वृद्धि की जाय ।

५---ओवरटाइम का नकद भुगतान किया जाय ।

६---प्रावीडेन्ट फंड का पैसा शीघ्र भुगतान किया जाय ।

७---जिन श्रमिकों का कार्यकाल १ वर्ष हो गया हो, उन्हें शीघ्र स्थायी किया जाय ।

८---आकस्मिक छुट्टी लेने के पूर्व या बाद में, रविवार की या त्योहार की छुट्टी होने पर, या हाफ होने पर आकस्मिक छुट्टी में न जोड़ी जाय ।

९---मेन्स ब्रान्च के ड्यूटी स्टाफ के काम करने वाले सभी कर्मचारियों को, चौकीदारों को व हरिजनों (मेहतरों) को मौसम के अनुसार वर्दी की व्यवस्था की जाय ।

अनुभाग पदेश्वर सभा

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२३ पर।)

कस्बा कासगंज के व्यक्तियों के नाम जिन्हें वित्तीय वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में उद्योग हेतु धन कर्ज के रूप में वितरित किया गया

क्रम-संख्या	व्यक्तियों के नाम	उद्योग का नाम	वितरित धनराशि विवरण
	१९५९–६०		रु०
१	श्री कृष्णप्रसाद गुप्ता ..	होजरी उद्योग ..	५,०००
२	श्री चेतराम जाटव ..	जूता उद्योग ..	१,०००
३	श्री अमानुल रहमान खां ..	बोन मिल ..	७,०००
४	श्री त्रिभुवननाथ चौबे ..	सीमेन्ट टाइल्स ..	४,०००
५	श्री मकसूद अहमद ..	जूता उद्योग ..	२,०००
६	श्री इस्हाक उद्दीन खां ..	जूता उद्योग ..	२,०००
७	श्री जुगेन्द्रसिंह ..	फर्नीचर ..	४,०००
८	श्री किशनचन्द विजय ..	रेडियो पार्टस ..	६,०००
		योग ..	३१,०००
	१९६०–६१		
१	श्री अब्दुल सबी ..	जनरल इन्जीनियरिंग ..	७,०००
२	श्री फखरुद्दीन ..	जूता उद्योग ..	१,९००
३	श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा ..	सिलाई मशीन पार्टस ..	७,०००
४	श्री सुल्तान अहमद खां	जूता उद्योग ..	४,०००
५	श्री सत्यव्रत सिंघल ..	स्पोर्ट गुड्स ..	५,०००
		योग ..	२४,०००
	१९६१–६२		
१	श्री तिलकसिंह ..	इलक्ट्रोप्लेटिंग ..	५,०००
२	श्री जहोर अहमद खां ..	ओप्टिकल ग्लास	५,०००
३	श्री बांके लाल गोयल ..	सोडियम सिलोकेट	७,०००
४	श्री नोबतराम विजय ..	खान्डसारी ..	३,५००
५	श्री राधेश्याम ..	,, ..	३,५००
६	श्री यशपाल गुप्ता	केमिकल उद्योग सोफ फिलर, सोडिल सिलीकेट।	६,०००
		योग ..	३०,०००

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२५ पर)

क्रम-संख्या	नाम थाना	१९६१-६२ में ग्राम समितियों की संख्या	१९६१-६२ में पड़ी डकैतियों की संख्या
१	कोतवाली	७०	१२
२	मुहम्मदपुर	१७६	२
३	कोठी	२२२	१६
४	भेलसर	१७०	५
५	टिकेयत नगर	६२	१०
६	सुबेहा	२६	१
७	रामनगर	१८८	६
८	कुरसी	४०	१०
९	फतेहपुर	२३२	८
१०	रामसनेही घाट	११८	६
११	मवई	७५	१
१२	लोनीकटरा	१३	५
१३	सफदरगंज	८०	५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३०१--३०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२६ पर।)

जनवरी, सन् १९५९ से अप्रैल, सन् १९६२ तक झांसी जिले के थाना नवाबाद में डकैती व चोरी की रिपोर्टें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

		कत्ल	डकैती	चोरी (जिसमें नकबजनी भी सम्मिलित हैं,)
१	रिपोर्टों की संख्या	७	८	५२४
२	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या ..	१२	२६	२२७
३	व्यक्ति जिन्हें सजा हुई ..	—	१	१०४
४	व्यक्ति जो न्यायालय से छूटे ..	९	१६	७३
५	व्यक्ति जिनके विरुद्ध अभियोग न्यायालय में में विचाराधीन है ।	१	—	१७
६	व्यक्ति जो धारा १६९ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत छूटे ।	२	९	१७
७	व्यक्ति जिन्होंने राजीनामा किया ..	—	—	१५
८	अभियुक्त मर गया ..	—	—	१
९	मामलों की संख्या जिसमें गिरफ्तारी नहीं हुई और जिनका पता नहीं लगा ।	४	४	३७९
१०	अपराधियों की संख्या जिनका पता नहीं लगा ।	—	६२	—

अध्यक्ष सभा

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२७ पर)

नत्थी 'क'

१—सर्वश्री गुरुजी ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद	..	जनरल हाल्लोवेयर
२—सर्वश्री अमर ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद	..	,,
३—सर्वश्री दिक्षित ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद	..	..
४—सर्वश्री फ्लावर ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद	..	,,
५—सर्वश्री देवी सहाय ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद	..	,,
६—सर्वश्री मोहम्मद याकूब एण्ड कम्पनी, फीरोजाबाद	..	ग्लास बीड्स (कांच की मोती।)
७—सर्वश्री डोसेन्ट ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद	..	जनरल हाल्लोवेयर
८—सर्वश्री शंकर नावेल्टीज ग्लास इन्डस्ट्री, फीरोजाबाद	..	,,
९—सर्वश्री सिंघल ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद	..	,,
१०—सर्वश्री डाइमन्ड ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद	..	ग्लास बीड्स (कांच की मोती।)
११—सर्वश्री यूनाइटेड बीड मैन्यूफैक्टरिंग वर्क्स, फीरोजाबाद		,,
१२—सर्वश्री पंचशील बीड इन्डस्ट्री, फीरोजाबाद	..	,,

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१२६ एल० ए०—१९६२—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा